राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क ६] द्वितीय विधान सभा के छठे सत्र का बारहवां दिवस [संख्या ८

शुक्रवार, २१ अगस्त, १९५९.

विधान सभा की बैठक म० पू० ११ बज कर १ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[शिक्षा, कृषि, गृह, वन, विकास, विद्युत उद्योग, खनिज, सिंचाई, सहकारी, सार्वजनिक निर्माण तथा सामान्य प्रशासन-विभाग]

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न ।

प्रश्न संख्या २६१

श्री भैरोंसिंह ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री प्रभुलाल पुरोहित ।

सहकारी समिति ग्राम सांभरिया

२६२. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट): क्या मंत्री, सहकारी विभाग निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :-

(१) ग्राम सांभरिया, तहसील बस्सी (जयपुर) की सहकारी समिति के कोषाध्यक्ष पद पर कौन व्यक्ति हैं और कब से हैं ?

(२) क्या उक्त कोषाध्यक्ष के प्रति हिसाब सम्बन्धी मामले में ऑडिटर्स ने कोई खामी निकाली है ?

(३) यदि हां, तो क्या क्या ?

(४) क्या उक्त खामी के कारण कोषाध्यक्ष के प्रति सरकार ने कोई एक्शन लिया ?

(५) यदि नहीं क्यों ?

उप-मंत्री, सहकारी (श्री दौलतराम सारण): (१) श्री जगदीशप्रसाद अग्रवाल, दिनांक ४-६-५७ से ।

(२) जी हां ।

(३) कोषाध्यक्ष की लापरवाही के कारण ७६८ रु०, ६४ नये पैसे की रकम समिति की केश बुक में दर्ज न होने की ।

(४) जी हां, लिया है ।

(५) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : क्या कार्यवाही की गई है ?

Page No.2

श्री दौलतराम सारण : उसमें जो ब्याज के पैसे निकलते हैं उसके लिए मेनेजिंग कमेटी को वहाँ के अफसरों ने लिख दिया है कि वसूल किया जाय।

श्री लक्ष्मीचन्द : यह जो केश बुक में एन्ट्री नहीं की है वह लापरवाही की वजह से नहीं की गई या इन्टेन्शनली नहीं की ?

श्री दौलतराम सारण : इस मामले में ऐसा था कि कच्ची रोकड़ में लिखा था लेकिन पक्की रोकड़ में नहीं लिखा था इसलिए यह गबन की तारीफ में नहीं आता।

श्री लक्ष्मीचन्द : तो क्या यह माना जाय कि हरेक सोसाइटी के पास कच्ची रोकड़ और पक्की रोकड़ दोनों होती हैं ?

श्री दौलतराम सारण : मैं इस सोसाइटी की बात कह रहा हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री पी० के० चौधरी।

भीलवाड़ा के अभ्रक के खदान क्षेत्र के ब्लॉक नम्बर ३ का ठेका

२६३. **श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा)**: Will the Mines Minister be pleased to state:—

(a) Is it correct that Block No. 3 was leased out to Shri Devi Dayal Mehta for extracting Mica ? If so, when it was leased out to him ?

(b) What is the annual deed rent and royalty so far received by the Government from Shri Mehta since 1951 ?

(c) Is it correct that a portion of Block No. 3 has now been leased out to Shri Rajgarhia ? If so, on what date it was leased out to Shri Rajgarhia and since then how much annual dead rent and royalty have been received by the Government so far from him ?

उप-मन्त्री, खनिज (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : 1. Yes. It was leased out to him from 2.10.51 to 1.10.71 for 20 years.

2. The statement has been placed on the table of the house.

3. A portion of Block No. 3 has been leased out to Shri Rajgarhia previously from 11.10.55. As the deadrent has not yet been fixed the question of its payment does not arise. The party is paying the royalty on the mica removed. The royalty paid upto 10.2.59 is Rs. 9,751/-.

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री पी० के० चौधरी : Why the rent from Shri Mehta not fully recovered for the period from '52 to'57 and why from October no rent has been recovered from him ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : From whom ?

श्री पी० के० चौधरी : Devi Dayal Mehta.

श्री रिखबचन्द धारीवाल : The statement shows that from 1.2.51 to

Page No.3

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

10.10.'52 no rent was chargeable because he was exempted and whatever he extracted the royalty recoverable was 18 thousand and he paid Rs. 17 thousand. Then from 1.10.'52 the deadrent was about 15 thousand and the royalty recoverable was 18 housand and royalty paid was 19,553,31. n.P.

श्री उपाध्यक्ष : Yes, Next question.

श्री पी० के० चौधरी : No Sir. The question is still continuing.

From 2.10'53, 23 thousand of royalty was due but only about 12 thousand had been paid and then from 28.3.'55 to 7.10.'57 35 thousand was due and 17 thousand paid and from 8.10.'57 no royalty has been paid. What is the reasn for it?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : The reason is that the party contends that in fact he is not holding the lease as renewal but it is case of fresh lease when demarcation and dead rent not fixed and as such the question of deadrent and the royalty is under dispute and therefore the party has not paid. The matter has not yet been decided.

श्री पी. के. चौधरी : But how the royalty should be at the dispute ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : The party is not working from '57 to'58. The particular area which has been leased out to him, he says he is not extracting anything.

श्री रामप्रसाद लड्ढा (शाहपुरा) : Is it a fact that there is no such person named Devi Dayal Mehta and it is Dau Dayal Mehta ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : Yes, He is Dau Dayal.

श्री पी. के. चौधरी : Is it a fact that a portion has been leased out to Shri Rajgarhia ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : Yes. A portion has been leased out to Rajgarhia.

श्री पी. के. चौधरी : What is the area given to this Rajgarhia ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : The area in fact which has bee leased out is about 1,251 acres.

श्री पी. के. चौधरी : Why a deadrent fcr Rajgarhia has not been fixed ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : It is on account of the fact that there Sanction of Lease is provisionally given but it has not been finally decided by the Government.

श्री पी० के० चौधरी : Is it a fact that it was not fixed because the area allotted is not fixed and because of this dispute the public ex-chequer is suffering a loss ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : But the rate of dead rent one and the rate of royalty is fixed one. Under the moills there is no question...

श्री पी० के० चौधरी : Since '56 we have not received any royalty from Shri Mehta and Shri Rajgarhia. You have recovered only 9 thousand where as it was about 20 thousand, for each year. So it shows that we are suffering because of the dispute.

श्री रिखबचन्द धारीवाल : The question of amount to be recovered depeneds upon the mineral which is removed. If a particular person extracts only a lesser quantity then it will be a lesser loss.

श्री पी० के० चौधरी : If Mehta is not working then why it is not being...

श्री रिखबचन्द धारीवाल : I said that it is under dispute. There are so many legal difficulties which have been crept.

श्री पी० के० चौधरी : Why don't you fix the dead rent?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : Dead-rent for Shri D. D. Mehta has already been fixed.

श्री पी० के० चौधरी : Why not take action under P. D. R.?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : Until and unless we decide how action can be taken, as soon as it is decided, we shall certainly put the matter under P. D. R. Act.

श्री उपाध्यक्ष : श्री प्रभुलाल पुरोहित ।

गंगासागर बांध, दूदू

२६४. श्री प्रभुलाल पुरोहित (लालसोट) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :—

१. क्या यह सच है कि ग्राम दूदू में गंगासागर से पानी देना आजकल बन्द है ?

२. क्या यह भी सच है कि पहले गंगासागर से ३५० बीघा की ही सिंचाई होती थी ?

३. क्या यह भी सच है कि असिस्टेंट इंजीनियर के आदेश के खिलाफ २६ नवम्बर, १६५८ को रात्रि में पानी खोल दिया गया, जो निरर्थक गया ? क्या सरकार इसकी जांच करेगी ?

उप-मन्त्री, सिंचाई (श्री भीखाभाई) :
१. गंगासागर में आजकल पानी नहीं है इसलिए यह प्रश्न नहीं उठता ।

२. जी नहीं ।

३. उक्त तारीख में पानी आदेशानुसार खोला गया था जो उचित उपयोग में आया । इसलिए जांच का प्रश्न नहीं उठता ।

डॉ. चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : आज कल से क्या मतलब है ? क्या बरसात के दिनों में भी गंगासागर में पानी नहीं है ?

Page No.5

श्री भीखाभाई : आजकल का मतलब १६५८ के बाद।

श्री प्रभुलाल पुरोहित : काश्तकारों को एक पानी दिया जाता है, जब कि तीन पानी दिया जाना चाहिये था ?

श्री उपाध्यक्ष : जब कि काश्तकारों को तीन बार पानी दिया जाता है, वहां के काश्तकारों को एक बार पानी दिया गया।

श्री भीखाभाई : एक बार ही इरीगेशन हुआ उस तालाब से। जिस साल शुरू होने वाला था तो दो पार्टियों में झगड़ा हो गया।-फिर समझौता हुआ। उसके बाद पानी भरा नहीं। चूंकि वह जागीर टैंक था, इसलिए उससे पहले सवाल नहीं उठता। जब इरीगेशन के सुपुर्द हुआ और एक बार पानी भरा तो झगड़ा हो गया। झगड़ा तय होने पर पानी दे दिया गया।

श्री रामचन्द्र (डग-सु) : गंगासागर में पानी न होने के क्या कारण हैं ? क्या तालाब में लीकेज होता है ?

सिंचाई मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : मानसून का कारण है।

श्री रामचन्द्र : पिछली साल उस क्षेत्र में वर्षा कम हुई क्या ?

श्री रामकिशोर व्यास : जितनी वर्षा हुई उतना पानी आया।

श्री प्रभुलाल पुरोहित : काश्तकारों को पानी न देकर उस तालाब का पानी निकाल दिया गया जब कि हजारों बीघा के लायक पानी था।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : २६५।

जिला कृषि अधिकारी, भीलवाड़ा द्वारा बीज का वितरण

२६५. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर-श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) द्वारा पूछा गया) : क्या कृषि मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर, भीलवाड़ा ने अक्टूबर और नवम्बर, १६५८ में कितना और किस किस व्यक्ति को गेहूँ का बीज तकसीम किया है ?

(२) क्या यह सही है कि कई व्यक्तियों के बीज माँगने के आवेदन-पत्र खारिज कर दिये गये हैं ?

(३) यदि हां, तो किन किन के और क्यों ?

(४) उक्त आवेदन-पत्र किस किस तारीख को आए थे ? कृपया इस सम्बन्ध में एक तालिका सदन की मेज पर रखें।

उप-मंत्री, कृषि (श्री दौलतराम सारण): (१) कृषि विभाग भीलवाड़ा द्वारा रबी अभियान में जिन काश्तकारों को जितना जितना गेहूँ का बीज बांटा गया उसकी तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) आवेदन पत्र खारिज नहीं किये गये किन्तु गेहूँ की मात्रा किसी किसी काश्तकार की कम की गई।

Page No.6

(श्री दौलतराम सारण)

(३) बीज की मात्रा उन्हीं काश्तकारों को कम की गई जो आवश्यकता से अधिक थी।

(४) प्रश्न नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिए)

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : यह आवश्यकता थी। यह आपने कैसे तय किया कि कितनी आवश्यकता थी ?

श्री दौलतराम सारण : काश्तकार से पूछ कर।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : बीज कम था, इसलिए लोगों को डिसअलाऊ कर दिया और दूसरे लोगों को दिया है इन एप्लीकेन्ट्स के अलावा ?

श्री दौलतराम सारण : मैंने निवेदन किया कि जिन काश्तकारों ने बीज माँगा उनकी दरख्वास्त रद्द नहीं की गई। जिन्होंने आवश्यकता से ज्यादा माँगा था उनको उनकी आवश्यकता के मुताबिक बीज दिया गया।

श्री जगदीशप्रसदार माथुर : बीज खाने के लिए नहीं ले रहे थे बोने के लिए ले रहे थे। जितनी आवश्यकता थी उतने बीज के लिए एप्लाई किया। उसमें कमी कर दी और जिन्होंने एप्लाई नहीं किया था उनको दे दिये।

श्री दौलतराम सारण : ऐसी सूचना मेरे पास नहीं है। जिन्होंने एप्लाई किया उनको बीज दिया। उन्होंने जरूरत से ज्यादा माँगा उनसे पूछ कर जरूरत के मुताबिक बीज दे दिया गया।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : कितना बीज माँगा था और कितना दिया गया ?

श्री दौलतराम सारण : यह सूची सदन की मेज पर रख दी गई है, वह काफी लम्बी-चौड़ी है।

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : बीज कमेटी के द्वारा बीज वितरण किया गया है या अधिकारियों ने मनमाने ढंग से वितरित किया है ?

श्री दौलतराम सारण : वितरण किया गया उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज, पंचायत व विभाग के द्वारा बीज का वितरण हुआ। वह सूची में दिया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल।

पॉवर हाउस के कर्मचारियों की वेतनवृद्धि

२६६. श्री गिरधारीलाल (नोखा) : क्या विद्युत मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सत्य है कि बीकानेर, जोधपुर व गंगानगर के पॉवर हाउस कर्मचारियों को १ अक्टूबर से दी जानेवाली ५) रु० की मासिक वृद्धि नहीं दी गई ?

(२) क्या यह सत्य है कि उपरोक्त कर्मचारियों का मँहगाई भत्ता इस बढ़ोत्तरी

Page No.7

(श्री गिरधारीलाल)

को मिला कर भी केन्द्रीय कर्मचारियों के मँहगाई भत्ते से कम पड़ता है ?

(३) क्या यह सत्य है कि सरकार की उपरोक्त आज्ञा के अनुसार उन तमाम कर्मचारियों को यह बढ़ोतरी मिलनी चाहिए थी जिनका वेतन २५०) रु० माहवार तक है व जिनका मँहगाई भत्ता केन्द्रीय कर्मचारियों के बराबर नहीं है ?

(४) अगर हाँ, तो उपरोक्त कर्मचारियों को यह बढ़ोतरी क्यों नहीं दी गई ?

उप-मंत्री, विद्युत (श्री भीखा भाई) : (१) जी नहीं, उन्हें ५) रु० की वृद्धि दे दी गई है, मगर यह उनके निजी मँहगाई भत्ते में गिन लिया गया है जो कि उनको राज्य के मँहगाई भत्ते रूल्स के अन्तर्गत मँहगाई के अलावा मिल रहा था।

(२) यह ज्यादातर मामलों में सत्य हो सकता है।

(३) बीकानेर, जोधपुर और गंगानगर में राजस्थान के बनने से पहले के कर्मचारी अपना मँहगाई भत्ता एक ऊंची दर पर ले रहे थे। राजस्थान भर में समान मँहगाई भत्ते के हो जाने से, वे, नई जारी की हुई पे स्केल के साथ अपना पुराना मँहगाई भत्ता पाने के हकदार नहीं थे। लेकिन उन टेकनीकल मुलाजिमों के मामलों में जो कि इन यूनिटों के विद्युत विभाग में थे यह तय हुआ कि वे समान पे स्केल के साथ का भत्ता और उनकी यूनिट मँहगाई भत्ता इस शर्त पर पा सकते हैं कि समान मँहगाई दर उनका मँहगाई भत्ता समझा जायेगा व यूनिट मँहगाई भत्ता व समान मँहगाई का अन्तर निजी भत्ता समझा जायेगा जिसमें आगे होनेवाली राज्य मँहगाई भत्ते की वृद्धि शामिल कर ली जायेगी।

(४) इसका प्रश्न नहीं उठता।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर-सिटी) : २५०) रु० से कम जिन लोगों का वेतन है उनके लिए ५) रु० की वृद्धि की बात कहीं गई। क्या इस आधार पर राजस्थान में सर्वत्र २५०) रु० से कम वेतन पानेवालों को मँहगाई भत्ता दिया गया ? यदि दिया गया, तो इन लोगों को क्यों नहीं दिया गया ?

विद्युत मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : यह कहा गया है कि दिया गया है। यह कब कहा कि नहीं दिया गया है ?

The reply is that we have given them.

श्री मुरलीधर व्यास : बीकानेर पॉवर हाउस के कर्मचारियों को क्यों नहीं दिया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास : दिया है।

श्री गिरधारीलाल : आपने कहा कि पहले मिल रहा था वह शुमार कर लिया गया। यह नहीं कहा गया कि पांच रुपये बढ़ाये ही नहीं गये हैं।

श्री रामकिशोर व्यास : कर्जे में चलेंगे तो उसको देना नहीं चाहेंगे क्या ?

श्री मुरलीधर व्यास : मैं कहता हूँ कि ऑर्डर के बाद जिनको २५० रुपये से कम

Page No.8

(श्री मुरलीधर व्यास)

तनख्वाह मिलती थी, जो कुछ उन्हें मिलता था उनके भत्ते के अन्दर ऑर्डर के बाद पांच रुपये की बढ़ोतरी हुई या नहीं ? बढ़ोतरी की है तो उनको मिलनी चाहिये।

श्री रामकिशोर व्यास : आपने जवाब पर गौर नहीं फर्माया। यह अर्ज किया आपसे कि कुछ स्टेट्स इन्टीग्रेशन के वक्त डिअरनेस अलाउन्स ज्यादा दे रहे थे और जो यूनीफाइड पे स्केल्स थीं उनमें कम था, इसलिए वह कम हो जाना चाहिये था। लेकिन वह कम न करके यह तय हुआ कि जो डिअरनेस अलाउन्स ज्यादा मिल रहा है वह आइन्दा जो डिअरनेस अलाउन्स मिलेगा उसमें मर्ज कर दिया जायेगा। अब पांच रुपये की वृद्धि उसमें मर्ज कर दी गई है।

श्री मुरलीधर व्यास : यह प्रश्न हल नहीं होता। राजस्थान में स्टेट्स के मर्जर होने के वक्त निम्न श्रेणी के कर्मचारियों के वेतन जो बढ़े हुए थे उनमें कमी की। लेकिन ५०० रुपये और ८०० रुपये पानेवाले व्यक्तियों के वेतन में कमी नहीं हुई। जब मजदूरों के मामले में पांच रुपया बढ़ाने का सवाल आया तो कहा कि यह वृद्धि किस प्रकार दी जाय ?

श्री रामकिशोर व्यास : नहीं दिया जाय, यह बात नहीं है। दिया है। जो भत्ता ज्यादा दे रहे थे उसमें से डिडक्ट किया है जैसा कि तय हुआ था।

श्री गिरधारीलाल : क्या यह सही है कि १ अक्टूबर को ऑर्डर हुआ था कि २५० रुपये से कम वेतन पानेवाले सारे कर्मचारियों को पांच रुपये की वृद्धि की जायेगी ?

श्री रामकिशोर व्यास : सही है। इसमें कहां मनाई है ?

श्री गिरधारीलाल : साफ जवाब दीजिए।

श्री रामकिशोर व्यास : मैं कहता हूँ कि हां, ऑर्डर किया गया है।

श्री गिरधारीलाल : मैंने कहा क्या २५० रु० से कम वेतन पानेवाले कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में पांच रुपये की वृद्धि की जायेगी, ऐसा ऑर्डर था ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैं कह रहा हूँ, था।

श्री मुरलीधर व्यास : जो आपने पांच रुपये की बढ़ोत्तरी की है, जिन्हें २५० रु० से कम वेतन मिलता है उनके महंगाई भत्ते में पांच रुपये की वृद्धि होगी, यह मान लिया जाय ?

श्री रामकिशोर व्यास : आप समझते हुये भी न समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने अर्ज किया कि पांच रुपये दिये गये हैं लेकिन एडीशनल डिअरनेस अलाउन्स था उसमें से डिडक्ट किया है जैसा कि एग्रीमेन्ट हो गया था मर्जर के टाईम पर।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या उस ऑर्डर में था कि डिडक्ट किया जायेगा ? जो ज्यादा महंगाई भत्ता पाते थे, जिनको ज्यादा मिलता था, उसको देखते हुए पांच रुपये बढ़ाये हैं २५० रु० से कम वेतनवाले लोगों के लिये। उनके भत्ते में पांच रुपये नहीं बढ़ पाये ?

Page No.9

श्री रामकिशोर व्यास : यह सवाल कहां है। मैंने निवेदन किया कि मर्जर के टाईम पर ३५ रु० राजस्थान में भत्ता तय किया और उस समय उनको ४५ रुपये मिल रहे थे यानि १० रुपये ज्यादा मिल रहे थे। उसको हमने रिड्यूस नहीं किया और ४५ रु० कायम रखे और यह तय किया कि १० रुपये जो ज्यादा मिल रहे हैं वह डिडक्ट कर लेंगे, जिस जिस समय मौका मिलेगा।

श्री गिरधारीलाल : उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री उपाध्यक्ष : श्री जयचन्द्र मोहिल।

श्री गिरधारीलाल : क्या यह सही है कि बीकानेर, जोधपुर और गंगानगर पॉवर हाउसेज के कर्मचारियों को कुल मिला कर २५० रुपये से कम तनख्वाह मिलती थी ?

(कुछ क्षण के लिए नीरवता)

आप जवाब दीजिये, साहब।

श्री रामकिशोर व्यास : जवाब सुनिये, साहब।

श्री गिरधारीलाल : आप बैठे बैठे ही उल्टा सीधा जवाब देते हैं, खड़े होकर जवाब दीजिये।

श्री रामकिशोर व्यास : (खड़े होकर) पॉवर हाउसेज के कर्मचारियों को अलग अलग वेतन मिलता है।

श्री गिरधारीलाल : मेरा प्रश्न यह है कि बीकानेर, जोधपुर और गंगानगर पॉवर हाउसेज के कर्मचारियों को कुल मिला कर २५० से कम तनख्वाह मिलती है ?

श्री रामकिशोर व्यास : कम तनख्वाह-वाले भी हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जयचन्द्र मोहिल ?

मेजर श्री फतेसिंह (भीम) : Is it a fact that the employees...

उप-मन्त्री, सहकारी (श्री दौलतराम सारण) : माननीय उपाध्यक्ष,

श्री उपाध्यक्ष : Yes, Major Fateh Singh ?

मेजर श्री फतेसिंह : Is it a fact that the employees of the former Ajmer State have not been given that increment of Rs. 5/-?

मुख्य मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): Is it a matter of Power House ?

मेजर श्री फतेसिंह : No. But it applies to all the employees of the State Government.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : It is an independent question.

मेजर श्री फतेसिंह : Does it not apply to all the Public servants of the State ?

श्री उपाध्यक्ष : It is quite a separate question. While it was concerning to Power House employees alone. Yes, next. Sri Jaichandra Mohil.

सहकारी समितियों में किये गये गबन एवं अनियमितताओं के सम्बन्ध में की गई शिकायतें

२६७. **श्री जयचन्द्र मोहिल** (कपासिन-सु०) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

Page No.10

(श्री जयचन्द्र मोहिल)

(क) राजस्थान में ऐसी कितनी सहकारी समितियाँ हैं जिनमें गबन, रकम की गड़बड़ी और अनियमितताएं आदि की शिकायतें हैं ?

(ख) उक्त शिकायतोंवाली समितियों से क्या कोई विधान सभाई भी सम्बन्धित है ? यदि हाँ, तो कौन कौन, किस किस समिति से और किस किस प्रकार से ?

उपमंत्री, उद्योग (श्री दौलतराम सारण) माननीय उपाध्यक्ष, इस प्रश्न का उत्तर बहुत विस्तृत होगा इसलिए देने में असमर्थ हूँ प्रश्न (ख) के अन्दर माननीय सदस्य कोई निश्चित विधान सभाई सदस्य का इस तरह सम्बन्ध बतायें तो जानकारी की जा सकती है। वैसे हमारे पास इस तरह की कोई जानकारी नहीं है।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी तक सदन में परम्परा रही है कि जो आन्सर करने के रीज़न्स रहे हैं तो कोई पब्लिक इन्ट्रेस्ट में आन्सर करना ठीक नहीं हो तो आन्सर देने से डिनाई किया जा सकता है पर कभी यह नहीं कहा जा सकता कि इसका रिप्लाई विस्तृत है या कम्प्रेहेन्सिव है इसलिए आन्सर नहीं दिया जा सकता, यह हाउस में एक गलत परम्परा होगी। यह हो सकता है कि ज्यादा लम्बा आन्सर हो तो रिटन में दे सकते हैं, सूची दे सकते हैं। पर इस प्रकार की परम्परा गलत होगी।

श्री दौलतराम सारण : माननीय उपाध्यक्ष, इसके अन्दर सहकारी समितियों के लिए पूछा गया है तो १२,००० सहकारी समितियां हैं। ६८ ऑडिट इन्स्पेक्टर्स हैं। अगर यह इन्फॉर्मेशन मंगाई जाय तो केवल चार महीने यही काम किया जाये और सारा स्टाफ अपने काम को छोड़ कर यह काम करे तो सूचना तैयार हो सकती है।

श्री श्रीभानसिंह : All are corrupt ? They are all corrupt ?

श्री दौलतराम सारण : इससे पब्लिक वर्क सफर होगा और रेगुलर वर्क वे लोग नहीं कर सकेंगे तो मेरे ख्याल में इसका उत्तर दिया जाना सम्भव नहीं है।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : The question was clear. Sir. It is not that you are to give audit report for all the twelve thousand. But about which you have got specific complaints about misappropriation of funds etc.

श्री दौलतराम सारण : जो इन्फॉर्मेशन मांगी है वह उनसे ही प्राप्त हो सकती है और इसमें इतना समय लगेगा, पब्लिक वर्क सफर होगा इसलिए यह इन्फॉर्मेशन देने में असमर्थ हूं।

श्री पी.के. चौधरी : He is avoiding, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : I quite understand the Position.

श्री श्रीभानसिंह : I want to submit one thing. I think the answer given is rather frivolous by the Hon'ble Dy. Minister.

को-ऑपरेटिव सोसाइटीज़ के अन्दर करप्शन है, गबन है। इसकी इन्फॉर्मेशन हाउस

Page No.11

(श्री श्रीभानसिंह)

मांगता है। इसके लिये कहना कि पब्लिक वर्क सफर करेगा क्योंकि स्टाफ को इसके लिये टाइम डिवोट करना पड़ेगा वह करप्शन को कर्ब करने में क्रश करने में, करेंगे। सदन में पूछा गया है कि करप्ट सोसाइटीज कितनी हैं तो क्या १४,००० को-ऑपरेटिव सोसाइटीज़ करप्ट हैं? सबकी सब करप्ट हैं? अगर सब करप्ट हैं तो इसके माने यह हुए कि आपका यह इफर्ट नाकामयाब रहा, को-ऑपरेटिव सोसाइटीज़ मूवमेंट फेल रहा?

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : आइ एम सोरी, ट्विस्ट करके कहना उचित नहीं कि १४,००० सोसाइटीज़ करप्ट हैं। उन्होंने कहा कि इनके बारे में जानकारी प्राप्त करनी होगी और समय ज्यादा लगेगा तो सदन के माननीय सदस्यों को सूचना न देने का भी प्रश्न नहीं है। इसमें जितना समय लगेगा, लेबर लगेगा उनको देखते हुए कहा गया। इसका मतलब न यह है कि उत्तर नहीं दिया जाना चाहिए या १४,००० सोसाइटीज़ करप्ट हैं। पर यह बात है कि १४,००० के बारे में जानकारी प्राप्त करके उत्तर दिया जाये तो समय लगेगा। माननीय सदस्यों को जानकारी प्राप्त करने का अधिकार नहीं, ऐसी कोई बात नहीं कही गई है। समय का क्वेश्चन है कि समय ज्यादा लगेगा।

श्री पी.के. चौधरी : The question was only for...

श्री उपाध्यक्ष : I understand that, It will not need much time to answer. It refers to only those against which there are complaints. So I would like that the answer be given.

श्री पी.के. चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न को ठीक तरह से देखा जाता तो....

श्री दौलतराम सारण : प्रश्न यह है कि राजस्थान में ऐसी कितनी सहकारी समितियां हैं...

श्री श्रीभानसिंह : I think the Hon'ble Dy. Minister must abide by the observations.

श्री उपाध्यक्ष : It needs an answer– It is nt soo much eladorate and the refore you will please try to giye an anewer next time.

श्री जयचन्द्र मोहिल : माननीय-उपाध्यक्ष............

श्री उपाध्यक्ष : He may give it on the next turn.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : But on the next turn it may be difficult because it will be after only three days and this information whatever just you have said...

श्री उपाध्यक्ष : So after a week he may give it.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : Yes, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : Yes. Have you any instance to quote. ?

श्री जयचन्द्र मोहिल : मैं यह जानकारी देना चाहता हूं कि बजट सेशन की सूचना प्राप्त होने के शुरू में ही मैंने यह प्रश्न रखा था......

श्री उपाध्यक्ष : वह तो सब जानकारी हमें उपलब्ध हो गई है। कोई इन्स्टान्स है क्या एम.एल. ए. की ?

श्री जयचन्द्र मोहिल : इन्क्वायरी की जाय तो पता चल जायेगा। मैं जानकारी देने में असमर्थ हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आपके दिल में जो परेशानी हो तो साफ रख दीजिये।ताकि इन्क्वायरी अच्छी तरह हो सके।

(हंसी)

श्री लक्ष्मीचन्द।

जेलों व सब जेलों में वार्ड्स के क्वार्टर्स

२६८. **श्री लक्ष्मीचन्द** (सांचोर) : क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे।

(१) क्या जेलों व सब जेलों पर वार्ड्स के क्वार्टर्स होने ज़रूरी हैं ?

(२) यदि हां, तो जालोर जिले की कौन कौन सी जेलों पर क्वार्टर नहीं बने हुए हैं ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) जी हां, निहायत जरूरी है।

(२) जालोर जिले में तीन सब जेल, जालोर, भीनमाल और सांचोर हैं। इन सब स्थानों पर असिस्टेन्ट जेलर के लिए फेमिली क्वार्टर और वार्डर स्टाफ के लिए बेरेक बनी हुई हैं। हैड वार्डर और वार्डर के फेमिली क्वार्टर बनाने का मामला विचाराधीन है।

श्री लक्ष्मीचन्द : कब से विचाराधीन है ?

श्री रामकिशोर व्यास : रुपया मिलने पर होगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

साहित्य अकादमी

२६६. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : क्या मुख्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे।

(१) राजस्थान साहित्य अकादमी पर अब तक सरकार ने कितनी धनराशि खर्च की?

(२) इस अकादमी ने अब तक क्या प्रगति की है ? इसकी जानकारी के साथ समस्त पदाधिकारियों के नाम व उनको मिलने वाले महनताने का ब्यौरा देने की कृपा करें।

(३) क्या अकादमी ने प्रान्त के नवोदित साहित्यकारों को कोई साहित्यवृत्ति प्रदान की है ?

(४) यदि हां, तो किस किस को और किस आधार पर दी गई। कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(५) क्या इस साहित्य-वृत्ति को प्राप्त करने वालों में कुछ सरकारी कर्मचारी भी हैं ? यदि हां, तो कितने व कौन कौन ?

उप-मंत्री शिक्षा (श्री पूनम बिश्नोई) :
(१) ३१ जुलाई १६५६ तक सरकार ने ४६,२०६ रुपये ३६ नये पैसे खर्च किये।

(२) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

Page No.13

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

(३) यथोदित साहित्यकारों को उनकी साहित्यिक कृतियों पर केवल प्रोत्साहन स्वरूप पुरस्कार दिया गया है किन्तु वृत्ति देने का प्रश्न अभी विचाराधीन है।

(४) तथा (५) प्रश्न नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री मुरलीधर व्यास : पुरस्कार कितने रुपयों का दिया गया है।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : २५०० रुपये का दिया गया है।

श्री मुरलीधर व्यास : किसको दिया गया है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : श्री परमेश्वर-सिंह, ठाकुर श्री रणवीरसिंह, श्री उदयसिंह-भटनागर, श्री यादवेन्द्र चन्द्र और श्री राम-चरण महेन्द्र।

श्री दयाकृष्ण विजय : (छाबड़ा) क्या यह सही है कि पुरस्कार समिति बनी थी, उसे पूछा तक नहीं गया ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जी नहीं।

श्री दयाकृष्ण विजय : कोई पुरस्कार समिति साहित्य अकादमी के अन्तर्गत बनी हुई है कि नहीं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह सूचना मेरे पास नहीं है लेकिन मैं यह कहूँगा कि कुछ भी किया गया वह उनकी सलाह से किया गया है।

श्री दयाकृष्ण विजय : जब पुरस्कार समिति बनी हुई थी...

श्री उपाध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

श्री मुरलीधर व्यास : पुरस्कार समिति बनी हुई थी या नहीं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मैंने यह निवेदन किया कि यह मेरे पास सूचना नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : इसमें ४६ हजार खर्च किये और उसमें जो कुछ खर्चा हुआ उसमें डाइरेक्टर की तनख्वाह ५०० से ८५० तक और सेक्रेटरी से की ५०० से रखी है। इस प्रकार और भी सारे कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाह मिला कर २६ हजार साल का खर्चा होता है। तो ४५ हजार में से आधा तो ऑफिसरों के खर्च में ही चला गया। तो फिर आपने साहित्य अकादमी पर क्या खर्च किया ? यह एक महत्वपूर्ण बात है।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : साहित्य अका-दमी के संगठन में थोड़ी देर हुई इसलिये खर्चा कम हुआ अन्यथा पिछली साल १ लाख ७६ हजार रखा। हो सकता है कि ४५ हजार खर्च हुए हों बाकी इसमें रखे।

श्री मुरलीधर व्यास : ४५ हजार खर्च हुआ ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जितना रखा गया उससे बहुत ज्यादा मात्रा में।

श्री मुरलीधर व्यास : आपने डाइरेक्टर का वेतन ५०० से ८५० रखा है वह किस उद्देश्य से रखा है ?

Page No.14

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जो रखा है वह ठीक है। क्योंकि जब तक इसका कोई अच्छा संचालक नहीं होगा तब तक वह आगे बढ़ नहीं सकती।

श्री उपाध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द।

श्री दयाकृष्ण विजय : बोलने के लिये खड़े होने पर।

श्री उपाध्यक्ष : I have taken other questin.

Next. Sri Laxmi Chand

बहुधंधी सोसाइटी, ग्राम ललासरी (डीडवाना)

२७०. **श्री लक्ष्मीचन्द** (सांचोर) : क्या मंत्री, सहकारी विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या यह सत्य है कि ललासरी बहुधंधी सोसाइटी, तहसील डीडवाना के अध्यक्ष श्री मांगुराम के खिलाफ सोसाइटी की रकम गबन करने की कोई शिकायत आई है ?

(२) यदि हां, तो कब और उस पर क्या कार्यवाही की गई है।

उप-मंत्री, सहकारी (श्री दौलतराम-सारण) : (१) जी नहीं।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट।

डाइरेक्टर कॉलोनाईजेशन, हनुमानगढ़ द्वारा सरकारी जीप में की गई जयपुर की यात्राएं

२७१ **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या सिंचाई मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :-

(क) डाइरेक्टर कॉलोनाईजेशन, हनुमानगढ़ ने सन् १६५८-५६ में कितने दफे सरकारी जीप द्वारा जयपुर की यात्राएं की ?

(ख) क्या वे रेल मार्ग के होते हुए भी हनुमानगढ़ से जयपुर तक सरकारी नियमों के मुताबिक सरकारी जीप द्वारा यात्रा करने के अधिकार हैं ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास): उपाध्यक्ष महोदय, यह कॉलोनाईजेशन से सम्बन्ध रखता है। इसका जवाब माननीय राजस्व मंत्री देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : Postponed. Next. Shri Moolchand Daga.

दरबार कन्या पाठशाला, पाली

२७२ **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(१) पाली शहर की कन्या दरबार पाठशाला में छात्राओं की संख्या क्या है ?

(२) क्या सरकार इसे हायर सेकिण्डरी स्कूल में परिवर्तित करने का विचार रखती है, यदि हां, तो कब से ?

उप मंत्री शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) (१) कुल संख्या ४४१ है।

Page No.15

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

(२) जी हां। परन्तु भवन पर्याप्त न होने के तथा जनता का पूर्णरूपेण सहयोग प्राप्त न होने के कारण इस वर्ष इसको हायर सेकिन्डरी स्कूल नहीं बनाया जा सका। अगले वर्ष जनता ने भवन की कमी को पूरा कर दिया तो इस पर विचार किया जावेगा।

श्री मूलचन्द डागा : वहां पर जो पहले कमरे बने हुए हैं सरकारी स्कूल के कमरे थे ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह तो मुझे जानकारी नहीं है। अगर आप अलग से प्रश्न पूछेंगे तो जानकारी करूंगा लेकिन अभी यह जो सूचना है वह यह है कि वहां पर्याप्त भवन नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : तीन कमरे ऑलरेडी बने हुए हैं।

मुख्य मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): अगर भवन ठीक होगा और छात्राओं की संख्या उचित उपलब्ध होगी तो अगले वर्ष विचार किया जावेगा।

श्री मूलचन्द डागा : वहां पर छात्राओं की संख्या काफी है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं आपकी जानकारी के लिये बता देना चाहता हूं कि वहां पर ८वीं कक्षा में सिर्फ १४ लड़कियां हैं।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री अमृतलाल यादव, भूतपूर्व मन्त्री में स्टेट होटल, बीकानेर की बकाया रकम

२७३. **श्री गिरधारीलाल** (नोखा) : क्या मुख्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

१. क्या यह सही है कि भूतपूर्व मन्त्री, श्री अमृतलाल यादव के नाम बीकानेर स्टेट होटल की बकाया चली आ रही है ? अगर हां, तो कुल कितनी व कब से ?

२. अब तक बकाया रकम वसूल न हो सकने का क्या कारण है और अब यह रकम कब तक जमा करा दी जायेगी ?

मुख्य मन्त्री (श्रीमोहनलाल सुखाड़िया) :

(१) श्री अमृतलाल यादव, भूतपूर्व मन्त्री राजस्थान के खिलाफ बीकानेर स्टेट होटल की कोई रकम बकाया नहीं है लेकिन सर्किट हाऊस बीकानेर के १६६ रुपये ४४ नये पैसे दिनांक १३-१-५४ से बकाया हैं।

(२) श्री रामरतन कोचर, प्रेसीडेन्ट, जिला कांग्रेस कमेटी ने उक्त रकम देना स्वीकार किया है अतः मैनेजर सर्किट हाऊस बीकानेर तथा श्री कोचर के मध्य पत्र-व्यवहार जारी है और आशा है कि यह रकम शीघ्र ही प्राप्त हो जायेगी।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : यह रकम रामरतन कोचर द्वारा देने को कब स्वीकार किया गया था। अभी किया गया या पहले ही किया जा चुका था ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : पहले ही किया जा चुका है।

श्री गिरधारीलाल : जब उन्होंने सन् १६५४ में रकम देना स्वीकार किया तो अभी तक क्यों नहीं रकम जमा कराई ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने निवेदन किया कि मैनेजर सर्किट हाऊस,

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

बीकानेर तथा श्री कोचर के आपस में पत्र-व्यवहार चल रहा है।

श्री गिरधारीलाल : अगर श्री रामरतन कोचर उक्त रकम को नहीं देंगे तो कौन देगा ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : फिर उन्हीं से वसूल की जावेगी।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : जब ऑफिशियल विज़िट थी तो यह रुपये देने की जिम्मेदारी श्री रामरतनजी कोचर ने क्यों ली? जब उन्होंने यह रकम लेने की जिम्मेदारी ली है तो क्या यह प्राइवेट विजिट थी? अगर यह माना जावे कि यह ऑफिशियल विजिट नहीं थी, तो उन्होंने टी० ए०, डी० ए० लिया या नहीं ?

श्री मोहनालाल सुखाड़िया : यह एक बिल्कुल अलग प्रश्न है। इसकी जानकारी मेरे को नहीं है। लेकिन जब रामरतन चोकर ने इन रुपयों को चुकाने की जिम्मेदारी ली हैं तो कोई नेशनल फंक्शन होगा।

श्री श्रीभानसिंह : जब पर्सनल केपेसिटी में गये तो टी० ए० और डी० ए० लिया या नहीं और क्या उन्होंने श्रीरामरतन जी कोचर से कहा कि मेरी रकम आप चुकादीजिए ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अभी मुझे उस बारे में जानकारी नहीं है कि वे किस केपेसिटी में वहाँ पर गए थे।

श्री श्रीभानसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि कोई भी मिनिस्टर इस मिनिस्ट्रियल केपेसिटी में जावे और अपनी लाइबिलिटी किसी पर छोड़ दे तो यह तो एक गलत प्रैसीडेन्ट होगा और यह ठीक नहीं होगा। इसलिए इसकी जानकारी की जावे।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह जानकारी करूंगा।

श्री अमृतलाल यादव : (जालोर सु) उपाध्यक्ष महोदय, यह मेरे से सम्बन्ध रखता है।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री मुरलीधर व्यास।

श्री श्रीभानसिंह : Under the Rules I table my supplementaries to the Hon'ble Member, Sir, who is present here in the House.

श्री उपाध्यक्ष : Under tbe circumstances, I am not allowing the supplementaries.

श्री श्रीभानसिंह : But I am afraid, sir. Wehn the Hon'ble Member is present here, and he undertakes to reply, I may place my all the supplementaries to him.

श्री उपाध्यक्ष : I am sorry, I will not allow it.

श्री श्रीभानसिंह : Under what rules I am not allowed ?

श्री उपाध्यक्ष : That is the discretion vested in the Chair and another question has been taken.

Page No.17

श्री श्रीभानसिंह : I am entitled under the Rules.

श्री उपाध्यक्ष : I have already annouced the name of another Hon'ble Member.

श्री श्रीभानसिंह : That will injure the reputation of the Hon'ble Member and therefore he should be given an opportunity to clarify his position.

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : He should be given a chance Sir.

(व्यवधान)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : I don't understand why there is a connection. I have stated that the amount will be realised.

श्री पी० के० चौधरी : It is a reflection on the Hon'ble Member and therefore he should be given a chance.

श्री उपाध्यक्ष : No, I don't take it.

श्री पी० के० चौधरी : When the Hon'ble Member is sitting here in the House. It is a very important question and as you know how the Secretary of the President Eisonhower has to resign because he accepted the hotel charges from another person and such matters, I don't think we should take it so lightly and if a Secretary of the President Eisonhower should be asked to resign the Hon'ble Member should be given an opportunity to reply.

श्री उपाध्यक्ष : You cannot take this view of this arrival...

श्री पी० के० चौधरी : He is here Let him say....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इन चार्जेज से कोई भी यह समझ सकता है कि एक रोज रहने के १६६ रुपये नहीं हो सकते। कोई न कोई नेशनेलाईजेशन का कार्य हुआ होगा । अकेले आदमी का १६६ रुपये का बिल नहीं हो सकता ।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : मैं आपकी जानकारी के लिये बता देना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री श्री अमृतलाल यादव वहाँ पर बीमार थे और ऑफ ड्यूटी में थे, वे पैसे हैं।

श्री गिरधारीलाल : उन्होंने चार, पांच साल हो गये, अभी तक जब जिम्मेदारी ली तो पैसे क्यों नहीं दिये ?

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट । श्री मुरलीधर व्यास ।

भूतपूर्व नगरपालिकाध्यक्ष, छोटी सादड़ी द्वारा जनसंघी सदस्य की नाक चबा डालना।

२७४. **मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि छोटी सादड़ी में कुछ समय पूर्व भूतपूर्व म्युनिसिपल चेयर-

Page No.18

(श्री मुरलीधर व्यास)

मैन श्री यादव ने एक जनसंघी सदस्य की नाक दाँतों से चबा कर काट दी ?

(२) यदि हाँ, तो इस घटना पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास): (१) जी हाँ ।

(२) इसके खिलाफ मुकदमा जेर दफा ३२६ आई. पी. सी. का उस ही दिन फौरन कायम किया गया और ता० २६-५-५८ को मुकदमे का चालान मुन्सिफ मजिस्ट्रेट नीमखेड़ा में किया गया जहाँ से इसको जेर दफा ३२६ आई. पी. सी. में ६ महीनों की सजा व सौ रुपया जुर्माना और जुर्माना न देने पर एक महीने की सजा का हुक्म हुआ ।

श्री मुरलीधर व्यास : दाँत से चबा दी या चाकू से उड़ा दी ?

श्री रामकिशोर व्यास : इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है ।

श्री मुरलीधर व्यास : 'जी हां' कहा तो जानकारी है तब ही तो कहा ।

श्री रामकिशोर व्यास : 'जी हां' कहा तो समझ लीजिये ।

श्री गिरधारीलाल : जब यादवजी के दाँत इतने खतरनाक हैं तो क्या वे पुलिस से रजिस्टर कराये गये थे ?.

(हंसी)

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : क्या इस तरह से दाँत रखने की पर्मिशन ली थी ?

श्री मुरलीधर व्यास : मेडीकल जाँच कराई गई थी या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष : जब केस चला है तो मेडीकल जाँच हुई होगी, बिना जाँच हुए तो केस चल नहीं सकता ।

श्री मुरलीधर व्यास : जाँच की आवश्यकया थी ।

श्री उपाध्यक्ष : The Hon'ble Ministre has replied that he has been sentenced, it must te based on medical grounds.

श्री मुरलीधर व्यास : मैं जानना चाहता हूँ ।......

श्री उपाध्यक्ष : क्या जानना चाहते हैं ?

श्री मुरलीधर व्यास : यह जानना चाहता हूँ कि नाक है या नहीं ?

श्री दौलतसिंह (आबू) : ऐसे दाँतों को रखने के लिए लाइसेन्स लेना जरूरी है या नहीं ?

(हंसी)

डॉ० चंद्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) दाँत काटा किसको ?

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : जनसंघी का नाम क्या था ?

श्री उपाध्यक्ष : डॉ० चन्द्रकला ।

हरिजन बस्ती हसनपुरा (जयपुर) में स्कूल भवन का निर्माण

२७५. **डॉ० चंद्रकला** (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(डॉ० चन्द्रकला)

(क) क्या यह सच है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग ने हरिजन बस्ती, हसनपुरा, जयपुर में स्कूल भवन का निर्माण कराया है ?

(ख) यदि हाँ, तो उक्त स्कूल में कुल कितने कमरे और बरामदे हैं और कमरों की लम्बाई-चौड़ाई कितनी है ?

(ग) इस स्कूल भवन में कुल कितना रुपया खर्च हुआ ? खर्च का ब्योरेवार विवरण सदन की मेज़ पर प्रस्तुत करें ?

(घ) इस स्कूल भवन को बनाने का ठेका किसको दिया गया था ? क्या उसने शर्तों के अनुसार सामान लगा कर भवन तैयार किया है ?

(ङ) क्या यह सच है कि इस स्कूल भवन की फर्श में कँक्रीट आदि न लगा कर केवल मिट्टी पर ही सीमेन्ट कर दिया गया है ?

(च) क्या यह सच है कि यह भवन लागत के लायक नहीं बना है ? क्या सरकार इस सम्बन्ध में जाँच करके उचित कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई): (क) जी हाँ।

(ख) सिर्फ एक कमरा है जिसकी कि लम्बाई-चौड़ाई अन्दर से १४×६ फीट है।

(ग) १,२१६) रु० ब्योरा प्रस्तुत है।

(घ) श्री खंडेलवाल ठेकेदार को दिया गया था। शर्तों के अनुसार सामान लगा कर तैयार किया है।

(ङ) जी नहीं।

(च) वह भवन लागत के मुताबिक है। कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिए)

डॉ० चन्द्रकला : सार्वजनिक निर्माण विभाग ने ठेकेदार को मकान बनाने को दिया था तो उसको मकान का नकशा बताया था या अपने मनमाने ढंग से बनाने के लिए कहा था ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : बाकायदा नकशा बनाया गया था और उसी के अनुसार बनाया गया।

डॉ० चन्द्रकला : ऐसे मामलों में क्या शिक्षा विभाग की राय ली जाती है या स्कूल की दूसरी सुविधाओं का ख्याल रखा जाता है या निर्माण विभाग अपनी राय से ही बना देता है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : शिक्षा विभाग की राय ली जाती है।

डॉ० चन्द्रकला : क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि स्कूल के भवन में कहीं खिड़की है या नहीं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह प्रश्न पूछा नहीं गया। यदि पूछतीं तो बता देता।

श्री उपाध्यक्ष : खिड़की और बरामदे होंगे।

Page No.20

डॉ० चन्द्रकला : छोटी सी बिल्डिंग है। कम लागत में तैयार हुई है। जितनी लागत होनी चाहिये थी उतनी नहीं लगी। ऐसा लगता है कि ठेकेदार ने कहीं गड़बड़ी जरूर की है।

श्री पूनमचंद बिश्नोई : मैंने आपको बताया कि सरकार ने इस पर १,२१६) रु० खर्च किया। जिस तरह की बनानी थी बनाई और ठेकेदार ने कोई गड़बड़ी नहीं की।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल।

पुलिस विभाग द्वारा लिए जाने वाले सामान के क्रय सम्बन्धी नियम

२७६. श्री गिरधारीलाल (नोखा) : क्या गृह मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि पुलिस विभाग द्वारा हर साल वर्दियां, लेखन सामग्री, कम्बलें, मच्छरदानियां, जूते आदि सामान खरीदे जाते हैं ?

(२) उपरोक्त सामान की खरीद के क्या नियम हैं ?

(३) यदि कोई नियम नहीं हैं तो क्या सरकार जल्दी से जल्दी इस सम्बन्ध में कोई नियम बनाने का विचार रखती है ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) वर्दी व लेखन सामग्री हर साल खरीदी जाती है परन्तु इनके प्रत्येक आइटम हर साल नहीं खरीदे जाते।

(२) यह सामान जनरल फाइनेन्शियल एण्ड अकाउन्ट्स रूल्स में दिये गये नियमों के अनुसार टेण्डर मांग कर खरीदा जाता है।

(३) प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : सालाना कितने रुपयों की कितनी खरीद की जाती है ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह मैं अर्ज नहीं कर सकता।

श्री गिरधारीलाल : क्या सरकार अलग से नियम बनाने का विचार रखती है ?

श्री रामकिशोर व्यास : फिर आपने क्या सुना ? मैंने इसमें क्या कहा था ?

श्री उपाध्यक्ष : नियम तो है।

डॉ० चन्द्रकला।

सब्जी मण्डी जयपुर में विभिन्न बाटों का प्रयोग

२७७. डॉ चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सच है कि जयपुर शहर में सब्जी मण्डी में व्यापारी किसानों से पुराने जयपुर के सेर से तोल कर तरकारी आदि लेते हैं, जो ८४ तोले का होता है और व्यापारी नये सेर से जनता को बेचते हैं, जो ८० तोले का होता है ?

(ख) क्या सरकार इस अन्तर को मिटा कर सब जगह एक सा ही तोल जारी करने की व्यवस्था करेगी ?

उप मन्त्री, उद्योग (श्री खिबचन्द धारीवाल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

डॉ० चन्द्रकला : जी नहीं, किस आधार पर कह रहे हैं ? क्या सब्जी मण्डी में जाकर जांच की कि वहां दो बाट नहीं चल रहे हैं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जब कि शिकायत नहीं थी हमको, तो जांच करने का मौका मिला ही नहीं। यदि आप सब्जी मण्डी में खरीदने के लिए गई हों तो बता दीजिये।

डॉ० चन्द्रकला : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे उप मन्त्री महोदय के उत्तर पर सख्त आपत्ति है कि मैं सब्जी मण्डी में खरीदने के लिए गई और यह प्रश्न रख दिया।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री नाथूलाल करोल।

गांधीनगर-सांगानेर स्टेशन रोड

२७८. **श्री नाथूलाल करोल** (लालसोट-सु.) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) गांधीनगर के चौराहे से सांगानेर स्टेशन तक सड़क किस ठेकेदार द्वारा कब बनाई गई है ?

(२) क्या उस ठेकेदार ने नियमानुसार सड़क बनाई है ?

(३) यदि हां, तो इसकी चौड़ाई क्या है और उसने सड़क के दोनों सिरों को क्यों नहीं दबाया व आज उसकी क्या हालत है ?

उप मन्त्री, निर्माण (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) :(क) श्री चन्द्रभान ठेकेदार द्वारा। अप्रेल १९५६ में।

(२) जी हां।

(३) झण्डा सर्किल से एक मील तक १६ फीट और १ मील से सांगानेर रेलवे स्टेशन तक १० फीट। उसका सिरा दबाया गया था और उसकी हालत अच्छी है।

श्री नाथूलाल करोल : आज कल हालत कैसी है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : बिल्कुल अच्छी है।

श्री नाथूलाल करोल : बिल्कुल खराब है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री पी० के० चौधरी।

गम्भीरीबांध

२७६. **श्री पी० के० चौधरी** (फुलेरा): Will the Irrigation Minister be pleased to state :

(a) What was the total cost incurred by the Government in the construction of Gambhiri Dam and its canal system ?

(d) What is the estimated command area of the Dam ?

(c) How many acres have so far been actually irrigated in the project area and what is the quality and type of the soil so far irrigated ?

(d) Is it correct that nearly 6,000 acres of Black Soil land have been submerged on account of the construction of this Dam ?

(e) Is it correct that heavy seepage has taken place in the canal area?

(श्री पी० के० चौधरी)

If so, what is the percentage of water supply lost by seepage, the estimated area of one waste on that account and what steps the Government has taken to prevent this seepage ?

(f) Is it corret that almost in the entire area so far irrigated land revenue is charged at 'Chahi Rates' rather than at 'Barani' Rates. If so, on what Dams ?

(g) Is it correct that in the years 56-57 and 57-58 water was supplied for one or two watering but the agriculturists have been charged at full rates as if they were supplied water for 5 or 6 waterings ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री भीखा भाई) : (a) The total expenditure incurred on the Gambhiri Project upto 30-6-59 is Rs. 43'60 lacs.

(b) The total culturable commanded area of the project is 24,000 acres at present.

(c) The areas irrigated yearwise are as under:-

1956-57	1036	acres.
1957-58	3500	acres.
1958-59	4644	acres.

The soils irrigated are black, yellow and loamy soils.

(d) The total area coming under submergeence at the full tank level is 6,000 acres out of which 3,550 acres are culturable and the remaining 2,450 acres unculturable waste and comprised of various types of soils.

(e) About 25% of the discharge passed into 2. 12 miles length of the canals and sufficient to irrigate about 1,000 acres is lost by seepage. These portions of the canal are being lined with cement concrete.

(f) This does not relate to this Department.

(g) It is correct that in some cases one or two waterings only were applied. Full rates in all such cases have been charged as per rules except in cases where applications for remission due to failure of crops were received and considered genuine.

श्री पी० के० चौधरी : The submerge area is about 6 thousand acres where as the area irrigated is about 4 thousand. There is a very inferior type of soil. What is the reason that throughout the irrigated soil it is not so fertile ?

श्री भीखाभाई : I have just read in reply to qnestion no. 2. I have said that...

श्री पी० के० चौधरी : According to your statement it is not that 3 thousand. The irrigated soil...

श्री भीखाभाई : The question is how much area is going to be irrigated ? It is about 20 thousand acres...

श्री पी० के० चौधरी : You have almost completed the construction of the Dam. What is the total estimated cost ? It is near about completion but after that you have been able to irrigate 4 thousand acres.

सिंचाई मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास): जितने टार्गेट्स होते हैं वे बनते ही पूरे नहीं हो जाते हैं।

श्री पी० के० चौधरी : Then how long you will take to complete it ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह तो समय लेगा !

श्री पी० के० चौधरी : What will be the estimated cost ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहब्बतसिंह।

सिरोही जिले में सड़कों का निर्माण

२८०. **श्री मोहब्बतसिंह** : Will the Minister for Public Works Department be pleased to State:

When does the Government contemplate to take in hand the work of the following roads in Sirohi District:—

(i) Sirohi Kalandri road via Padir,
(ii) Kalandri-Jaswantpura road via Sildar, and

(iii) Sarupganj-Kalandri road.

उप मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भीखाभाई) : (i) There is neither proposal for the construction of this road nor this work has been sanctioned in the Plan.

(ii) -do-

(iii) A pucca road from Sarupganj to Kalandari already exists..

पार्वती बांध

२८१. **डॉ० बहादुरसिंह** (धौलपुर): क्या सिंचाई मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या पार्वती बांध के कांकोर नाला एक्वेडक्ट अब तक तीन तीन बार टूट चुका है ? यदि हां तो किन किन तिथियों को और निर्माण के कितने दिन बाद ?

(२) क्या यह भी सत्य है कि उक्त एक्वेडक्ट में से ३३० क्यूसेक (cusace) पानी निकालने की अधिकतम सीमा है ? यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि उक्त एक्वेडक्ट से ४० क्यूसेक पानी निकालने पर ही टूट गया ?

(३) इसके टूटने के क्या कारण है ? जिन लोगों की जिम्मेदारियां थीं उनके विरुद्ध क्या क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उपमंत्री सिंचाई (श्री भीखाभाई) :

(१) कांकोर नाला एक्वेडेक्ट केवल दो बार कुछ क्षतिग्रस्त हुआ है, तीन बार नहीं। पहली बार २५-१२-५८ को व दूसरी बार १६-२-५६ को। पहली बार जब पानी चलाया गया था तो पानी एक्वेडक्ट में पहुंचने पर दाहिनी ओर की दीवार का आखिरी हिस्सा पानी निकलने के कारण बैठ गया था। मामूली मरम्मत के बाद दूसरी बार जब

(श्री भीखाभाई)

पानी १६।२।५६ को चलाया तो बांई और की दीवार का आखिरी हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया।

(२) जी हां।

(३) कारणों की जांच जारी है। जिसका दोष निर्धारित होगा उसके विरुद्ध उचित कार्यवाही की जायगी।

डॉ० बहादुरसिंह : प्रश्न यह था कि जब दो बार टूटा जिसकी केपेसिटी ३३० क्यूसेक पानी निकालने की है फिर चालीस क्यूसेक पानी निकालने पर ही कैसे टूट गया और जांच किस अधिकारी द्वारा करवा रहे हैं ?

श्री भीखाभाई : मैंने इसके लिये जी हां कहा था। कारणों की जांच जारी है जिसका दोष होगा उसके विरुद्ध उचित कार्यवाही की जायेगी।

डॉ० बहादुरसिंह : कौन अधिकारी जांच कर रहे हैं ?

श्री भीखाभाई : डिपार्टमेन्ट के सीनियर ऑफिसर।

डॉ० बहादुरसिंह : वे आफिसर्स कौन हैं ?

श्री भीखाभाई : यह सूचना इस वक्त मेरे पास नहीं है।

डॉ० बहादुरसिंह : क्या यह सत्य है कि कोई अधिकारी जांच नहीं कर रहे हैं ?

श्री भीखाभाई : यह सही नहीं है।

डॉ० बहादुरसिंह : क्या यह भी सत्य है कि कोई एक्सपर्ट अधिकारी जाँच नहीं कर रहे हैं ?

सिंचाई मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास): इर्रिगेशन डिपार्टमेन्ट को भेजा है चीफ इन्जीनियर इन्क्वायरी करके भेजेंगे।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : प्रश्न पूछा गया था 'क्या बांध टूट गया है' आपने उत्तर दिया 'टूटा नहीं क्षतिग्रस्त हुआ है' तो टूटने में और क्षतिग्रस्त होने में क्या अन्तर है ?

श्री उपाध्यक्ष : शब्दों का हेर फेर है।

श्री भीखाभाई : पूरा टूट जाता है और जिससे बहुत क्षति होती है उसे टूटना कहते हैं और जिससे साधारण क्षति हो उसे क्षतिग्रस्त कहते हैं।

डॉ० बहादुरसिंह : इसके रिपेयर करने में कितना व्यय हुआ है ?

श्री भीखाभाई : यह अलग से प्रश्न है।

प्रश्न संख्या २८२

श्रीउपाध्यक्ष : श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिए)।

श्री रामकरणसिंह : यह महत्व का प्रश्न है इसका उत्तर दिलवा दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : इसको बाद में देखा जायेगा।

श्री दयाकृष्ण विजय।

छबड़ा रेन्ज पर वन विभाग द्वारा बनाई गई सड़कें

२८३. **श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा)** : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

Page No.25

(श्री दयाकृष्ण विजय)

(क) क्या यह सही है कि छबड़ा रेन्ज में वन विभाग की ओर से कुछ सड़कें बनाई गई हैं ? यदि हाँ, तो कहाँ से कहाँ तक ?

(ख) इन सड़कों का एस्टीमेट कितना कितना अलग अलग बनाया गया है ?

(ग) क्या यह सही है कि एस्टीमेटेड रकम में अनुमान से केवल आधी ही लम्बी सड़कें बन पाई हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

उपमन्त्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) :

(१) जी हां। भूलोन से जेपला उचावद होकर छबड़ा तक।

(२) १६५७-५८ में प्रारम्भिक एस्टीमेट २५ मील सड़क के लिए १७,८५० रु० का बनाया गया। जिसमें ४ मील ६ फर्लांग सड़क ४,७३५ रुपये ४३ न० पै० में बनाई गई। १६५८-५६ में बाकी सड़क का एलाइनमेन्ट रिवाइज़ किया गया जिसमें १५ मील सड़क का २२,५०० रु० का एस्टीमेट बनाया गया।

(३) जी नहीं।

श्री दयाकृष्ण विजय : एस्टीमेट किसने बनाया था ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : विभाग द्वारा ही बनाया गया था किन्तु भावों में बढ़ोतरी के कारण और एलाइनमेन्ट के चेन्ज करने के कारण खर्चा ज्यादा पड़ा।

श्री दयाकृष्ण विजय : एस्टीमेट के बावजूद भी सड़क का हिस्सा इतना कम क्यों बना ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : एलाइनमेन्ट के चेन्ज करने के कारण हो सकता है। नाले इत्यादि बीच में हो उसके कारण खर्च ज्यादा करना पड़ा।

श्री दयाकृष्ण विजय : नाले इत्यादि की बात पहले एस्टीमेट के समय नहीं देखी गई थी क्या ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मैंने निवेदन किया एलाइनमेंट को बदला गया इस कारण भी खर्चा बढ़ा। पहले जो एस्टीमेट किया गया वह दूसरी तरफ से था फिर उसको बदला गया।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शंकरलाल।

(अनुपस्थित)

मेजर श्री फतेहसिंह।

अजमेर के हायर सेकिण्डरी स्कूल्स

२८५. मेजर श्री फतेहसिंह (भीम) : Will the Education Minister be pleased to state :

1. How many Higher Secondary Schools are functioning at Ajmer and since when ?

2. Has the Government made any provision for the three years degree course in any college at Ajmer ? And if so, since when ?

उप-मन्त्री, शिक्षा (पूनमचन्द बिश्नोई):

1. Higher Secondary Schools are functioning at Ajmer :

Page No.26

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

(1) Govt. M. P. H. S. School, Ajmer 1956-57.

(2) Govt. Moinia Islamia H. S. S. Ajmer, 1959-60.

(3) Govt. Oswal Jain H. S. S. Ajmer, 1959-60

(4) Dayanand H.S. School, Ajmer. 1958-59.

(5) Pravasi Vidyalay H. S. School, Ajmer 1958-59.

(6) Saraswati Balika Vidyalay M. P. H. S. School, Ajmer, 1958-59

(7) Arya Putri Pathshala H. S. School, Ajmer 1958-59.

2. Yes, at Govt. College, Ajmer from the year 1958-59.

मेजर श्री फतेहसिंह : Besides these Higher Secondary Schools are there any High Schools also at Ajmer ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : Pardon- Are there any High Schools also ?

मेजर श्री फतेहसिंह : How many are there ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : That information has not been sought for from me. You have asked about Higher Secondary Schools.

मेजर श्री फतेहसिंह : Is it an Educational Policy of the Government to change all the High Schools in to Higher Secondary ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : Yes, Sir.

मेजर श्री फतेहसिंह : What is the target year for that ?

मुख्य मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): That may take nearly 10 years.

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहब्बतसिंह ।

लघु-सिचन योजनाओं का सर्वे

२८६ **श्री मोहब्बतसिंह (सिरोही)** :
Will the Minister for Irrigation Departmenr be pleased to state;—

Which are the schems of survey in Sirohi District in hand for minor irrigation works. ?

उप मंत्री,सिंचाई (श्री भीखा भाई) :
1. Surveys on the following seven miner Irrigation Schemes in Sirohi District are in hand.

1. Girwar.
2. Watera.
3. Battisa.
4. Godana.
5. Dhurwana.
6. Mandara.
7. Motigaon.

श्री मोहब्बतसिंह : क्या शिवगंज तहसील के अन्दर इस वक्त सर्वे हो रहा है ?

श्री भीखाभाई : जी हां, जैसे गोडाना, धूरवाना आदि ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हुकमसिंह ।

जिला जैसलमेर में खनिज उद्योग के विकास की योजना

२८७. श्री हुकमसिंह : क्या मन्त्री खनिज विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे :

जिला जैसलमेर में कौन कौन से खनिज पदार्थ उपलब्ध हैं और खनिज उद्योग को बढ़ाने के लिये सरकार वहां क्या योजना कार्यान्वित करने जा रही है ?

उप-मन्त्री, उद्योग (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : जिला जैसलमेर में जिप्सम, मुल्तानी मिट्टी, बेन्टोनाइट, कंकर, लाइमस्टोन, पीली मिट्टी, ग्लासलैंड इत्यादि खनिज उपलब्ध हैं ।

पेट्रोलियम की भी सम्भावनायें हैं और इसके बारे में भारत सरकार भौगर्भिक-सर्वे करा रही है ।

खनिज उद्योगों को बढ़ाने के लिये कोई और योजना नहीं है क्योंकि यह क्षेत्र रेल से बहुत दूरी पर है ।

श्रीमुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : सर्वे का कार्य जारी है या बन्द हो गया है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जारी है ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बेनाराम गहलोत ।

सोजत रोड से बगड़ी तक की सड़क का मेटल रोड बनाया जाना

२८८. श्री बेनाराम गहलोत (खारची) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

क्या सरकार सोजत रोड से बगड़ी तक की सड़क को मेटल रोड बनाने का विचार रखती है ? यदि हां तो कितनी धनराशि इस कार्य हेतु स्वीकृत की गई है और यह कार्य कब तक समाप्त हो जावेगा ?

उप-मन्त्री, शिक्षा (श्री पूनमचंद बिश्नोई) : जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दयाकृष्ण विजय ।

विद्युत गृह, बारां

२८९. श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : क्या विद्युत विभाग मन्त्री निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

१. बारां के निर्माणाधीन विद्युत गृह में लगने के लिये १०० अश्व शक्ति वाला इंजिन किसकी मार्फत मंगवाया गया है ?

२. क्या यह सही है कि उक्त कम्पनी के द्वारा भेजा हुआ उपरोक्त इंजिन बारां स्टेशन पर आया हुआ है ?

३. यदि हां, तो अब तक बिजली नहीं लगने का क्या कारण है ?

उप-मन्त्री, विद्युत (श्री भीखाभाई) : १. केन्द्रीय जल विद्युत आयोग के मार्फत । कनेडियन प्रोग्राम के अन्तर्गत ।

२. स्टेशन पर आया नहीं पड़ा लेकिन पावर हाउस में लगने की जगह पहुँच चुका है ।

३. बिजली लगाने का कार्य चालू है ।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या यह सही है कि जो १०० होर्स पावर का इंजिन मंगाया था उसकी जगह पांच होर्स पावर का आ गया था ?

श्री भीखाभाई : ऐसी जानकारी तो नहीं है लेकिन एक तो १०० अश्व शक्ति का है और दूसरा २५ का है दोनों इन्स्टाल्ड हो गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सज्जनसिंह।

बूंदी-शिकार बुर्ज-टीकड्दा-अलोद रोड़?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : माननीय उपाध्यक्ष, इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त नहीं हो सका है अतः इसका जवाब अगले सप्ताह में दिया जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : Postponed Shri Dayakrishna Vijay-

विकास खंड अटरू (कोटा)

२६१. श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : क्या विकास मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(१) विकास खंड अटरू (जिला कोटा) : द्वारा सन् ५७-५८ तथा ५८-५६ में कितना कितना ऋण तथा अनुदान किस किस व्यक्ति को किस किस कार्य के लिए दिया गया?

(२) जिन जिन व्यक्तियों को ऋण दिया गया है उन्हें वह ऋण कब तक लौटाना है? कृपया इसकी एक तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उप-मंत्री, राजस्व (श्री सम्पतराम) : (१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) यह सूचना उपरोक्त सूची में दे दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिए)

श्री उपाध्यक्ष : श्री सज्जनसिंह।

बांध निर्माण जिला बूँदी

२६२. श्री सज्जनसिंह (बूँदी) : क्या मंत्री सिंचाई विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) इस वर्ष बूँदी जिले में मीडियम या माइनर सिंचाई के कितने नये बाँध लिये जाने की योजना है तथा बाँध कहाँ कहाँ बँधवाये जावेंगे?

(२) यदि नहीं, तो किस कारण से?

(३) माइनर इर्रिगेशन वर्क्स के लिये इस वर्ष के बजट में कुल कितना प्रावधान है?

(४) किन किन जिलों में कितनी कितनी राशि इसमें से खर्च होगी?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री भीखाभाई) :

(१) बूँदी जिले में इस वर्ष किसी भी नये बाँध को बनवाने की योजना नहीं है।

(२) बूँदी जिले में अभी ही गुढ़ा, भीमलत, बुँदी का घोटड़ा, पाईवाला पूरा, तलवास व पेच की बावड़ी नामक योजनाओं के अन्तर्गत बाँध बनवाये गये हैं। जिन पर कुल ८५,००,००० रु० खर्च किया जा चुका है और सिंचाई भी चालू हो गई है। जब तक इन बाँधों में प्राप्त जल को सन्तोषजनक मात्रा में उपयोग में नहीं लाया जाता, अन्य योजनाओं पर अधिक खर्चा करना उचित नहीं होगा। इन्हीं योजनाओं पर अभी काफी और काम करने की गुंजाइश है और इन्हीं पर अधिक जोर दिया जाना उचित हैं। उपरोक्त

Page No.29

(श्री रामरतराम)

कामों के अतिरिक्त चंबल योजना के अन्तर्गत भी बूँदी जिले में काफी प्रगति व खर्चा किया गया है ।

(३) लघु सिंचाई योजनाओं के लिये ६० लाख रुपयों का प्रावधान रखा गया है ।

(४) प्रावधान का बंटवारा जिलेवार निम्न प्रकार से किया गया है:—

जिला	रुपये लाखों में
उदयपुर	२.७०
चित्तौड़	४.३५
बांसवाड़ा	०.८५
डूंगरपुर	२.२३
भीलवाड़ा	७.१४
सिरोही	३.८०
पाली	१.४०
नागौर	१.६०
झालावाड़	४.५०
जालोर	१.२०
बूँदी	०.५०
अजमेर	८.८०
सवाई माधोपुर	७.६५
टोंक	३.४७
जयपुर	१.५०
अलवर	१.५४
भरतपुर	३.५०
सीकर	१.७०
झुंझुनू	१.२६
योग	६०.००

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकरणसिंह ।

श्री सज्जनसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ सप्लीमेन्टरी पूछना चाहता हूं । अभी माननीय मंत्री महोदय ने यह बताया कि जो लिस्ट अभी पढ़ी गई है और डिस्ट्रिक्टवाइज वितरण किया गया है उसके बारे में मैंने अगर ठीक सुना है तो उन्होंने बूंदी डिस्ट्रिक्ट के लिए ८ लाख रुपया बताया और मेरे प्रश्न के भाग में उत्तर दिया गया है कि क्योंकि वहां इतने बांध पहले ही बन चुके हैं इसलिए वहां कोई योजना नई नहीं है । तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि जब वे यह कहते हैं कि कोई नई योजना नहीं है तो यह ८ लाख रुपया बूंदी जिले के लिए जो बताया यह कैसे खर्च होगा ?

श्री भीखाभाई : I am Soorry वह ५०,००० रु० के करीब है ।

श्री सज्जनसिंह : इसके बाद में दूसरा प्रश्न सप्लीमेन्टरी में, मैं, यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जिन जिलों के अन्दर बंटवारा मीडियम और माइनर इर्रीगेशन वर्क्स का बताया है क्या वहां पर मीडियम और माई-नर इर्रीगेशन वर्क्स पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं और उनका टार्गेट सब जगह पूरा हो चुका है ?

श्री भीखाभाई : मैंने कहा कि मीडि-यम और माईनर इर्रीगेशन वर्क्स एग्जिस्ट करते हैं इसलिए आवश्यकता नहीं है । माननीय सदस्य ने अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक सूची जरूर दी थी उनके सन्तोष के लिए मैं उनको बता दूं कि उनके क्षेत्र के दो तीन सर्वे भी चल रहे हैं ।

श्री सज्जनसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला है। मैंने यह कहा है कि जिस तरह से बूंदी के लिए यह कहा है कि मीडियम और माईनर इरींगेशन वर्क्स बन चुके हैं और उनका टार्गेट वहां पर पूरा हो चुका है इसलिए वहां पर अब आवश्यकता नहीं है तो मैंने पूछा है कि क्या यही क्राईटेरिया दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स पर भी लागू है ?

श्री भीखाभाई : सवाल तो इस बात का है कि जहां बहुत से इरींगेशन वर्क्स हो चुके हैं और जहां आवश्यक काम करना है उनको पहले प्रायोरिटी बेसिस पर लेना चाहिए और दूसरी योजनाओं को जिनका सर्वे भी अभी शुरू नहीं हुआ है बाद में उनको लिया जा सकता है।

श्री सज्जनसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि मेरे प्रश्न का सीधा जवाब नहीं देने का प्रयत्न किया गया है। मैंने डेफीनेटली यह पूछा है कि ऐसे प्रोजेक्ट्स दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में भी हैं तो वहां पर फिर दूसरे मीडियम और माईनर ईरिगेशन वर्क्स को लिया जा रहा है या नहीं ?

सिंचाई मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : माईनर इरींगेशन वर्क्स बूंदी में भी लिये जा रहे हैं। नये वर्क्स के लिए कहा गया कि बूंदी में और भी कई किये गये है और मैं आपको बताऊं कि ३ अन्डर सर्वे हैं। उनके नाम मैं आपको बताऊं वे इस प्रकार हैं पटवाड़ी, रनजिया और गोपालपुरा। इन तीनों का सर्वे हो चुका है और एडीशनल सर्वे हो रहा है।

श्री सज्जनसिंह : कौन कौन से हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : पटवाड़ी, रनजिया और गोपालपुरा।

श्री सज्जनसिंह : पटवाड़ी तो है लेकिन दूसरे नाम जो आपने बताये वे कौन कौन सी तहसील में हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : मेरे पास इस समय तहसील तो लिखी हुई नहीं है और डिटेल इस बारे में आप चाहेंगे तो मैं आपको जवाब दे दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकरणसिंह।

कोट से नारेड़ा तक की सड़क का निर्माण

२६३. **श्री रामकरणसिंह** (कोटपुतली): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

क्या सरकार कोट से नारेड़ा की करीब ५ मील की सड़क के टुकड़े को बना कर नारेड़ा खडब, पुवाला सरूड-भोजावास जगदीशपुरा आदि १० ग्रामों में व २ कस्बों को एस० डी० ओ० हैडक्वार्टर से मिलाने का विचार रखती है ?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : जी नहीं।

श्री रामकरणसिंह : क्या यह सही है कि वहाँ की डिस्ट्रिक्ट डवेलपमेंट कमेटी ने इसकी सिफारिश की है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : हो सकता है की हो।

श्री रामकरणसिंह : तो क्या जिन सड़कों के लिए डिस्ट्रिक्ट डवेलपमेंट कमेटी सिफारिश करती है उनका विचार नहीं किया जाता ?

Page No.31

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : सरकार के लिए सबको बनाना आवश्यक नहीं है।

श्री रामकरणसिंह : मैं आपको बताऊं कि क्या यह सही है कि कोटपुतली डिस्ट्रिक्ट डवेलपमेंट कमेटी ने जिन सड़कों के लिए सिफारिश की थी उनको नहीं लिया गया ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह सूचना नहीं है। आपने इस सड़क के बारे में पूछा, मैंने उसके बारे में निवेदन कर दिया।

प्रश्न संख्या २६४

श्री उपाध्यक्ष : श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी।

डॉ० चन्द्रकला : (किशनपोल बाजार, जयपुर) उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का उत्तर दे दिया जाय :

पशु-पालन विभाग के कार्यों के विवरण का प्रकाशन

२६४. श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : (डीग-डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) द्वारा पूछा गया) : क्या कृषि मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(१) क्या राजस्थान के पशुपालन विभाग की ओर से उसके सन् १९५८ के कार्यों का संक्षिप्त विवरण प्रकाशित हुआ था ?

(२) क्या उक्त विवरण में 'दुग्ध विकास कार्य' शीर्षक के अन्तर्गत एक निश्चित अवधि के अन्दर नगर में शुद्ध दूध तथा घृत मुहैया करने का उल्लेख किया गया था ?

(३) क्या उक्त निश्चित अवधि में ही घृत व दूध की सुव्यवस्था करने का सरकार विचार रखती है ?

(४) वर्तमान में उक्त योजना किस अवस्था में है व इसके पूर्णतया अमल में आने में कितना समय और लगेगा ?

उप-मंत्री, कृषि (श्री दौलतराम सारण): (१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) जी हां।

(४) दुग्धशाला (डेरी) भवन का निर्माण हो रहा है। आवश्यक मशीन के साथ सामान खरीदा जा रहा है। कुछ मशीनें विदेश से भी मंगाई जा रही हैं। लगभग एक साल का समय और लगेगा अगर स्थिति सामान्य रही।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

ललित-कला अकादमी

२३१. श्री भैरूंसिंह (श्री माधोपुर-श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : द्वारा पूछा गया) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(क) ललित कला अकादमी के सेक्रेटरी और ऑफिस सेक्रेटरी कौन हैं ? यदि नहीं हैं, तो क्यों ?

(ख) क्या यह सही है कि फरवरी, १९५९ के प्रथम सप्ताह में ललित कला अकादमी द्वारा ४,५००) रु० के लगभग का पुर-

Page No.32

(श्री भैरोंसिंह)

स्कार (श्रीमती राज्यपाल के कर कमलों द्वारा) विजेताओं को वितरित कराया गया था?

(ग) क्या यह सही है कि यह पुरस्कार खाली लिफाफों के रूप में ही वितरित किया गया था जिनमें रुपये नहीं थे?

(घ) क्या यह सही है कि रुपया अभी तक नहीं मिला? यदि नहीं, तो कब २ दिया गया था और खजाने से किस किस तारीख को लिया था?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई): (क) ललित कला अकेडेमी के सेक्रेटरी पद पर इस समय श्री शम्भूलाल, उप-संचालक, शिक्षा विभाग, जयपुर कार्य कर रहे हैं।

(ख) जी हां।

(ग) पुरस्कारों के लिए लिफाफों में हुण्डी रखी हुई थी।

(घ) रुपया दिनांक १८-४-५६ व २१-४-५६ को दे दिया गया है। खजाने से दिनांक ३१-३-५६ को लिया गया था।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर): यह जो सेक्रेटरी हैं इनका अपोइन्टमेन्ट किस तारीख को हुआ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई: २१-१-५६ को।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर: इतने दिनों बाद इनका अपोइन्टमेन्ट कैसे हुआ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई: इनके पहले जो श्री एस० पी० श्रीवास्तव थे वह अमेरिका चले गये। इसलिए उनके चले जाने के बाद २१-१-५६ को श्री शम्भूलाल का अपोइन्टमेन्ट हुआ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर: यह जो पुरस्कार का रुपया था यह बीच के काल में किस व्यक्ति के पास रहा? लोग तो लिफाफों में लिए फिरते रहे।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई: पहले ३६०० रुपया रखा गया था पुरस्कार के लिए, लेकिन फिर ४,५०० रु० अनाउन्स कर दिया इसलिए री-एप्रोप्रियेशन में देरी लगी। यह, सेक्रेटरी न होने इसलिए नहीं मिला, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि यह पुरस्कार फरवरी में दिया गया था और सेक्रेटरी २१-१-५६ को ही अपोइन्टमेन्ट हो गए थे। यह तो री-एप्रोप्रियेशन में देरी लगी। इसलिए देरी हो गई।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर: यह रुपया कहां पड़ा रहा?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई: रुपया तो सरकारी खजानों में रहता कोई जेबों में थोड़े ही रहता है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर: आपने यह ३,६०० रुपये का पुरस्कार किस आधार पर और फिर बाद में यह ४,५०० रुपये किस आधार पर तय कर दिये?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई: यह उनका इन्टरनल अरेन्जमेन्ट है। उन्होंने ४,५०० रुपये रखा इसी कारण उसका री-एप्रोप्रियेशन कराना पड़ा और उसमें देरी लग गई।

श्रीमती गंगादेवी डाटा : (रामगढ़) यह रकम जो अखबार में पुरस्कार के लिए बच्चों को देने के लिए घोषित की गई थी अकादमी की यह रकम क्या उन बच्चों को दे दी जायेगी ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : यहां बच्चों का प्रश्न नहीं है । आप प्रश्न को पढ़कर सवाल पूछें तो अच्छा रहेगा ।

श्रीमती गंगादेवी डाटा : अकादमी का रुपया संस्था के नाम से 'राष्ट्रदूत' में घोषित किया गया था ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : मेरे ख्याल से इस प्रश्न को आपने कतई पढ़ा नहीं ।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : (किशनगढ़) इनके तो सभी बच्चे हैं, साहब ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी।

मैट्रिक पास अध्यापकों की वेतन श्रृंखला

१८८. **श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी** : (डीग—डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार जयपुर) द्वारा पूछा गया) : क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या विधान सभा के गत अधिवेशन पर सरकार की ओर से यह आश्वासन दिया गया था कि भविष्य में मैट्रिक पास अध्यापको को मैट्रिक का ही ग्रेड दिया जायेगा ?

(२) यदि हाँ; तो क्या उक्त आश्वासन पर आचरण आरम्भ हो चुका है ?

(३) क्या सरकार को पता है कि इस सत्र के आरम्भ में भी मैट्रिक तथा बुनियादी शिक्षा में प्रशिक्षित जो अध्यापक हैं, उसको मिडिल ग्रेड दिया गया है ?

(४) यदि हाँ, तो क्या सरकार इस स्थिति को सुधारने की चेष्टा करेगी यदि हाँ, तो कब तक ?

शिक्षा मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): (१) जी नहीं ।

(२) जी हाँ ।

(३) जी हाँ ।

(४) जी हाँ । इस संबंध में सरकार ने ६,००० अनट्रेन्ड मिडिल टीचर्स की पोस्टों को अन्ट्रेन्ड मैट्रिक टीचर्स की पोस्टों में परिवर्तित कर दिया है । अब मैट्रिक पास अध्यापकों को मैट्रिक का ग्रेड दिया जायेगा ।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : जितना भी मैट्रिक और बुनियादी शिक्षा के प्रशिक्षित अध्यापक हैं उनको मिडिल का ग्रेड नहीं दिया गया है, क्या यह माना जाये ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अब तक तो दिया गया है । अभी आदेश १४ अगस्त के रोज़ इनके जारी किये गये हैं । ६,००० पोस्टों पर मैट्रिक होते हुए जो मिडिल ग्रेड में हैं उनको मैट्रिक की ग्रेड में परिवर्तित करने के आदेश दे दिये गये है । हम यही चाहते थे इसलिए हमने इस साल ६,००० के बारे में डेफीनेट स्टेप लिया जो कि काफी बड़ी बात है । मैं समझता हूँ कि सभी सदस्य इसको मानेगे और जो बाकी रहते हैं उनके बारे में अगले वर्ष कार्यवाही की जावेगी ।

Page No.34

श्री पी० के० चौधरी : बहुत से मैट्रीकुलेट मिडिल ग्रेड में थे उनको क्या तनख्वाह देते थे ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इस समय तक ऑर्डर्स जारी नहीं हुए थे इसलिए बहुत से मिडिल ग्रेड में ही थे।

श्री पी० के० चौधरी : My question was different. Supposing in a school there is a post of Middle grade, After 15th August you have appointed a Matriculate on that post, what grade you will give him ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अभी ६,००० टीचर्स की पोस्टों को ही कन्वर्ट किया है जो कि अब तक मिडिल ग्रेड में ही थे उनको मैट्रिक की ग्रेड में लाया गया है। परन्तु उनकी सीनियोरिटी, कब से वह आये हैं, इन सारे फैक्टर्स का ध्यान करते हुए ६,००० को पहले ले लिया गया है और बाकी के जो रह जाते हैं उनको लेने के लिए बाद में सोचा जावेगा।

डॉ० चन्द्रकला : (किशनपोल बाजार, जयपुर) नई नियुक्तियों के बारे में क्या नीति है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं समझता हूं कि नीति को तो मैंने बहुत स्पष्ट कर दिया है। ६ हजार को हम कन्वर्ट कर रहे हैं। बाकी को फाईनेन्शियल पोजीशन को देखते हुए फिर रिव्यू करेंगे।

डॉ० चन्द्रकला : नई नियुक्तियों में मैट्रीक्यूलेट्स को मैट्रिक का नया ग्रेड दिया जायेगा या मिडिल का ग्रेड दिया जायेगा।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं निश्चित तौर से कुछ नहीं कह सकता।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : नगरपालिका द्वारा संचालित जो प्राइमरी स्कूल्स हैं उन्हें लेने के लिए उन पर भी यह आदेश लागू होगा या नहीं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उनके लिए अलग आदेश लागू होने के बारे में तय नहीं किया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री) : माननीय उपाध्यक्ष, यदि मुझे आज्ञा हो तो मैं यह निवेदन करना चाहता था कि प्रश्नों के सम्बन्ध में यह बात कही गयी है कि कोई प्रश्न भेजा जाय तो उसका उत्तर देना मिनिस्टर के लिए लाजिमी है, तो उसके सम्बन्ध में पार्लियामेंट में और दूसरी जगह यह प्रेक्टिस है कि अगर कहीं पर मेटर रेडिली एवेलेबल नहीं है तो मिनिस्टर जवाब देने के लिए 'ना' भी कह सकता है। तो एक रेलेवेन्ट स्पीच मैं पढ़ कर सुनाता हूं कि अगर प्रश्न इस प्रकार के हों जैसा कि उन्होंने कहा :—

1. The expenditure and labour involved in collecting the information which will not be commensurate with the results expected to be achieved.
2. The information is not reedily available.
3. It is not in the public interest to disclose the information.

इन तीन केटेगरीज की इनफॉर्मेशन के लिए पार्लियामेंट की प्रेक्टिस के अन्दर भी

Page No.35

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

यह माना गया है कि अगर सिचुएशन ऐसी हो तो मिनिस्टर यह कह सकता है कि जवाब देने में असमर्थ हूं। फिर उन्होंने कहा कि :-- 'when a Minister disclaims the responsibility of Government; that is altogether a different subject.'

लेकिन यह प्रोसीजर वहां पर है और दूसरी असेम्बलीज़ में भी होता है कि जिस पर बहुत इनफर्मेशन गेदर करनी होती है। आज इस बारे में जो आदेश दिये गये हैं उसके लिए नहीं कहना चाहता हूं लेकिन जनरली यह होता है कि कितना एक क्वेश्चन में लेबर इन्वॉल्वड होता है जैसा कि कोई यह पूछे कि राजस्थान में एक कुँए के ऊपर या मिडिल स्कूल की बिल्डिंगों के ऊपर कितना खर्चा हुआ तो इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर में सारी की सारी इनफर्मेशन इकट्ठी करके देना चाहिए यह लाज़िमी नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : जो मैंने आज व्यवस्था दी है उसके सम्बन्ध में फिर स्पष्ट कर दूं। जहां तक लोकसभा की व्यवस्था का सम्बन्ध है, मेरे खयाल से यदि माननीय मंत्री महोदय उत्तर प्रश्नों का देने में असुविधा रखते हैं तो They are to satisfy the Speaker in the Chamber if they claim the privilege or feel difficulty in answering a question. तभी हाउस के सामने उत्तर देने की स्थिति साफ रखी जा सकती है। यह मैंने अपनी पूर्व व्यवस्था के सम्बन्ध में कहा है। प्रश्नों का उत्तर न देने के लिए निवेदन किया जा सकता है कि एक्सपेन्डीचर अधिक होने की हालत में या अधिक उत्तर प्राप्त करने में अधिक श्रम होने की स्थिति उठाई जा सकती है किन्तु ये वाकयात चेम्बर में स्पीकर के सामने रख कर उनको प्रश्नोत्तर काल के पूर्व सन्तुष्ट करना आवश्यक है।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : In the present question, where you have given observations, this reference doee not apply at all. It is not 10 or 12 thousand cases, but only a few cases.

श्री उपाध्यक्ष : Well, I have not placded it for debate.

विधायी कार्य

१२. १४. म० प०

राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् विधेयक, १६५६

(प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित विधेयक को विचारार्थ लिए जाने के प्रस्ताव पर अग्रेतर विचार विमर्श)

श्री उपाध्यक्ष : Yes, Shribhan Singh to resume his debate.

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : माननीय उपाध्यक्ष,...

डा० बहादुरसिंह (धौलपुर) : ओन ए प्वाइन्ट आफ इनफरमेशन, सर। मेरे एड्जर्नमेन्ट मोशन का क्या हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष : That is under consideration and I am ascertaining the facts from the Government. I hope to get them today.

मेरे खयाल से सरकार की ओर से उस संबंध में जानकारी आज दे दी जायगी।

श्री श्रीभानसिंह : माननीय उपाध्यक्ष, मैं कल यह जो पंचायत समिति तथा जिला परिषद् का जो विधेयक आया है उस पर सदन को यह कह रहा था कि कुछ यह बिल प्रोग्रेसिव होते हुए भी, टाइमली होते हुए भी, और समय के तकाजे को सर्व करता हुआ होते हुए भी एक गवर्नमेन्ट के सबसे बड़े कन्फ्यूजन का, यह कहा जाय, इलस्ट्रेशन है, और वह इलस्ट्रेशन क्यों है ? मैंने यह बताया था कि जहां तक राजस्थान में डिसेन्ट्रेलाइजेशन की व्यवस्था है और पंचायत राज्य को हम कायम करना चाहते हैं तो हमें डिसेन्ट्रेलाइजेशन ऑफ पंचाय राज्य को एक मल्टिप्लिसिटी ऑफ इन्स्टीट्यूशन्स से अलग करना पड़ेगा। और उसको बताते हुए मैंने यह कहा था कि तहसील पंचायत जो हैं वे सबसे बड़ी सुपरफ्लूअस बोडीज हैं, और उनको एबोलिश करना लाजिमी है। मैं इन डिटेल्स में तो नहीं जाना चाहता कि आज तक जो तहसील पंचायतें रही हैं, और उनके किस तरह के कार्य रहे हैं, और किस तरस से यह मैं कहूँ कि पौलिटिशियन्स ने उन पर कब्जा किया है, तो कोई गलत बात नहीं होगी। और जहां तक न्याय की जो प्रणाली है, न्याय की जो इन्सटीट्यूशन्स हैं यदि उन पर राजनीतिज्ञों का कब्जा रहे तो वे जनता को न्याय नहीं दे सकती है। जबकि वे जनता को न्याय नहीं दे सकतीं तो मैं समझता हूँ कि जिस पर्पज से उसको कहा जाय कि विकेन्द्रीकरण किया है वह परपज और मकसद सिद्ध नहीं होता है। इसलिए यह लाजिमी है कि हमको और कम से कम जो मन्त्री महोदय इस बिल को पायलाट कर रहे हैं उनको जो यह कहा जाय कि एक ऐसे ग्रुप्स के अन्दर फंस गये हैं एक ऐसे कन्सेप्शन में फंस गये हैं उससे ऊपर उठाना पड़ेगा और उठाकर थोड़ा इन्ट्रैस्ट जो है, जुडीशियल पंचायतें, तहसील पंचायतें हैं वे एक तरह की वेस्टेड इन्ट्रैस्ट की शेप में आ गई हैं, और जहां न्याय करने वाले वेस्टेड इन्ट्रैस्ट डेवेलप कर लें तो वह हमारी न्याय की इन्स्टीट्यूशन्स के लिए, हमारे प्रजातन्त्र के लिए, हमारी डिसेन्ट्रेलाइजेशन की जो प्रणाली है या सेल्फ गवर्नमेंन्ट है उसके लिए घातक होगा। इसलिए मैं तहसील पंचायतों को हटाना चाहता हूं, और इन पंचायत समितियों को हम वही काम सौंप दें जिस तरह कि कमेटीज बनाते हैं, उन कमेटीज के जरिये से और एक तरह की प्रणाली बना सकते हैं, और एपेलेट बॉडी बना सकते हैं। उसी तरह से हम पंचायत सर्किल्स बना सकते हैं और पंचायत सर्किल्स बना कर एक एलेक्टोरल कालेज उन सर्किल्स का कर सकते हैं जो कि उस एपेलेट बॉडी को चुन सकती है। यह समझ में आ सकता है। एक तरफ पंचायत समिति है तो दूसरी तरफ तहसील पंचायत है और नीचे के लेवल पर ढांचा क्या होगा ? ग्राम पंचायतें अगर डेवेलपमेन्ट का कार्य करेंगी तो नीचे एक जुडीशियल पंचायत अलग होगी। तो इस तरह से अलग अलग एक तहसील के अन्दर एक ब्लाक के अन्दर, ४ एजेन्सीज वर्क करेंगी। वहां पर यह लाजिमी होगा कि कनफ्लिक्ट होगा किसी न किसी स्टेज पर एक डेवेलपमेन्ट की ऐजेन्सी है और एक जुडीशियल ऐजेन्सी है। हम चाहते हैं कि सस्ता न्याय मिले। हम विकेन्द्रीकरण करना चाहते हैं तो सिम्प्लीसिटी हो इन्स्टीट्यूशन्स के अन्दर। मेहता कमेटी का भी यही मकसद है। एक डेवलपमेंट बॉडी का जो कार्य है उसको प्रेस्टीज ज्यादा देना चाहते

(श्री श्रीमानसिंह)

हैं तो उसके साथ जुडीशियल पॉवर देंगे तो प्रेस्टीज ज्यादा बढ़ेगी। जब प्रेस्टीज बढ़ाना है तो एमलगेमेशन है, वह बहुत अनावश्यक है। यह बताया मैंने कि यह बिल जो है प्रीमेच्योर है, टाइमली और जो कन्फ्यूजन मैंने बता दिया, और उस कन्फ्यूजन की वजह बहुत से सदस्य तहसील पंचायत को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि बहुत सों की हेबिट हो गई है, हमारी यह हेबिट हो गई है कि जो इन्स्टीट्यूशन एक दफा कायम हो गई तो उसको किसी तरह से भी हटाना नहीं चाहते हैं, चाहे वह सुपरफ्लुअस हो, चाहे जनता पर टैक्स बढ़े, उससे जनता का कोई पर्पज सर्व नहीं होता हो, मगर हमारी हेबिट हो गई इसलिए उसके लिए कोई न कोई आर्ग्यूमेंट ढूंढना पड़ेगा। यह पिक्चर क्लिअर हो जाती अगर यह एक कम्प्रीहेन्सिव एक्ट होता, इसमें साफ यह मेन्शन होता कि इस चीज के बाद जब कभी से यह हो, तहसील पंचायतें नहीं होंगी। यह एक्ट लागू होगा तब से तहसील पंचायतें नहीं होंगी।

मैंने इसको डेमोक्रेटिक यों कहा कि डेमोक्रेटिक तो यह है ही, यह तो मानना पड़ेगा। यह एक रिप्रेजेन्टेटिव प्रणाली है जिस तरह से डेमोक्रेसी फंक्शन करती है, जिस तरह से चुने हुए आदमी आयेंगे तो उस हद तक यह डेमोक्रेटिक है। लेकिन डिसेन्ट्रेलाइजेशन का नतीजा हमने यह निकाला कि पॉवर्स क्या हैं इन पंचायत समितियों के पास। जो अगर वास्तव में पॉवर्स उनके पास है तब तो डिसेन्ट्रेलाइज्ड एजेन्सीज इनको कह सकते हैं और अगर पॉवर्स नहीं है तो डिसेन्ट्रेलाइजेशन का मकसद पूरा नहीं होगा। इसके लिए हमें डिसेन्ट्रेलाइजेशन करने के बाद इनके फंक्शन्स देखने पड़ेंगे और जब हम फंक्शन्स देखते हैं तो हमें उन्हें ब्रोडली क्लासिफाइ करना पड़ेगा। उनके पास में डेवलपमेंट के फंक्शन्स हैं, उनके पास में इकोनोमिक फंक्शन्स है, उनके पास में कल्चरल फंक्शन्स हैं और जुडिशियल पॉवर्स और एड हो जाते हैं और इनको वे डिस्चार्ज करें और आगे चल कर रेवेन्यू पोवर्स और दी जांय और इतने फंक्शन्स इनके पास हो जायं तो यह नहीं माना जा सकता कि यह डिसेन्ट्रेलाइजेशन नहीं है। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि यह डिसेन्ट्रेलाइजेशन का नारा है, स्लोगन है, शेडो है। मैं नहीं समझता कि इसमें कोई तथ्य है। जहाँ एग्जीक्यूटिव पॉवर्स हों, जिनके पास डेव्लपमेंट के फंक्शन्स हों, जिनके पास इकोनोमिक और कल्चरल फंक्शन्स हों तो इसे डिसेन्ट्रेलाइजेशन कहा जायेगा और दूसरी तरफ से जो इन्टेन्शन है, वह जो पावर्स दिए हैं, उनसे मालूम होगा। जैसा कि कहा था, To be or not to be, this is the question. वह तो एक ढांचे के लिये है लेकिन जहां तक सेल्फ गवर्नमेंट का सवाल है, डेमीक्रेसी सेल्फ गवर्नमेंट की प्रणाली है। इसमें यह जो थोड़े प्रेज्युडिसेज हैं या रोंग नोशन्स हैं जिनके विक्टम्स बहुत से लोग होते हैं उनको दूर करना होगा। सेल्फ गवर्नमेंट एक पिवोटल पोइन्ट है, उसको देखना पड़ेगा। इस बारे में यह देखना पड़ेगा कि डिसीजन मेकिंग पॉवर किस में है। सारे पॉवर्स को ले लिया जायं और खाली कल्चरल पॉवर ही दे दी जायँ पंचायत समितीयों को फिर भी देखना पड़ेगा: Self Govenment implies the power to take decisions and execute decisions ये पावर्स किसमें हैं। हम ऑफिसर्स को एक तरफ रखते हैं, लेजिस्लेचर भी दूसरी तरफ रखते हैं, तहसील

(श्री श्रीमानसिंह)

पंचायतों को भी एक तरफ रखते हैं। पंचायत समितियों को प्लान्स फ्रेमिंग और उसको एग्जूक्यूट करने का पॉवर है या नहीं, उसके पास फाइनेन्शियल पॉवर्स हैं या नहीं। और जो अगर डिसीजन लेने का पॉवर किसी में है तो मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि वह बॉडी डेमोक्रेटिक सेल्फ गवर्नमेंट है और उसे मानना पड़ेगा। हमें कंपेरेटिवली देखना चाहिए कि आज तक डिसीजन लेने का पॉवर किसमें था। यह भी देखना पड़ेगा कि इकोनोमिक डेवलपमेंट, सोशियल डेवलपमेंट और कल्चर डेवलपमेंट के लिए आज तक डिसीजन कहां था। जब से भारतवर्ष में स्वतंत्रता आई हमने दो प्लान्स बनाए और दोनों में एम्फेसिस रहा एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का और रूरल रिकॉन्सट्रक्शन का। इसके लिये हमने सी०डी० ब्लॉक्स और एन० ई० एस० ब्लॉक्स बनाये किये। उनके पीछे जो भावना थी उसे देखना पड़ेगा। उन्हें किस ऐम से शुरू किया था? क्या उनके पीछे भी ऐम वही था जिस ऐम से हम पंचायत समितियों को पॉवर्स दे रहे हैं? आज कहा यह जाता है कि ब्लॉक कमेटीज और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेन्ट कमेटीज को पंचायत समितियों और जिला परिषद् में कन्वर्ट किया जा रहा है। लेकिन आज जो पॉवर्स इनको दिये जा रहे हैं वे ब्रोड बेस्ड हैं। इन्क्रीज्ड हैं। प्रोडक्शन, कम्युनिकेशन, एज्युकेशन, हैल्थ और हाइजिन के लिये भी पॉवर्स इन्हें दिये जा रहे हैं। और इसी ऐम से हमने सी. डी. और एन. ई. एस. ब्लॉक्स बनाये थे जिनके जरिये हम सोशियल और इकोनोमिक डेवलपमेन्ट करना चाहते थे और इसी वजह से हिआर्की ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मुकर्रर किया। पोपुलर पार्टिपेशन और इनिशियेटिव क्रीएट करने के लिये एढहोक बॉडिज बनाई। नोमिनेटेड लोग आये। ऑफिशियल्स में लीडरशिप आई। ओफिशियल्स पर कनफाइन्ड थे, पुराना ढांचा था उसको कंन्टीन्यु किया और जो अगर मैं यह कहूं कि इमिटेट किया तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। अमेरिका में यह सक्सेफुल रहा। उसको यहां लाकर हिन्दुस्तान पर थोप दिया। यह जो इम्पोज्ड ढांचा था सी. डी. और एन. ई. एस. का उसका नतीजा यह हुआ कि उसको फुलफिल नहीं कर सके। न तो पोपुलर पार्टिसिपेशन आया और न ऑफिशियल्स का एटिट्यूड बदला जिसे हम रिनोवेट करना चाहते थे और यह चाहते थे कि वे सेलफिश न होकर अपने एटिट्यूड को चेन्ज करें, उनका चेन्ज्ड एटिट्यूड हो वह भी नहीं हुआ क्योंकि ऑर्डर्स डेवलपमेन्ट कमिश्नर की तरफ से जाते थे, उनके अनुसार ब्लॉक्स में टार्गेट एचीव करना उनका काम था। टारगेट को एचीव करने के लिये उन्होंने रूरल मेशिनरी को इन्टरमीजियेरी बनाया था, चाहे उनकी डिमान्ड थी या नहीं या वे कंडीशन्स फुलफिल करते थे या नहीं उससे उनका ताल्लुक नहीं था। उनका मकसद सिर्फ यह था कि किसी तरह से रिजल्ट बतावें। यह जो ओटोनोमि ब्लॉक लेवल पर होनी चाहिये थी वह नहीं हुई। आज तक की प्रणाली नाकामयब रही। पहले प्लान में भारतवर्ष के १०१ करोड़ रुपये खर्च हुए। दूसरे प्लान में इससे भी बहुत ज्यादा का प्रावधान है और वह बढता ही जा रहा है। लेकिन गोल जो एचीव करना चाहते थे वह एन. ई. एस. और सी. डी. ब्लॉक्स से नहीं हुआ। जो इनिशियेटिव और ऑफिसर्स में चेन्ज्ड एटिट्यूड चाहते थे वह नहीं आया। हमारा मकसद था कि इक्वेलिटी पैदा हो वह

Page No.39

(श्री श्रीमानसिंह)

पैदा होने के बजाय श्रीचेज पैदा हुए। क्लास टेन्शन बढ़ा। एक तरफ की लीडरशिप ऊपर आई। ऐसे लीडर्स ने कब्जा कर लिया जो वेस्टेड इन्ट्रेस्ट वाले थे। हमारा ७० पर्सेन्ट एक्सपेन्डिचर एन. ई. एस. और सी. डी. ब्लॉक्स पर हुआ। इसका अंदाज लगावें कि वह किस पर गया और उससे किसको ज्यादा फायदा पहुंचा। इससे उनको ज्यादा फायदा पहुंचा जिनके पास ज्यादा जमीन थी। जो लीडर्स ऐसे थे जो ऑफिशियल्स से कांटेक्ट रखते थे, जो पोलिटिशियन्स से कांटेक्ट करते थे वे आगे आये। इस तरह की व्यवस्था थी। इसके लिये अगर यह कहा जाय कि हमें सक्सेस मिली है तो जो एचीवमेन्ट्स के लिये इवेल्युएशन कमेटी है उसने डिफरेन्सेज के बारे मे कहा है वह पढ़ देता हूं :

" There is a wide disparity in the distribution of achievements and therefore, of the benefits of the Community project programmes. The disparity exists as between different blocks in the project area; within the block it exists as between the headquarter villages, Gram-Sevaks-villages easily accessible to them and the villages not so easily accessible to them. It exists as between cultivators and non-cultivators, and within the cultivating classes it exists as between cultivators of bigger holdings and larger financial resources, and those with smaller holdings and lesser financial resources.

The is a matter of serious concern not only in terms of social justice but also in terms of political consequences that may ensue in the context of increasing awakening among the people." ये खुद प्रोग्राम इवोल्युशन कमेटी के डिस्पेरिटी बारे में ऑब्जर्वेशन्स हैं। इसी तरह से जिस मकसद को हल करना चाहते थे वह ब्यूरोक्रेसी के जरिये से हल नहीं हो सकता। जो बेसिस श्रमदान का था उसको लोग यह समझने लगे कि यह बेगार है। जिस वास्ट ह्यूमन रिसोर्सेज को युटिलाइज करना चाहते थे उसको युटिलाइज नहीं कर सके बल्कि इसका उल्टा असर यह हुआ कि लोग समझने लगे कि यह एक किस्म की बेगार है, ये कान्सीक्वेन्सेज रहे। जो ब्यूरोक्रेसी प्रणाली थी और उसके अन्तर्गत जिस लगान से इन्वेस्टमेन्ट किया था वह सब व्यर्थ गया और सक्सेस नहीं मिल सकी। जो डिसीजन मेकिंग पोवर उनको दी थी और गवर्नमेंट ने जो इन्वेस्टमेन्ट किया और जिस के जरिये पब्लिक में आल राउन्ड इम्प्रूवमेंट करना चाहते थे वह नहीं हो पाया। पैसा खर्च हो गया लेकिन जो डेमोक्रेटिक ढंग से डेवलपमेंट करना चाहते थे वह नहीं कर सके क्योंकि ऑफिसर्स को टारगेट एचीव करना था, उनको उनको नीड्स नहीं देखनी थी, उनको ग्रुप वर्क के महत्व को इन्करीज नहीं करना था क्योंकि उन्हें सुपरियर आफिसियल्स को सेटिसफाई करना था, जिन पर उनका प्रमोशन डिपेन्ड करता है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन का यह हाल हुआ। जो एडहोक बॉडी क्रियेट की, उनके लिए एक्सपर्ट्स की राय है कि इस तरफ के आर्डिनेशन से ऐसी लीडरशिप आई, जिसने मिनिमम पोलिटिकल, इकानामिकल, सोशल और एग्रीकल्चरल लाइफ को कन्ट्रोल कर लिया। विलेज की और अपने फायदे के लिए यूज किया और ऑफिसर्स ने अपने को डाइरेक्ट कनेक्ट किया क्योंकि उन्हें फेसेलिटीज मिलती थी। आज इस आर्डर को रिवर्स करते हैं और डिसीजन टेकिंग पॉवर एक स्टेच्यूटरी बाडी को

(श्री श्रीभानसिंह)

देते हैं, तो आपकी पहले एडहोक कमेटी थी ब्लाक डेवलपमेंट कमेटी थी, उनको न डिजीजन टेकिंग की पावर थी, न ड्यूटी थी, वह एक सलाहकार समिति की तरह से फंक्शन करती थी और इस तरह से फंक्शन करती थी कि उसको डेमोक्रेटिक नहीं कहा जा सकता। जब डेमोक्रेटिक इलेक्टिव प्रिन्सिपल इन्ट्रोड्यूस करते हैं और डिसीजन टेकिंग पावर देते हैं और उसके पास उनका एक्जीक्यूट करने की पावर रखते हैं और आफिसियल्स को उसका सबोर्डिनेट रखते हैं तो मैं नहीं समझ सका कि यह अनडेमोक्रेटिक कैसे होगा। किस तरह से यह नारा लगाया जा सकता है कि यह अरबनाइजेशन है। मैं कहता हूँ कि जो नारा हम पहले से लगाते हैं कि बेक टू दी विलेजेज, उसमें यह एक स्टेप फारवर्ड है, यह गवर्नमेंट की डिजायर और अर्नेस्टनेस को बताता है, यह इस बात का उदाहरण है, इलस्ट्रेशन है, that the Government is desirous to devolve and delegate powers to rural institutions. तो जहां पहले यह शंका थी, एक मिसट्रस्ट था, डिसट्रस्ट था गवर्नमेंट के लिए कि जो पॉवर्स इसको मिल जाती है, वह हाथ में ले लेती है और उसे बांटना नहीं चाहती। यह इस बात का इलस्ट्रेशन है कि गवर्नमेंट अरनेस्ट है पावर देने के लिए और रेस्पान्सिबिलिटी देने के लिए तैयार है और जब विलेजर्स कन्विन्स कर देंगे, तब यह स्टेज हो सकती है कि कम्प्लीट डिसेन्ट्रलाइजेशन हो सकता है लेकिन एक विलेज को स्माल रिपब्लिक समझें तो गलत है। जिस तरह विलेजर्स रेस्पान्सिबिलिटी महसूस करते जायेंगे उसी तरह मैं गारन्टी कर सकता हूं कि हम विलेजर्स में एक उत्साह पैदा कर देंगे जिससे विलेजर्स फील करेंगे कि गवर्नमेंट रेस्पोन्सिबिलिटी देने को तैयार है, वे पार्टनर्स इन नेशनल बिल्डिंग, हैं, वे बिल्डर्स हैं, और आर्कीटेक्ट आफ नेशन कहे जायं, वह भावना पैदा होगी। यह स्टेप, जो कि रिपोर्ट के डाइरेक्शन्स में है मैंने कहा कि बहुत टाइमली स्टेप है क्योंकि चारों तरफ नजदीकी देशों को देख सकते हैं, जैसा कि एक सदस्य ने क्रिटिसाइज भी किया था कि अन्डर डवलप्ड कन्ट्री में जनतन्त्र का विकेन्द्रीकरण घातक है, वह श्लोनैस लाता है, इनअफीसियेन्सी लाता है, इम्पलशिव एटीट्यूड को प्रोत्साहन देता है। मैं इससे डिसएग्री करता हूं। यूं करता हूं कि वे तो जो फैक्टस हैं, उनको देखना नहीं चाहते। हमारे पास फैक्टस मौजूद हैं कि हमारा नेबरर पाकिस्तान है, वह एक अन्डर डवलप्ड कन्ट्री था, उसमें डेमोक्रेसी थी, लेकिन यह होते हुए भी सेन्ट्रलाइजेशन था। पीपल ने डेमोक्रेसी की रिस्पोन्सिबिलिटी को फील नहीं किया। जो डेमोक्रेसी में डिसिप्लेन होना चाहिए जो फ्रीडम है, जो जौय ऑफ लिविंग है, उसको फील नहीं करेंगे, तब तक पीपल एक प्रणाली को, एक इन्सटीट्यूशन को सपोर्ट नहीं कर सकते। नतीजा यह हुआ कि जहां सेन्ट्रलाइजेशन अन्डर-डवलप्ड कन्ट्री में हुआ, जहां डेमोक्रेसी हुई, वहां सबसे बड़ी सवाल यह होगा। कि कोई न कोई पॉलिटिकल एडवेन्चेरर सत्ता के पॉवर को गेन कर सकता है, यही पाकिस्तान में हुआ, बर्मा में हुआ, तिब्बत में हुआ। जो मिडिल ईस्ट के कन्ट्रीज हैं, उनके लिए एक बेस हो गया कि जो अन्डर डवलप्ड कन्ट्रीज हैं, उनमें डिक्टेटरशिप एक सीधा स्टेप है। इसलिए मैंने कहा कि यह टाइमली स्टेप है। हमारी एक प्रणाली बन गई सेन्ट्रलाइजेशन की क्योंकि हमने प्लानिंग शुरू किया था और जो इन्सटीट्यूशन्स थीं, उनमें जो इन्सटिंक्ट

(श्री श्री मानसिंह)

था, जो क्रियेटिव पॉवर थी, उनको कम कर दिया गया, और हम सेन्ट्रलाइजेशन की तरफ बढते गये। अब हमने टाइमली चेक किया और उस करेन्ट को रिवर्स करके, जिनसे पॉवर लेते हैं, उनको पॉवर वैस्ट करें तो हमारी कन्ट्री के अन्दर पालिटिक्स एड-वेन्चरर का किसी मायने में रूल कभी नहीं हो सकता। मैं इस व्यू का हूं कि कन्ट्री बेक वर्ड हुआ करे लेकिन उसे डेमोक्रेटिक प्रणाली को, डिसेन्ट्रलाईजेशन प्रणाली को एडॉप्ट करना चाहिये क्योंकि आदमी में रेस्पान्सि-बिलिटी की स्प्रिट, फ्रीडम, डिसीप्लेन डेमो-क्रेसी में जरूर मिलती हैं। राइट सुरक्षित करने के लिए हर एक आदमी में ड्यूटी आ जाती है, वह राइट को मेन्टेन रखता है, जो लिबरटी का सैन्स है, वह डेमोक्रेसी को क्रियेट करता है, वह ज्यादा क्रियेट करनी चाहिए। अगर कोई यह माने, इस थ्योरी को मान ले, कि अन्डर डवलप्ड कन्ट्री में डिसेन्ट्रलाइजेशन नहीं होना चाहिए, तो मैं यह कहूंगा कि यह फैक्ट्स नहीं मानते, यह फैक्ट्स पर डिपेन्ड करता है। तो जिन्होंने इस तरह क्रिटिसाइज किया, उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि फैक्ट्स क्या है। फिर आगे मैं यह बताऊं कि जिस तरह सदन के अन्दर बहस हुई है और उस बहस में ब्यूरोक्रेसी को खराब बताया गया। मैं मान सकता हूं कि इसके डेन्जर्स हैं। डिसेन्ट्रलाइजेशन के लिए ब्यूरोक्रेसी एक डेन्जर है। मगर मैं आशा नहीं करता कि विलेज इन्सटीट्यूशन्स के अन्दर और इस लेजिस्लेचर के अन्दर स्ट्रगल पैदा हो जायगा। आज सबसे बड़ा डेन्जर लगता है उनको जो यहां १७६ बैठे हुए हैं, क्योंकि अपनी पॉवर सुरक्षित रखने के लिए, अपना रिप्रजेन्टेशन विलेज इन्सटीटयूशन्स में सिक्योर करने के लिए ऊपर से थोपना चाहते हैं कि या तो फुलफ्लेज्ड मेम्बर बनाया जाय, नहीं तो असोसियेट मेम्बर बनाया जाय क्योंकि फ्रेन्ड, फिलोयफर एण्ड गाइड हैं, क्योंकि मेम्बर हैं। एक चीज है Self praise is no recommendation हम अपनी तारीफ कर रहे हैं, अपने को फ्रेन्ड, फिलोसफर एण्ड गाइड कह रहे हैं। कई माननीय सदस्य बड़े प्रिजुडिस्ड माइन्ड के साथ और पार्सियल माइन्ड के साथ मानते हैं कि रिप्रजेन्टेशन मिलना चाहिए। अब तक वे १० साल तक काम करने के बाद भी डेमोक्रेसी के फंक्शनिंग को नहीं समझ सके, विधान सभा के सदस्य नहीं समझ सके, मुझे अफसोस है इस बात के लिए कि मुझे कहना पड़ेगा कि आप अपना फंक्शन समझिये, एक लेजिस्लेटर का यह फंक्शन नहीं है कि अमुक कार्य किया, अमुक कार्य नहीं किया। आपका काम पॉलिसीज डिसाइड करना है कि इस तहसील को इतना रुपया देना है, वह फिर एग्जी-क्यूशन के अन्दर जायेगा। आपने लेजिस्लेटिव फंक्शन ले लिया, पंचायत समिति में जाना चाहते हैं और सरकार ने जुडिसियल फंक्शन ट्रान्सफर कर दिये तो आप कोशिश करना, सब-कमेटी में जाकर अधिकार मिले जस्टिस करने का। आखिर क्या है, एक तरफ आप विकेन्द्रीकरण का नारा लगाते हैं, माननीय सदस्य प्रोग्रेसिव बनना चाहते हैं, टोटल पॉवर दे देना चाहते हैं, दूसरी तरफ आप अपने में पॉवर केन्द्रित करना चाहते हैं। यह इलस्ट्रेट करता है कि विलेज इन्सटीट्यूशन्स से स्ट्रगल है, ब्यूरोक्रेसी से नहीं है। आप कानून बना रहे हैं। आप थोप सकते हैं, मगर यह थोपना आपके लिए ही अच्छा नहीं होगा और न

(श्री श्रीमानसिंह)

जिस पर्पज को सर्व करना चाहते हैं, वह पर्पज सर्व होगा । यह फेअर है और यही रहना चाहिए। शायद माननीय सदस्यों ने यह सोचा हो कि हमारे पालिटिकल राइवल पैदा हो जायेंगे, इसलिए हम रिप्रजेन्टेशन चाहते हैं। मैं समझता हूं कि राइवल होने चाहिए। आखिर विलेज लीडरशिप को डवलप होने दीजिये। क्या इन्टेलीजेन्स एम. एल. एज. में सेन्ट्रलाइज हो गई है, विलेजर्स में विजडम नहीं है? आप इस तरह विलेजर्स की कंडीशनल विजडम को मिस ट्रस्ट करते हैं, मैं समझता हूं कि स्ट्रगल बिटविन लेजिस्लेचर्स एण्ड विलेज इन्सटीट्यूशन्स में नहीं होनी चाहिए। वह एक एक्जीक्यूटिव बॉडी है। उसके जो फंक्शन्स हैं, उनसे लेजिस्लेटर्स को बाइन्ड न करें। यह जो फंक्शन कर दिया लोएस्ट हाइएस्ट लेवल पर तो लेजिस्लेचर्स थोड़ा डिक्टेटरशिप की तरफ मूव करना चाहते हैं। तो इस शुरूआत की ब्यूरोक्रेसी को साइड ट्रेक न करें, विलेज पीपुल हैं उनका इन्ट्रोस्पेक्शन करें उनको इन्ट्रोस्पेक्शन की जरूरत है। तो इसके बारे में तो मुझे यही निवेदन करना था।

आगे जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा कि यह डीसेंट्रलाइजेशन नहीं है, शायद पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि इन पंचायत समितियों को पुलिस के पॉवर्स होने चाहिए। जब इस तरह की बातें एडवोकेट करते हैं तो बहुत सी बातें भूल जाते हैं। एक्सट्रीम व्यू लेते हैं कम्प्लीट डीसेंट्रेलाइज करते हैं तो तमाम पॉवर्स पुलिस पॉवर्स वगैरह सब दे दें, नहीं तो यह ग्रेज्युअली बढ़ने का तरीका अच्छा नहीं। एक एलीमेंट कहता है कि डीसेंट्रेलाइजेशन नहीं होना चाहिए और एक एलीमेंट कहता है कि कम्प्लीट डीसेंट्रलाइजेशन होना चाहिये और यह बीच का रास्ता अपनाया गया है वह ठीक नहीं है। पर अगर इनिशियल स्टेज पर हम विलेज पीपुल को पुलिस पॉवर दे सकते हैं तो वह डेन्जरस होगा, ठीक नहीं रहेगा। गांवों के अन्दर यूनिटी और हारमोनी आये, इन्स्टीट्यूशन्स के लिए उनके दिलों में लव हो इसलिए विलेज इन्स्टीट्यूशन्स हम कायम कर रहे हैं। उनको इसलिए रेस्पेक्ट करें, उनके लिये इस वास्ते रेस्पेक्ट चाहें कि वे डिफाल्टिंग आदमी को पनिश कर सकते हैं, इसलिए उनको रेस्पेक्ट किया जाय तो विलेज डेमोक्रेसी, विलेज सेल्फ गवर्नमेंट चाहते हैं वह कभी नहीं आ सकती। यह पॉवर देकर आप इसको सेबोटेज कर देंगे। जिस जिस तरह वे लोग रेस्पोन्सिबिलिटी को फील करते जायं हम ग्रेज्युअली उनको पॉवर्स दे दें। पीपुल हैं वे इन्पेथेटिक हैं, ऊपर देखने की आदत उनकी पड़ी हुई है। ब्यूरोक्रेसी ने काफी सेंट्रेलाइजेशन कर लिया, बिसाइड्स इट, लैंड लोर्डिज्म कायम कर दिया जिससे क्लास वार विलेजेज में शुरू हो गया, टेन्शन्स विलेजेज में शुरू होगये। मैं विलेज विज्डम में बिलीव करते हुए कि वह रेस्पोन्सिबल है, उन फैक्टर्स को नहीं भूल सकता कि विलेजेज में आज स्ट्राइफ है, क्लास वार है, कास्ट वार है, टेन्शन है, यह चीजें विलेजेज में हैं अगर हम इनको भूल जायं और एकदम इतने पॉवर्स दे दें कि एक स्ट्रोंगर क्लास वीकर क्लास को सबड्यू करने के लिए इन पॉवर्स को काम में लाये उसको क्रश कर दे तो इससे एक बड़ा भारी डेंजर हम क्रीयेट कर देंगे। विलेजर्स जब

(श्री श्रीमानसिंह)

तक यह नहीं सोचें कि हम एज ए क्लास एक हैं, तब तक ज्यादा पॉवर्स उनको देना डिफिटिंग रहेगा, डेन्जरस रहेगा। तो पुलिस पॉवर देने को मैं ठीक नहीं समझता। ग्रीक सिटी स्टेट जैसी बात उन्होंने कही थी तो उनको मैं निवेदन करूंगा कि वे ग्रीक का इतिहास पढ़ लें कि क्या आखिर में फेट हुआ ग्रीक सीटी स्टेट का और मैं उनसे निवेदन करूंगा कि राइज एन्ड फाल ऑफ रोमन एम्पायर को पढ़ लें। पर हमारा खुद का इतिहास बताता है कि विलेज पंचायतें व कौंसिल्स ये किसी न किसी फोर्म में ईस्ट टू वैस्ट एन्ड साउथ टू नोर्थ हमारे भारत के किसी हिस्से में एग्जिस्ट करती थीं। यह हमारे कन्ट्री के ट्रेडिशन के माफिक है तो हम वापिस एकदम उसी स्टेज पर एकदम जाना चाहते हैं तो ठीक नहीं। हमें ग्रेज्युअली बढ़ना होगा। आज विलेजेज में जो स्ट्राइफ और टेन्शन्स हैं उनको ठीक करना पड़ेगा और एकदम एक्स्ट्रीम पर न जाकर मीडियम पॉवर देना होगा। उनका इनर कन्ट्रोल करना होगा न कि एक्स्टर्नल, उनके अन्दर each for all and all for each हम चीज पैदा करें। क्लाक और सी० डी० ने जैसी चीजें पैदा की हैं वे नहीं। एक्स्ट्रीमिस्ट व्यू बड़ा एट्रेक्टिव हो सकता है पर वह डेस्ट्रक्टिव एन्ड इम्प्रेक्टिकेबल है।

जहां इनके रिसोर्सेज जैसी इम्पोर्टेन्ट चीज है उसके बारे में मैं अचम्भे में रह गया। हम देखते हैं कि रूरल इन्डिया में रिसोर्सेज क्या हैं। एक तरफ हमने ओब्जेक्टिव्स को डिसाइड किया है to increase production, employment and standard of living हमने इन्स्टीट्यूशन्स को भी डिसाइड कर लिया है कि इन इन्स्टीट्यूशन्स के जरिये डीसेंट्रेलाइजेशन करना चाहते हैं पर हम रिसोर्सेज पर डिसाइड नहीं कर सके, तो ऐसा लगता है कि माननीय चीफ मिनिस्टर के चैक्स एन्ड बेलेंसेज कहां हैं। वह नहीं है तो इन रूरल इन्स्टीट्यूशन्स को फुलफ्लेज पर नहीं रखें। रूरल पोपुलेशन में पोटेंशियल पॉवर है, जिन चीजों से हम पॉवर एचीव कर सकते हैं वे दो मेन चीजें हैं—वैल्थ है और मैन पॉवर। अगर हम यह मानकर चलें कि रूरल में वैल्थ है और उनसे कोमर्शियल टैक्सेज वसूल कर के रिसोर्सेज पैदा किये जा सकेंगे तो यह एक बड़ी भारी मिस्टेक होगी, हमारा रूरल पोपुलेशन बहुत ज्यादा पूअर है। अगर आप यह कहें कि उनके पास लैंड है। ग्राम पंचायतों के द्वारा आप लैंड को मेक्सिमम यूटिलाइज करना चाहते हैं तो दूसरी तरफ आप लैंड रेवेन्यू के कलेक्शन की लैंड रेवेन्यू के डिस्ट्रीब्यूशन की पॉवर उनको नहीं दे रहे हैं। तो जो वैल्थ है जिसके लिए इनिशियेटिव देना चाहते हैं, उनका कन्ट्रीब्यूशन चाहते हैं, वह चीज आप उनको नहीं देते हैं। आप इस डीसेन्ट्रेलाइजेशन ऑफ पावर की बात करते हुए जब यह कहते हैं कि यह हमारी ट्रेडिशनल चीज है तो ये ट्रेडिशनल पॉवर्स भी उनको देने पड़ेंगे।

हमारे भारतवर्ष में विलेज पंचायतें थीं, विलेज कौंसिल्स थीं वे लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करती थीं, अपना शेअर रखकर बाकी का सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देती थीं। ये पॉवर्स गवर्नमेंट के पास नहीं थीं। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन आया तो उसने लैंड रेवेन्यू पॉवर्स अपने हाथ में ली। इस सिस्टम को इन्टरसैक्ट करना चाहते हैं

Page No.44

(श्री श्रीमानसिंह)

और जिस सिस्टम को आप कहते हैं कि लैंड रेवेन्यू कलेक्टिंग सिस्टम था तो लैंड रेवेन्यू कलेक्टिंग के पॉवर्स, लैंड डिस्ट्रिब्यूशन के पॉवर्स आपको इन्हें देने पड़ेंगे। इससे वे लोग फील करेंगे कि इस चीज के हम खुद मालिक हैं, लैंड रेवेन्यू के लिये उन्हें एसोसियेट करना पड़ेगा। हमारे भूतपूर्व कॉंग्रेस प्रेसिडेन्ट थे, उनकी भी यही राय थी। हमारे जो एक व्हिप हैं उन्होंने कहा है कि ह्यूमन लेबर को काम में लेने की पॉवर नहीं देना चाहिये। मैं समझ नहीं सकता कि दूसरा टैक्स जो ग्राम पंचायत समिति लगा सकती है वह है लेबर टैक्स, वह इसमें खास तौर से मिसिंग है, वह क्यों? हमको चाहिए कि वास्ट रीसोर्सेज ऑफ ह्यूमन वेल्थ है उसको स्टेट के, नेशन के डेवलपमेंट में लगावें। उसका आप यूज करना नहीं चाहते। आप उसे लेबर टैक्स के फोर्म में रखें और सबको लेबर टैक्स देना होगा। आज जो गांवों में मालदार लोग हैं और काम करना नहीं चाहते वे मनी के रूप में लेबर टैक्स देंगे और जो गरीब आदमी हैं वे अपनी टैक्स के रूप में लेबर दे सकते हैं। अगर सब लोग 21 days in a year भी लेबर दें तो एक साल में सब की लेबर १०० करोड़ रुपयों की हो सकती है जो वर्क आउट की गई है। इसको हम युटिलाइज नहीं करना चाहते। आप इसके बजाय प्रोफेशन टैक्स लगाना चाहते हैं। मगर आप जानते हैं कि यह टैक्स मोडर्न प्रोफेशन टैक्स किस पर लगेंगे! आप यह टैक्स ब्लेकस्मिथ, कारपेन्टर आदि पर लगाना चाहते हैं। मगर वे लोग भी गरीब आदमी ही होंगे जिन पर आप इस प्रकार का टैक्स लगाने जा रहे हैं जिनकी केपेसिटी टैक्स देने की नहीं है। इसलिये यह तो मानना ही पड़ेगा कि यह टैक्स भी गरीबों को ही देना पड़ेगा और अमीरों को नहीं देना होगा। सबसे बड़ा और इम्पोर्टटेन्ट टैक्स है जिससे आमदनी हो सकती है वह ऑक्ट्राय है। मगर वह पंचायत लेवी नहीं कर सकती है। म्युनिसिपेलिटीज लेवी कर सकती हैं। मैं यह कहूंगा कि हमने कानून को बड़े हेप हेजार्ड वे में रखा है और जल्दी में रख दिया है। हमने यह नहीं देखा कि कौन से सोर्सेज ऑफ इन्कम पंचायतों के होने चाहिए और कौन से नहीं होने चाहिए। हम यह उनको फंक्शन्स देते हैं कि वे कोमर्स क्रोप और इन्डस्ट्री को एन्करेज करें और हम यह भी उनको पॉवर देते हैं कि सोर्सेज ऑफ इनकम के लिये वे उन पर टैक्स लगावें। मैं यह कहूंगा कि एक तरफ तो हम उनको एन्करेज करना चाहते हैं कि वे अच्छी तरह से काम करें और दूसरी तरफ हम उन पर टैक्स लगाना चाहते हैं। समझ में नहीं आता कि इस प्रकार के टैक्सों के लगाने से किस प्रकार से वे उन्नति कर सकेंगे। एक तरफ तो हम एग्रीकल्चरल और इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट को बढ़ाना चाहते हैं और दूसरी तरफ हम उन कॉमर्शियल क्रोप्स पर टैक्स लगाना चाहते हैं जिन पर हमारा एक्सपोर्ट रिसोर्सेज डिपेन्ड करता है, यह कैसे सम्भव हो सकता है। इससे एक्सपोर्ट पोटेन्सियलिटी समाप्त हो जाती है। इसलिए आपने इन्कम के जो रिसोर्सेज रखें है मोडर्न, उनको आप हटा दें और उनकी जगह लेबर टैक्स रखें।

अब आपने उनको लैन्ड मेनेजमेंट के पावर्स दें। हम देखते हैं कि यह कोई नई चीज को हम करने जा रहे हों ऐसी बात

(श्री श्री मानसिंह)

नहीं है । To start the service co-operatives. सर्विस कोऑपरेटिव को मानते हैं कि यह होना चाहिये । मैं यह भी मानता हूं कि उनके पास इम्प्रूव्ड इम्प्लीमेन्ट्स भी होने चाहिए । इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चरल टेक्नीकल भी हो । हम यह भी चाहते हैं कि वहां पर आप सोशियल एजूकेशन, एडल्ट एजूकेशन और औरतों की शिक्षा के लिये भी पंचायत समिति एफिसियेन्टली अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज करें । लेकिन सोशियल एजूकेशन में आपने जहां तक एडल्ट और विमेन एजूकेशन का सवाल है आपने उसको वाइन्ड अप कर दिया है क्योंकि आपकी मशीनरी उसको अच्छी तरह से चलाने में कामयाब न रही । इसलिए यह उनको देना बेकार है, वे इसको कर नहीं सकते । आप सर्विस कोआपरेशन को प्रोत्साहन दें । अगर किसी पंचायत ने अपने यहां पर १० हजार या २० हजार की सर्विस कोआपरेटिव शुरू कर दी तो उसके लिए यह नहीं कहा जा सकता कि उसने प्रोपर रूप में कोऑपरेटिव को शुरू कर दिया है । वह तो वैसे हो होगा जैसे To put the cart before the horse. जब तक हम एक ब्लॉक में लैन्ड के इकोनोमिक होल्डिंग्ज न बनायेंगे तब तक कोआपरेटिव फार्मिंग नहीं कर सकते और तब तक सर्विस कोऑपरेशन सक्सीड नहीं हो सकता । इसलिए इस फंक्शन को तो आप अपने पास ही रखिए । जो फंक्शन लैंड से कनेक्टेड हैं उनको हमें फिर से रिवाइज़ करना पड़ेगा क्योंकि यह बड़े बड़े लैन्डलॉर्ड्स के हित में है । हम कोई लंबी लिस्ट दे दें इससे यह प्रोटेक्शन नहीं होगा । एग्रीकल्चरल इम्प्रूव्ड इम्प्लीमेंन्टस हर एक व्यक्ति को यूज करना चाहिए । मगर मैं यह कहूँगा कि अगर आप १ मन २० सेर बीज डिस्ट्रिब्यूट करें तो आप उस एक एकड़ लैन्ड पर कौनसा इम्प्रूव्ड इम्प्लीमेंट यूज कर सकते हैं । अगर आप वहां पर इम्प्रूव्ड इम्प्लीमेंट यूज करेंगे तो उसकी कोस्ट भी इतनी आवेगी कि in time to come उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा और फिर स्माल होल्डिंग पर वह उन टेकनीकल इम्प्रूव्ड इम्प्लीमेंट को कैसे काम में लावेगा । जहां पर अन-इक्नामिक लैन्ड डिस्ट्रीब्यूशन हो और वह भी छोटे छोटे टुकड़ों में तो वहां पर यह इम्प्रूव्ड इम्प्लीमेंट काम में नहीं आ सकते ।

शिक्षा के सम्बन्ध में गाँव में अभी तक पुराना कल्चर मौजूद है । अगर गांव में कोई बूढ़ा पढ़ने के लिए स्लेट से लेकर जावे तो लोग उसे बहुत बुरा समझते हैं । इस तरह की चीज अभी तक गांवों में मौजूद है । इसलिए वहां पर इनकी जरूरत नहीं है और दूसरे मैं समझता हूं कि आप उनको सभी फंक्शन्स दे दीजिये मगर सबसे बड़ा फंक्शन यह दें कि कोई इन्डिविजुअल को एक पंचायत समिति या ग्राम पंचायत भूला न रहने दें इसके लिये आप उनको एनलाइटनमेंट दें । आपने इसके लिए एक जनरल टर्म में रख दिया है और यह पॉवर सारे राजस्थान में पंचायत समितियों को दे रहे हैं । मैं समझता हूं कि बनिस्बत इसके कि आप यहां सारे राजस्थान में लागू करते, पहले एक डिस्ट्रिक्ट या डिवीजन में लागू करके देखते । आपने बहुत बोल्ड स्टेप लिया है लेकिन मैं यह कहूंगा कि आप कौशन को भूल गये । मैं सिद्धान्त को मंजूर करता हूं लेकिन यह निवेदन करूंगा कि ये सारे पॉवर्स जो दिये गये हैं यों सारे राजस्थान में लागू नहीं करनी चाहिये । हमारे मुख्य मंत्रीजी रीपीटेडली यह कहते हैं कि यह कोई एक्स-

(श्री श्रीमानसिंह)

पेरिमेन्ट नहीं है। लेकिन मैं यह कहूंगा कि यह एक एक्सपेरिमेन्ट है और हमको जो कोशन्स मेहता कमेटी ने दिये हैं उनको मानें। हम इसको पहले एक डिस्ट्रिक्ट में लागू करके देखें। उसके रिजल्ट को देखें और बाद में धीरे धीरे उनको सभी डिविजनों में लागू कर सकते हैं। पहले पहल एक डिस्ट्रिक्ट को न लें तो हम एक डिविजन को ले सकते हैं लेकिन इसको सारे राजस्थान में लागू करना मैं कहूँगा कि इसमें कहां तक हम सक्सेसफुल होंगे, यह नहीं कहा जा सकता और इसमें कितनी अडचनें आवेंगी और गवर्नमेंन्ट के पास क्या मशीनरी है। अगर मशीनरी और ज्यादा लगानी पड़ी तो जिस इकोनोमिक पोइन्ट ऑफ व्यू से इसको चालू किया जा रहा है वह इकोनोमिक पोइन्ट ऑफ व्यू नहीं रहेगा। इसलिये आपको ग्रेड बाई ग्रेड चलना चाहिये। ए. बी. सी.। जहां पर ज्यादा लिट्रेसी हो वहां पर शुरू करें और जिस तरह से हमने ब्लॉक्स को लागू किए हैं उसी तरह से इसको लागू करें। सारे राजस्थान में ब्लॉक्स को एक साथ चालू नहीं किये धीरे धीरे किये हैं, उसी तरह से इसको करें। जैसे जैसे प्रोग्रेस करते रहें वैसे २ आप आगे बढ़ते जावें। सरकार का यह मकसद था कि पंचायतें भी प्लान में पार्टीसीपेट करें। मैं नहीं समझ सकता कि वह मकसद कैसे पूरा होगा। ग्राम पंचायत तहसील पंचायत को और तहसील पंचायत समिति को और पंचायत समिति जिला परिषद् को और वहां से वह प्लान गवर्नमेंट के पास डिस्ट्रिक्ट अधिकारी के पास से होकर आएगा। इसके अलावा आपने इसमें तीन साल का टर्म रखा है। मैं नहीं समझता कि तीन साल में कौन सा प्लान है जिसको वे एग्जिक्यूट करेंगे। इसलिये जो मेहता समिति ने ५ वर्ष का समय दिया है, मैं समझता हूँ कि वह समय उनको मिले और दूसरे बॉडी इस फोर्म पर आवें कि उसको एग्जिक्यूट करें। डेवलपमेंट के मकसद से आपका यह तीन साल का टर्म है वह मैजर डिफीट होता है।

आपको फिर यह सोचना पड़ेगा कि प्लान का जो थ्री इयर्स टर्म है उसको बढ़ाया जाय। साथ में रैश्नेलाइजेशन कर रहे हैं, साइन्टिफिक डिस्ट्रिब्यूशन ऑफ पॉवर्स कर रहे हैं लेकिन साइन्टिफिक डिस्ट्रिब्यूशन ऑफ पॉवर्स में भी कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। इसलिए ज़रूरत महसूस होती है कि पंचायत समितियां डेवलपमेन्ट के नीचे हैं और कोऑपरेटिव किसी दूसरे के पास। तो फिर इन दोनों का कैसे कोऑर्डिनेशन होगा? पंचायत समितियों को यों स्टार्ट कर रहे हैं कि कोऑपरेटिव की भावना आवे और कम्युनिटी भावना किस तरह से आ सकती है? वह एजेन्सी है कोऑपरेटिव सोसाइटी। यदि कोऑपरेटिव एक मिनिस्टर के पास और पंचायत समितियां दूसरे मिनिस्टर के पास रहें तो स्मूथली फन्क्शन नहीं हो सकता। मेरी तो यह राय है और मेहता कमेटी ने भी शायद यह सजेशन दिया है कि कोऑपरेशन और पंचायत समितियां एक मिनिस्टर के पास रहनी ही चाहिये, क्योंकि दोनों का परस्पर सम्बन्ध है जिससे कि दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन न हो। जिस मकसद से हमने कोऑपरेटिव मूवमेन्ट शुरू किया था, जो कोऑपरेटिव स्पिरिट फैलनी चाहिये थी वह नहीं फैल सकी, वह आई नहीं और वह क्रेडिट एजेन्सी बन कर ही रह गई। चीफ मिनिस्टर यदि अपने नीचे पंचायत समितियां

(श्री श्रीमानसिंह)

रख रहे हैं तो उनको अपने नीचे कोओपरेटिव डिपार्टमेन्ट को भी रखना चाहिये।

अन्त में मुझे यह निवेदन करना है कि यह एक बहुत अच्छा ढांचा है, प्रेग्रेसिव है, पॉवर्स देना चाहते हैं, बाई स्टेटजेज रखना चाहते हैं। मगर इसकी सबसे बडी रेस्पोन्सिबिलिटी आती है, वह आती है पोलिटिशियन्स पर। जो अब तक पंचायतों का फंक्शनिंग रहा है, मैं खुद कभी कभी ताज्जुब में हो जाता हूँ कि सेन्ट्रेलाइजेशन इससे अच्छा है। क्यों? जहां पोलोटिशियन्स ने पंचायत में इन्टरफियरेन्स किया, बैलट का मिसयुटिलाइजेशन होगा और अपने फेवर में युटिलाइज करेंगे तो जो लाइन रूरल कंट्री साइट को देना चाहते हैं उसको वे डेस्पेरेट कर देंगे और उसकी जगह फ्रेक्शनलिज्म दे देंगे। मैं निवेदन ही कर सकता हूँ। लेकिन इसमें प्रोविजन होता कि पार्टी बेसिस पर चुनाव नहीं लड़े जावेंगे तो अच्छा होता। पोलिटिकल आदमी हैं, किसी पार्टी से अलाइनमेन्ट रहता है, कन्टेस्ट नहीं कर सकते तो यह हैल्दी डिसिजन हो सकता है। मौजूदा जो व्यवस्था है उसको देखते हुए यह नहीं है और राजस्थान में पार्टीज खड़ी होकर क्लेम कर सकती हैं। लेकिन इसमें ऐसा कर देने से इन्डिया के सामने एक एक्जाम्पल भी रखा जा सकता है कि पोलिटिकल पार्टीज को फोरफीट कर दिया है। यह लीगल बार नहीं रखा है। पोलिटिशियन्स राजस्थान का भला चाहते हैं, रूरल साइट का भला चाहते हैं, कन्ट्री साइट का वे हित चाहते हैं, कहते हैं वे अपने को कि हम फार्मर्स के लीडर्स हैं, उनके राइट्स को सुरक्षित रखते हैं, उसकी विसेज को रखते हैं उनको यह सेक्रीफाइस रखना पड़ेगा और यह कोई बड़ा सेक्रीफाइस नहीं है। उनको वैलजज पंचायतों में पोलिटिक्स से दूर रहना पड़ेगा। उनको डेवलप करने के लिये गवर्नमेंट ने काफी ग्राउण्ड्स इस बिल से पैदा कर दिये हैं लेकिन पोलोटिशियन्स को यह प्रोहिबिट नहीं करता है। यदि कर सकते हैं तो करें। उसके बाद एक इन्स्टीट्यूशन की जरूरत रहती है। डिस्ट्रिक्ट और पंचायत लेवल पर एक व्यवस्था कर रहे हैं तो उनका किसी प्रकार का एक प्रोविन्शियल रिप्रेजेन्टेशन होना चाहिये, ऐसी इन्स्टीट्यूशन होनी चाहिये कि जो उनकी प्रोब्लेम्स हों उनको गवर्नमेंट के सामने कह सके। इस तरह एक प्रोविन्शियल लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट और तहसील लेवल पर उनकी वान्ट्स को और उनके ग्राउण्ड्स को पहुँचा सके तो यह अच्छा होगा कि एक ओर्गेनिजेशन, एसोसियेशन क्रीयेट कर लें। मेरी यह सूचना है कि सौराष्ट्र में एक मध्यस्थ मण्डल टाइप की संस्था है जो पंचायत को लुक आफ्टर करती थी प्रोविन्शियल लेवल पर। हमें यह सोचना पड़ेगा।

अन्त में मैं माननीय मन्त्री को कांग्रेचुलेशन्स दूं कि यह स्टेप है वह राइट डिरेक्शन में है, यह प्रोग्रेसिव स्टेप है और वर्किंग के लिए इतना जरूरी है कि ऑफिसर्स को कन्ट्रोल करना पड़ेगा। ओफिशियल मेन्टेलिटी को चेन्ज करना पड़ेगा और सबसे लीस्ट चेन्ज्ड मेन्टेलिटी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स की है क्योंकि वेलफेयर स्टेट्स में ओफिशियल मेन्टेलिटी को रिओरीयेन्टेशन करना पड़ेगा और आप देखेंगे कि भूतपूर्व डाइरेक्टर ऑफ पंचायत्स श्री हारेसिंह ने ओफिशियल्स पर चार्ज लगाया था कि ऑफिसर्स पंचायतों के कामों में बाधक होते हैं, उनकी प्रोग्रेस में

(श्री श्रीमानसिंह)

गड़बड़ी पैदा करते हैं। एक किसी मीटिंग के अन्दर उनके ये चार्जेज थे। उनका इन्टेन्शन क्या था इस विषय में मैं नहीं जाना चाहता हूँ। इतना जरूरी है कि पंचायत समितियों से पोलिटिशियन्स को दूर रहना चाहिये। उधर तो पोलिटिशियन्स और इधर अरबन माईन्डेड आदमियों पर वे डिपेन्ड करेंगे। ऑफिसर्स पर आपका नियन्त्रण है, उनको रोक रख सकते हैं। ओफिशियल क्लास में सेक्टेरियन मेन्टेलिटी घुस गई है। नेरो पार्शियल एप्रोचेज ऑफिसर्स की हैं, उसको चेक करने की जिम्मेदारी खुद माननीय चीफ मिनिस्टर पर आती है उनको कन्ट्रोल करना पड़ेगा। अगर कन्ट्रोल कर लेंगे तो मैं समझ नहीं सकता कि फिर कौन सा पहाड़ और पत्थर आ सकता है जो प्रोग्रेस में बाधा डाले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर इस बात के लिए कांग्रेचुलेशन दूं कि यह स्टेप अच्छा है और जो गलतियां मैंने बतायीं उनको सुधार लेंगे तो यह बिल और भी अच्छा हो जावेगा।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष, राजस्थान पंचायत समिति और जिला परिषद् बिल प्रवर समिति के बाद हमारे सामने विचाराधीन है। इसके ऊपर बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये हैं और मैं समझता हूँ कि सब ओर से इस बिल का स्वागत हुआ है। मैं भी प्रारम्भ में सर्व प्रथम यह चाहूँगा कि जो डिसेन्ट्रेलाइजेशन का, विकेन्द्रीकरण का यह कदम उठाया गया है उसका राजस्थान की ओर से सर्व प्रथम स्वागत करूं।

मैं इस बात का विचार करता हूं कि आया यह विकेन्द्रीकरण किया जा रहा है वह एक नई चीज है या हमारे यहाँ पहले से ही विकेन्द्रीकरण राजस्थान में चला आ रहा है। मैं जब इस बात पर विचार करता हूं तो इस निर्णय पर पहुंचता हूं कि हम जिस विकेन्द्रीकरण की ओर कदम उठा रहे हैं वह कोई नई चीज नहीं है। जब गहराई से इस पर विचार करते हैं और राजस्थान में वर्तमान में जो पंचायतों, तहसील पंचायतों और जिला बोर्ड की स्थिति पर विचार करते हैं तो यह लगता है कि इन नामों को यहां पर चेन्ज कर रहे हैं, उनके नामों में थोड़ा सा परिवर्तन करके दूसरी चीज लायी जा रही है, उसमें नया परिवर्तन किया नहीं है, इस बात पर विचार करना पड़ता है। जब इस बात पर विचार करते हैं तो यह लगता है कि हां, इसमें एक परिवर्तन आ गया है और वह परिवर्तन क्या है ? जो ग्राम पंचायतें थीं उनको तहसील पंचायतें कहा जा रहा है, जो तहसील पंचायतें थीं उनको जिला परिषद्। कुछ विशेष अधिकार दिये हैं। अधिकार किस दिशा में दिये हैं जब इस बात पर विचार करते हैं तो यह लगता है कि हमारे यहाँ योजनायें सुन्दर सी बनी हुई नहीं थीं, योजनाओं में सहयोग हमें यहां से पर्याप्त रूप में नहीं मिल पाया था। या हम जनता से श्रमदान के रूप में जितना पैसा लेना चाहते थे वह नहीं ले पाये थे, इस कमी को किस प्रकार दूर किया जाय और जनता से अधिक पैसा लिया जाय और योजना को ठीक प्रकार से चलाया जाय, यही भावना इस बिल के अन्दर है। जैसा कि इस बिल के एम्स एण्ड ओब्जेक्ट्स को देखने से पता चलता है—इसमें लिखा है कि योजनाओं को ठीक तरह से चलाने के लिए इस प्रकार का कदम उठाया गया है। हमने जब एक ओर पंचायत समितियों को

(श्री दयाकृष्ण विजय)

योजनाओं के नाम पर बहुत से अधिकार दिये हैं जैसे प्राइमरी एज्युकेशन, विलेज फोरेस्ट, कम्युनिटी डेवेलपमेन्ट, कम्युनिटी प्रोजक्ट, हेल्थ, सोशियल सर्विसेज ये सब कुछ उसके अन्तर्गत रखे हैं। मैं इस बात का भी स्वागत करता हूं कि इसमें एक नयी चीज की वृद्धि हुई है। जो पहले कुछ नौकरशाही के बीच में उलझी हुई थी, विकास अधिकारी को या दूसरे एक्सटेन्शन अधिकारी को जो पहले अधिकार थे, अब उन अधिकारों को जनता के चुने हुये जो वास्तव में जनता के मालिक हैं उनको हम इस बिल द्वारा दे रहे हैं। उन लोगों के हाथ में सत्ता को भेज रहे हैं यह विकेन्द्रीकरण ऐसा है जिसे वास्तव में विकेन्द्रीकरण कह सकते हैं इसमें कोई दो मत नहीं हो सकते।

आखिर इसके पीछे, जैसा कि मैंने पहले संकेत किया, योजनाओं को क्रियान्वित करने की जो भावना रखी गई है कि योजनाओं के लिये जितना सरकार टैक्स लगा सकती थी वह तो उसने लगा दिया। अगर आप इस बारे में किसी कमीशन को बिटाकर देखें तो आपको पता चलेगा कि विशेषकर ग्रामीण जनता पर बड़ा भारी कर का भार है। ऐसी परिस्थिति में जब कर लगाने के अधिकार जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में देते हैं और उनके द्वारा इस प्रकार के टैक्स लगते हैं तो जनता में और खास तौर से ग्रामीण जनता में एक प्रकार से विक्षोभ पैदा होगा यह भावना इससे स्पष्ट नजर आती है। हमने जो योजनाओं का भार पंचायत समितियों पर डाला है, योजनाओं के क्रियान्वयन और उसके निर्माण का जहां तक सवाल है उसमें खास तौर से अर्थ का सवाल आता है और जब हम आर्थिक दृष्टि से इसे देखते हैं तो हम पाते हैं कि हमने आर्थिक विकेन्द्रीकरण उसमें नहीं किया है। यह जनतन्त्र का मूल सिद्धान्त है कि हम केवल राजनैतिक सत्ता के विकेन्द्रीकरण को ही केवल विकेन्द्रीकरण नहीं मान सकते। विकेन्द्रीकरण वास्तव में वह होता है जिसमें आर्थिक, सामाजिक और सोशल सर्विसेज और धार्मिक प्रवृत्तियां होती हैं उन सब का साथ साथ विकेन्द्रकरण होना चाहिये। तभी हम विकेन्द्रित शासन की, समाज की कल्पना कर सकते हैं। केवल सत्ता को थोड़ा लोगों के हाथ में दे दें और आर्थिक ताकत न दें तो यह विकेन्द्रीकरण नहीं कहा जा सकता। मैं गलती नहीं करता तो अर्थ ही एक ऐसी चीज है जिसके बिना सब चीजें अधूरी हैं। अगर हम कितनी ही आजादी दे दें और जब तक आर्थिक रूप से स्वतंत्रता प्रदान नहीं करते तो वह स्वतंत्रता अधूरी है। इसी सिद्धान्त के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि इस पंचायत समिति विधेयक से जो हम विकेन्द्रीकरण करने जा रहे हैं उसमें हमने पंचायत समितियों और जिला परिषदों को किसी प्रकार की आर्थिक स्वतंत्रता नहीं दी है। हमने उनको टैक्सेशन के पॉवर्स दिये हैं लेकिन जिस प्रकार से सुझाव इसमें दिये गये हैं उन सुझावों से पंचायत समितियां कुछ पैसा जबर्दस्ती ले लेंगी। इससे होगा क्या कि जनता के अन्दर विद्रोह पैदा होगा। इस बिल की धारा २७, २८, और २९ को देखें तो उसमें जो टैक्स लगाये गये हैं उसमें जमीन जो रखता है, उस पर टैक्स लगाया है, जमीन पर ऑक्यूपेशन रखता है उस पर भी टैक्स लगाया है। इसके बावजूद भी और हमने

(श्री दयाकृष्ण विजय)

थोड़ा दिया है वह यह कि पंचायत समितियों को प्रति व्यक्ति २५ नया पैसा दिया जायेगा। यह २५ नया पैसा कितना होगा जब कि उसकी मल्टीपर्पज एक्टीविटीज हैं। मेरा तो यह खयाल है कि जितना पैसा इस तरह से उनके पास आयेगा वह तो उनके स्टाफ पर ही खर्च हो जायगा। इसमें लगान का भी कुछ पार्ट दिया गया है लेकिन वह भी इतना नहीं है कि जिसकी वजह से यह कह सकें कि उनके हाथ पूरी तरह से मजबूत होजायेंगे। यह मानने लायक नहीं है। जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता ने सुझाव दिया, हमारे यहां प्राचीन काल के अन्दर जो कुछ पंचायतें थी वहां आज जनतंत्र यह कोई नयी चीज नहीं है। भारतवर्ष के लोगों की मूल प्रवृत्ति ही जनतन्त्र के अनुकूल है क्योंकि हमारा देश अध्यात्म प्रधान देश रहा है। सहिष्णुता, शान्ति आदि जो पंच शील में है वे यहां प्राचीन काल से विद्यमान हैं। जनतन्त्र यहां फला फूला है जैसा कि बाहर के विदेशी विचारक भी सोचते हैं, अगर कहीं जनतंत्र सफलता पूर्वक चल रहा है तो वह भारतवर्ष में ही चल रहा है। इन विचारों का कारण यह है कि हमारे देश का जो जन है उसकी मूल प्रकृति जनतंत्र में पली हुई है। इसके साथ साथ यह कहना भी मैं अप्रासंगिक नहीं मानता कि हमारे देश के जो कर्णधार हैं जिन्होने सिंहासन अपने अधिकार में कर रक्खे हैं उनमें कुछ ऐसे दोष आगये हैं जिनके कारण जनमानस में इस प्रकार की कल्पना होने लगी है कि जनतंत्र जिस प्रकार से यहां सफल होना चाहिये वह नहीं हो रहा है। हमारे देश के विचारक हैं उन्होंने इस बारे में विचार किया है और उनका मत है कि देश के नेताओं में जो इस प्रकार की खामियां हैं उसके कारण जनतंत्र यहां सही दिशा में नहीं जाता दिखाई देता। हम आज विकेन्द्रीकरण की बातें करते हैं। केवल सत्ता का विकेन्द्रीकरण ही सारा विकेन्द्रीकरण नहीं है। इसमें दिक्कत क्या है? आज हम एक नारा, एक आवाज धीरे धीरे लगाते हैं जिसको समाजवाद का नाम देते हैं। अगर जरा ध्यान रक्खें तो बहुत स्पष्ट हो जायेगा। लोगबाग कहते हैं कि समाजवाद सामन्ती का प्रतीक है। कुछ लोग कहते हैं कि मजदूरों के हित संरक्षण का नाम ही समाजवाद है। लेकिन जिन्होंने मार्क्सवाद को पढ़ा है वे कहते हैं निश्चित रूप से हम सारी सत्ता को, चाहे वह आर्थिक हो चाहे राजनैतिक, उसे एक पार्टी के रूप में, केन्द्र में केन्द्रित कर दें वह समाजवाद है। और सब के ऊपर एक डिक्टेटर रहे, सारे तन्त्र को चलाने वाला एक आदमी हो, जहां न आर्थिक और न राजनैतिक स्वतन्त्रता हो, इस प्रकार के शासन को समाजवादी शासन मानते हैं। आज हमारे देश में भी हम इस प्रकार की विचारधारा को लेकर चलते हैं। कांग्रेस ने इस प्रकार की आवाज लगायी और आज विकेन्द्रीकरण की बात करते हैं, वह एक प्रकार से आत्मा के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। लेकिन कहा यह जाता है कि हम जनतन्त्रीय समाजवाद की स्थापना करना चाहते है जो जनतन्त्र के अन्दर विकसित हो। और डिक्टेटरशिप में एक व्यक्ति और उसकी पार्टी के नेतृत्व में विकास होता है। हम जब समाजवाद की बातें करते हैं, डेमोक्रेटिक सोशिलिज्म की बातें करते हैं तो उसका मेल विकेन्द्रीकरण से नहीं बैठ सकता।...

श्री उपाध्यक्ष : We are discussing the principles of the Bill.

श्री दयाकृष्ण विजय : मैं इसलिये कह रहा हूं कि जनतन्त्र के अन्दर जब हम सत्ता का विकेन्द्रीकरण करने जा रहे हैं वैसी हालत में हमें इस बात पर भी विचार करना है कि क्या हम डिक्टेटरशिप के आधार पर विकेन्द्रीकरण करना चाहते हैं। या क्या? इसके अलावा एक कारण और भी है। हमारे जो सोचने का तरीका है, हमारे नीचे से लेकर ऊपर तक का जो ढांचा है, प्रशासनिक ढांचा है उसमें ईमानदारी का अभाव है। जो कुछ लोग ईमानदार भी हैं।...

श्री उपाध्यक्ष : Why not speak on the question itself please? You are going astray.

श्री दयाकृष्ण विजय : इस बारे में विचार करेंगे कि हम जिस चीज़ की ओर बढ़ रहे हैं उसमें किन किन बातों की ओर ध्यान देना पड़ेगा ताकि हमारा कदम जो हम उठाने जा रहे हैं ज्यादा सक्सेसफुल हो सके। यह महत्वपूर्ण चीज़ है जिसकी ओर हमें ध्यान देना पड़ेगा। हमारे अन्दर जो इसका अभाव आ गया था उसके कारण भी जनता के अन्दर यह भावना जगी कि देश के अन्दर जनतंत्र नहीं पनप सकता और इसी कारण आज हमारे देश में कन्फ्यूजन आ गया है। इसके लिए तो अब जनता यह सोचने लगी है कि जब तक कोई जनरल अयूब नहीं आयेगा तब तक काम नहीं चलेगा...

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य को पुनः निवेदन करूंगा कि समय को सामने रखकर विषय से दूर न जायें।

श्री दयाकृष्ण विजय : तीसरी बात इसमें मैं निर्वाचन के लिए कहना चाहता हूं। निर्वाचन जिससे सारा जनतंत्र चलता है। जहां कहीं निर्वाचन होते हैं और जनता के चुने हुए प्रतिनिधि पहुँचते हैं उसे हम जनतंत्र का नाम देते हैं। क्योंकि जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा ही शासन चलता है। अगर हम सच्चे माने में जनतंत्र का सही अर्थ लगायें तो भी यही है कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा शासन चले। अब यहां पर हमें यह देखना है कि जो निर्वाचन होते हैं उनमें क्या खराबियां होती हैं और जो इस बिल के अन्दर भी सामने आती हैं। निर्वाचन पद्धति ऐसी है कि जिसमें बहुत अधिक पैसा खर्च करना पड़ता है और इसमें जो सबसे ज्यादा खराबी है वह यह है कि परस्पर की लड़ाई और गुटबन्दी होती है। इससे गांवों की जो शक्ति है वह बिल्कुल खत्म होती जा रही है। क्या वही चीज आप इसमें रखेंगे और इस बिल के द्वारा जिस प्रकार से पंचायत समितियों और जिला परिषदों का गठन किया गया है उसको यदि देखें तो उससे ऐसा लगता है कि जो ग्राम पंचायतों के सरपंच हैं, वे पंचायत समितियों में ले लिए जायेंगे और पंचायत समिति के जितने प्रधान हैं उनको जिला परिषदों में पहुँचा दिया जायगा। मैंने इस बात पर काफी विचार किया है और कुछ लोगों ने यह कहा कि हमें योजनाओं को ग्राम पंचायतों के द्वारा क्रियान्वित कराना है। क्योंकि गांवों के अन्दर सरपंच सबसे ज्यादा

(श्री दयाकृष्ण विजय)

पॉवरफुल होते हैं इसलिए योजनायें उन्हीं के द्वारा बनाई गई होती हैं अगर इसलिए उसको नहीं रखा गया तो फिर कठिनाई आ सकती है। लेकिन जिला परिषद् जो इस बिल के अनुसार ब्लॉक एडवाइजरी बॉडी है और जो कि सुपरविज़न करने वाली शक्ति है उसमें भी वहां के प्रधान रखें तो किस प्रकार यह बात सिद्ध होती है। इस बात को देखना है कि यदि उन्हीं लोगों को रख दिया तो एक तरफ उन व्यक्तियों का जो प्रधान है, क्योंकि ग्राम पंचायत में सरपंच नहीं होगा, ग्राम पंचायत से उनका संबंध टूट गया फिर प्रधान बनने के बाद में प्रमुख की जो जगह है या जो जिला परिषद् की सदस्यता है उस तक वह पहुंच गया। इसका मतलब ग्राम पंचायतों से उसका संबंध टूट गया। जो हमारे विकेन्द्रीकरण की प्रमुख इकाई हो सकती है वह है ग्राम पंचायत। इस प्रकार से जो नवीनता हम लाना चाहते हैं वह नहीं ला सकेंगे। मैं इसमें एक सुझाव देना चाहता हूं। यदि हम पंचायत समितियों में ग्राम पंचायत के सरपंच को रखते हैं तो यह विचारणीय हो सकता है, लेकिन जिला परिषद् के लिए प्रधान को नहीं भेजकर पंचायत समितियों में जितने भी पंच हों उनका एक मतदाता मण्डल बनाकर उनके द्वारा चुना हुआ एक प्रतिनिधि भेजा जाये। हमारा जनतंत्र बहुमत से चलता है। अगर मान लीजिए कि एक संस्था में एक पार्टी के ५१ वोट हैं और दूसरी पार्टी के ४९ वोट हैं तो वह पार्टी जिसके ५१ वोट हैं वह अपना बहुमत मानकर काम करने लगेगी। अब हमें यह देखने को मिलता है कि सरपंच मिल गए और उनके बहुमत से प्रधान बन गया तो जो पार्टी ५१ वोट लेकर आती है याने दूसरी पार्टी से जिसने केवल दो वोट ही ज्यादा लिए हैं वह अपना भारी बहुमत बना लेगी क्योंकि उसके अन्दर बाद में कोऑपशन वाले भी आदमी आयेंगे। जब हम चाहते हैं कि हमारी योजनाओं के लिए जन सहयोग अधिक से अधिक मिले तो यह आवश्यक हो जाता है कि किसी प्रकार भी हम पंचों को अपने विश्वास में रखें और पंचों को विश्वास में तब ही रख सकते हैं कि जब कि हम जिला परिषद् में उस पंचायत समिति से एक व्यक्ति भेजें। जबकि एक व्यक्ति पंचायत समिति से जायेगा तो पंचायत समिति का भी प्रतिनिधित्व जिला परिषद् में हो जायेगा। यदि आपने केवल प्रधान को ही जिला परिषद् में भेज दिया तो वह प्रधान जो कार्य करने वाला है, योजना बनाने वाला है क्या उनका निरीक्षण वह स्वयं करेगा। जो योजना बनता है वह जिला परिषद् में जाकर उसी का सुपरविज़न करेगा और उसी की एडवाइज़ करेगा। आखिर उस व्यक्ति के विचार जो स्थानों पर भिन्न भिन्न नहीं हो सकते, वह उसी प्रकार से रूढ़िगत चलेगा जिस प्रकार नदी का प्रवाह रूढ़िगत चलता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि भिन्न विचार रखने वाला या नये सुझाव देने वाला व्यक्ति उसमें नहीं रहेगा। यदि हम चाहते हैं कि नवीन सुझाव देने वाला व्यक्ति अलग से होना चाहिए और उसको पंचों के अन्दर विश्वास होना चाहिए तो यहां यह जरूरी हो जाता है कि जिला परिषद् का कान्स्टीट्यूशन पंचायत समिति से चुने हुए एक व्यक्ति के द्वारा हो।

Page No.53

(श्री दयाकृष्ण विजय)

अब मैं दूसरी बात पर आता हूँ और वह यह है कि इन पंचायत समिति के अन्दर या जिला परिषद् के अन्दर कुछ कोऑप्टेड मेम्बर रखे जायेंगे। जैसा मैंने कहा कि वह ५१ मत वाला अपना बहुमत बना लेता है और उसी को प्रधान चुन लिया। लेकिन अब जहां एक या दो का अन्तर है और उस ५१ वाले को इतना बहुमत दे देते हैं कि उसको नहीं हटाया जा सकता, उसके खिलाफ कभी नो - कॉन्फीडेन्स मोशन ही नहीं लाया जा सकता। क्योंकि जो कोऑप्शन होगा वह By the majority party होगा। इससे पांच सात आदमी उसमें और बढ़ जायेंगे। मान लें कि ३० सदस्यों की कोई पंचायत समिति है और उसके अन्दर १६ एक ओर और १४ दूसरी ओर हैं। इसके अन्दर १६ की पार्टी वाला प्रधान बनेगा हालांकि इन दोनों पार्टियों के अन्दर केवल दो सदस्यों का ही अन्तर है पर उसके खिलाफ कभी भी नो कॉन्फीडेन्स मोशन नहीं आ सकेगा क्योंकि ७ मेम्बर और भी कोऑप्ट होकर आ जायेंगे। तो इस प्रकार से कोई उस बहुमत वाली पार्टी के खिलाफ नो कॉन्फीडेन्स मोशन नहीं ला सकता क्योंकि उस पार्टी के तो केवल १४ ही आदमी रहेंगे और दूसरी तरफ १६ और ७ हो जायेंगे। इसलिए जो माइनोरिटी पार्टी है उसके हृदय में हमेशा निराशा की भावना रहेगी और कार्य में जो जन सहयोग चाहिए वह उसका हमेशा विरोध करेंगे और जो योजनाओं में पारस्परिक गुटबन्दी है वह बढ़ती चली जायेगी। इसलिए इस बात को यदि हम मद्देनजर रखें कि कहीं बहुमत पार्टी इतनी शक्तिशाली न हो जाये तो उसके लिए हमें यह चाहिए कि हम कोऑप्शन के मामले में कमी करें। इसमें मैं दो सुझाव देना चाहता हूं कि वह जो दो आदमी कोऑप्शन से रखे गये हैं उनको हटा देना चाहिए। हमारा देश जो है वह कृषिप्रधान है और साथ ही हमारा राज्य भी कृषिप्रधान है और जो गांव का चुना हुआ पंच आयेगा पंचायत समिति के अन्दर और जो पंचों का समूह होगा उसमें हर आदमी कृषिनिपुण होगा। प्रवर समिति के बिल के पहले ओरीजिनल बिल में जो पंडित नाम का शब्द रखा था उसमें उसकी परिभाषा दी थी। उसमें आपने कहा था कि जो आदमी अधिक से अधिक उत्पादन करेगा उसको आप कृषि पंडित की उपाधि देंगे, इसी प्रकार का पुरस्कार राष्ट्रपति भी देते हैं। अब इस प्रकार का प्रावधान ठीक है लेकिन मैं कहता हूं कि उस व्यक्ति को विशेष रूप से रखने का क्या मतलब है। केवल इसलिए कि उसने अधिक उत्पादन कर लिया और वह भी एक साल के लिए। फिर इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि जो पंच आएगा वह भी तो इम्प्रूव्ड मैथड से काम करने वाला आदमी होगा और कृषि के विषय में समझता भी होगा। तो अनावश्यक रूप से कृषि पंडित नाम से या निपुण के नाम से एक व्यक्ति को रखा जाये तो यह सुपरफ्लुअस सी बात है। जब हर आदमी कृषि के अन्दर अपना दखल रखता है तो यहां पर फिर कृषि निपुण रखने की क्या आवश्यकता है, इसको यहां से हटाना चाहिए और बहुमत कहीं अधिक शक्तिशाली न हो जाये इसके लिए दो मेम्बर और चाहे पंचायत एरिया में न हों और शहर से कहीं से भी लायें तो मेरे मन में यह शंका पैदा करता है कि जो व्यक्ति

(श्री दयाकृष्ण विजय)

केवल एक के बहुमत से जीतता है उसकी शक्ति आप इतनी कर देना चाहते हैं कि वह दूसरों के सामने नहीं झुकेगा और फिर कभी भी नो-कॉन्फीडेन्स नहीं आयेगा । इसलिए मैं कोऑप्शन का विरोध करता हूं । इसलिए इन दो व्यक्तियों को जो की कोऑप्शन से आयेंगे निकाल दिया जाये, इससे तीन व्यक्तियों की कमी हो सकती है ।

इसके अलावा महिलाओं को भी रिप्रे-जेन्टेशन मिलना चाहिए । फिर अनुसूचित जाति के भी हैं उनको भी मिलना चाहिए क्योंकि हमारे विधान को भी दृष्टि में रखते हुए उनको रखा जाना चाहिए और रखना कुछ लाजिमी भी है ।...

तो इसलिये मैं यहां इसका विरोध नहीं करता हूँ । इसकी जरूरत नहीं है । इस प्रकार से कितनी ही पंचायतें इसमें रखी हैं । जब वे पंचायतें बन जायंगी तो सारे लोग बैठ कर काम करेंगे । आखिर सबको पैसा देना पड़ता है । हरेक के आने जाने का किराया देना है । उनका जो रेमुनेरेशन होगा वह देना पड़ेगा । इतना बड़ा खर्चा ग्राम पंचायतों पर पड़ जायगा, तो मैं विरोध करता हूं कि जिस प्रकार का इसमें गठन किया गया है वह इस प्रकार से नहीं होना चाहिये ।

अब एक और बात जो इसमें आई है वह यह है कि इसमें ग्राम पंचायतों को एक अपील की पॉवर दी है । पंचायत समितियों को ग्राम पंचायतों की अपील सुनने का अधिकार दिया है, और उस अपील के अन्दर पहले हमने तहसील पंचायत का प्रोविजन रखा है, जिसके ऊपर मैं आगे चलकर विरोध करूंगा, सिविल और क्रिमिनल की अपील सुनने का अधिकार उनको दिया है, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव विभाग है उनकी अपील सुनने का उसमें अधिकार दिया है । यदि इस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में कोई कॉन्स्टीट्यूशनल पॉइन्ट खड़ा होता है, कॉन्स्टी-ट्यूशनल कोई कानूनी मुद्दा है, प्रशासनिक कोई कानूनी मुद्दा है तो उसकी अपील सुनने का अधिकार पंचायत समिति को होगा । मेरा यहां पर भिन्न मत यह है कि क्योंकि हमेशा इस प्रकार की दुहाई, इस प्रकार का स्वर हमेशा इस विधान सभा में निकलता रहा है कि न्याय के क्षेत्र को प्रशासन से बिल्कुल अलग होना चाहिये, क्योंकि यदि चुने हुए व्यक्तियों के हाथों में न्याय की व्यवस्था देते हैं तो उससे गुटबन्दी होगी और एक दूसरे के प्रति पक्षपात बढ़ेगा । इस-लिए मैं न्याय की व्यवस्था चुने हुए लोगों के हाथ में देने के पक्ष में नहीं हूँ । हाईकोर्ट की अन्तिम शक्ति को नीचे के बिन्दु तक विकेन्द्रित की जाय । उसका प्रभाव होता है और इस प्रकार के प्रशासनिक कानूनी

(श्री दयाकृष्ण विजय)

मुद्दे जब आते हैं और वे पंचायत समिति में डिस्कस नहीं करें तो तहसील पंचायत की स्थिति एक तरह से नकारात्मक सी हो जाती है, क्योंकि पंचायत समिति का चुनाव करायेंगे, ग्राम पंचायतों के द्वारा और दुबारा तहसील पंचायत का भी इस प्रकार से चुनाव होगा। यह एक इस प्रकार की चीज है जो कि समझ नहीं सकते हैं। इसके बजाय तहसील पंचायत एक ऐसी बॉडी हो कि जहां न्याय हो सके। उसका सीधा असर हो। उस पर गुट्टबन्दी का प्रभाव नहीं हो। इसलिए न्याय व्यवस्था पर हाईकोर्ट का सीधा असर हो तो हम वास्तव में न्याय को प्रशासन से अलग करेंगे। आज प्रशासनिक अधिकारी न्यायालयों के न्यायाधीशों पर प्रभाव डालते हैं उससे वह मुक्त हो जायेंगे। आज भी हम देखते हैं कि कलेक्टर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पॉवर्स भी रखता है और वह कलेक्टर भी है। दोनों चीजों को एक व्यक्ति के अन्दर ही रखते हैं, और इसके साथ साथ वह विकास अधिकारी भी है। इसकी पोजिशन को हम देखें तो एक विकास अधिकारी का मतलब है कि जिले का सबसे बड़ा जनसेवक; क्योंकि नौकरशाही के हाथों में भी दायित्व बदला है। उस नौकरशाही ने जो जनता की सेवा करने का दायित्व अपने ऊपर लिया था वह आज जनता तक फैला है। वे लोग जनता के आदेशों को क्रियान्वित करेंगे। यह हो सकता है कि राज्य कर्मचारी जो कि इसके अन्दर रहेंगे उनके मन के अन्दर यह भावना जगेगी कि हमारे अधिकार छिन गये। लेकिन मैं निवेदन करना चाहूँगा कि अधिकार जनसेवा करने का पहले भी था। पहले वे स्वयं के अधिकारों से करते थे और आज पंचायत समितियाँ और दूसरी जन प्रतिनिधि संस्थाएं हैं उनके आदेशों के अनुसार करना पड़ेगा। इसके अन्दर दूसरे भी आ सकते हैं लेकिन सरकार जिनकी सेवाएं पहले से हैं उनका संरक्षण अवश्य प्रदान करे। इसका मैं बहुत बड़ा समर्थक हूँ। चुने हुए आदमियों के हाथ में यदि उन सेवाओं को पूरी तरह से दे दिया तो वे असुरक्षित रहेंगी और वे जनसेवा का कार्य पूरी तरह से नहीं कर पायेंगे। वे सेवा ठीक प्रकार से नहीं कर पायेंगे। उनकी सुरक्षा की गारन्टी देना बहुत आवश्यक है। लेकिन इस बिल के अन्दर इस प्रकार की बात रखी गई है उससे मुझे आपत्ति है। वह इस प्रकार से है कि जितने भी लोग जिन्होंने पहले से काम किया है और नये आने वाले हैं वे अगर सफल समझे जायेंगे तो उन्हें लिया जायेगा मेरा यह निवेदन है कि नये आदमी को इस वक्त ऊंची पोस्ट पर रख देते हैं और उनको स्थायी कर देते हैं तो जो लोग आज पर्मानेन्ट हैं, अस्थायी हो जायेंगे और वह व्यक्ति हमेशा के लिए स्थायी हो जायेंगे। इसलिए कम से कम इसमें यह हो कि जितने सर्विसेज में अभी पर्मानेन्ट थे वे उसी प्रकार से समझे जायेंगे। नया आने वाला क्वालिफाइड है, योग्य है या नहीं, टेकनिकल शिक्षा प्राप्त किया हुआ है या नहीं, इन सारी चीजों के विषय में जब सर्विसेज का निर्माण होता है तो उस निर्माण के समय इस प्रकार का टेस्ट होना बहुत जरूरी है उसके बाद में क्वालिफिकेशन कायम होनी चाहिए। उनको यदि सरकार संरक्षण देती है

(श्री दयाकृष्ण विजय)

तो मैं इस बात का समर्थन करता हूँ। इनकी सेवाओं का संरक्षण जरूर होना चाहिए, अन्यथा निर्वाचन के जरिये चुनी हुई संस्थाओं में उनके हित कहीं असुरक्षित न हो जायं। लेकिन इसके साथ साथ इतना अलग से हो जाय कि जो पर्मानेन्ट काम कर रहे थे और जो चले गये हैं और जहां उनके बजाय पंचायत समितियों को अधिकार दिये हैं कि नये व्यक्ति रख सकती है।

१. ३३. म० प०

(श्री आबिद अली, सभापति, पदासीन)

गवर्नमेंट नये आदमी रख सकती है तो सीनियोरिटी के अन्दर जो सदस्य पर्मानेन्ट हैं वे स्थायी समझे जायेंगे। नई नियुक्तियां जो की गई हैं उनका टेस्ट होगा। उनकी क्वालिफिकेशन वगैरह देखनी पड़ेगी।

अब यह बात और उपस्थित हो जाती है कि जो सर्विसेज हैं और सर्विसेज का सम्बन्ध उनके साथ आता है जो उन सभी लोगों से अपेक्षा करते हैं कि वे अपने मन के अन्दर इस प्रकार की भावना जरूर लायेंगे ताकि सारा काम ठीक तरह से चलता रहे।

अब इस बिल के अन्दर और भी ऐसी बातें हैं जिनकी ओर ध्यान देना पडेगा वह सुपरसेशन के पावर्स वगैरह। हमारी सरकार ने ये अपने हाथ में रखी हैं। पंचायत समितियाँ और जिला परिषदों को भंग करने के आदेश की शक्ति अपने पास ली हैं। वैसे जो कुछ सेक्शन्स इसमें हैं वे इस प्रकार के हैं कि उनका पुनर्गठन, पुन: लिखा जाना और उन पर पुनर्विचार बहुत आवश्यक है। इन अधिकारों का मैं ज्यादा विरोधी हूं। जो नहीं हैं वे इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो कुछ इसमें रखा है, ठीक है। मेरी कम से कम यह राय है कि गवर्नमेंट के हाथों में इतने पॉवर्स नहीं हैं। मैं बताऊँगा कि सेक्शन ६७ का है शायद इसमें और जो पॉवर्स उसमें दिये गये हैं वे इतने पॉवर्स हैं कि उनके द्वारा हमेशा पंचायत समितियां और जिला परिषदें यह अनुभव करती रहेंगी कि वे हमेशा गवर्नमेंट के हाथों में बंधी हुई हैं। जब चाहे उनको गवर्नमेंट पाबन्द कर सकती है। वैसे जरूर उनको दिये हैं एक्स्प्लेनेशन के पावर्स। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की ताकत सरकार के हाथों में दें कि हर बात के लिए ब्रीच आफ पीस की कोई घटना है, यह बात कलेक्टर भी कर सकता है, वैसे तो आपने कलेक्टर के हाथों में अधिकार दिये हैं लेकिन कलेक्टर उस प्रकार के पहले मेजर्स एडॉप्ट करे कि किसी प्रकार से अशान्ति होती है तो उस अशान्ति को रोकने के लिए कदम उठाये न कि एक रिजोल्यूशन के कारण से पंचायत सारी को भंग कर दिया जाय। इस बात पर जरूर विचार करने की आवश्यकता है।

एक बात और इसमें है कि जिसकी ओर ध्यान दिलाना बहुत आवश्यक है। सरकार ने अपने पास एक और प्रकार की ताकत रखी है कि जो आदमी चुनाव लड़ने के योग्य नहीं है उसको भी योग्य घोषित कर सकती है। यदि सरकार इस प्रकार से कर सकती है तो फिर हर आदमी को अधिकार क्यों नहीं दिया जाय? एक दफा किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित करें उसको भी योग्य घोषित करें, इस प्रकार के पावर्स जब सरकार को हैं तो जनता को क्यों नहीं होने चाहिएं। आखिर आज विकेन्द्रीकरण का जमाना है। इस प्रकार के

(श्री दयाकृष्ण विजय)

जिनके लिए नियम बनाये जाते है वे नियम सब लागू होने चाहिए। सरकार के हाथ में पॉवर्स नहीं होने चाहिए कि किसी को भी योग्य घोषित कर दें। इसके अन्दर क्या होता है कि जिस पार्टी की सरकार होती है उस पार्टी का कोई व्यक्ति चुनाव लड़ने के अयोग्य है तो सरकार का निर्णय उस व्यक्ति के पक्ष में जायेगा। किसी कारण से अयोग्य करार दिया गया चुनाव लड़ने के लिए उसको योग्य घोषित कर देंगे। यह एक ऐसी जो दृष्टि है तो वास्तव में अगर हम जनतन्त्र का निर्माण करना चाहते हैं तो यह उसके मूल में आघात होता है। कोई आदमी योग्य नहीं है और योग्य घोषित कर दें यह चीज सरकार को अपने हाथ में नहीं रखनी चाहिए। एक व्यक्ति जो वास्तव में योग्यता में नहीं आता है, जो अयोग्यता के नियम हैं उनके अन्तर्गत है आखिर उसको चुनाव लड़ाने में एक व्यक्ति विशेष के साथ पक्षपात होगा। यह शक्ति यदि हम सरकार के हाथ में देते हैं तो यह अनुचित बात होगी।

और भी ऐसी कई चीजें हैं जिनकी ओर ध्यान दिलाना बहुत आवश्यक है। वह ध्यान दिलाना यह है कि किसी भी व्यक्ति को अपील करनी पड़ती है तो ५) रु० की स्टाम्प ड्यूटी है वह काफी ज्यादा है। उसको रिड्यूस करके २) रु० और १) रु० कर देना ज्यादा न्याय-संगत हो सकता है। इस तरह की बात इसमें हमको देखने को मिलती है।

इन सारे निर्णयों के बाद इस बिल पर विचार करते हैं तो यह ठीक है कि सारी शक्तियां इसके अन्दर दी हैं। इन सारी शक्तियों का विकेन्द्रीकरण किया है। एक नया कदम उठाया गया है। राजस्थान ने पहल की है, वास्तव में एक सौभाग्य की बात है।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ कि आर्थिक ताकत इनको नहीं दी है, इनको अधिक से अधिक आर्थिक ताकत दें, और जो विकेन्द्रित व्यवस्था पूरी नहीं है उसको हमेशा ध्यान में रखें। जिस विकेन्द्रित शक्ति को हमने पंचायत समितियों में केन्द्रित किया है उसको हमें एक न एक दिन ग्राम पंचायतों तक पहुंचाना है। पंचायत समिति सभी पंचायतों की मिली जुली संस्था है लेकिन मूल इकाई तो ग्राम पंचायतें हैं। आखिर हम निकृष्ट दिशा में चल रहे हैं। ग्राम पंचायतें चल रही थीं उनसे हमें निराशा मिली है, उनसे अधिकार छीन कर पंचायत समितियों को दे रहे हैं। ग्राम पंचायतों को एक साथ इतने अधिकार नहीं दें धीरे धीरे चल कर अधिकार देने चाहिए। पहले ग्राम पंचायतों को इतने अधिकार नहीं थे लेकिन अब काफी अधिकार दिये हैं उसी तरह से इसको अधिकार दें तो सही माने में जिले तक विकेन्द्रीकरण हो सकता है। इसके साथ साथ आर्थिक विकेन्द्रीकरण भी साथ ही साथ चलना चाहिए। उनकी आर्थिक ताकत बढ़ानी है ताकि वे खुद अपनी आर्थिक योजनाओं को पूरा कर सकें और सरकार की ओर देखती नहीं रहें। यदि सरकार की ओर देखती रहेगी तो जनतांत्रिक विकेन्द्रीकरण नहीं होगा बल्कि आर्थिक डिक्टेटरशिप ऊपर से थोपी हुई होगी। अन्त में यह सोच कर कि इससे ग्राम पंचायतों को ताकत मिलेगी, इस बिल का स्वागत करता हूँ।

श्री सभापति (श्री आबिद अली) :

राजा मानसिंह।

राजा श्री मानसिंह (बैर): Mr. Chairman Sir. We are hurrying through this Bill

(राजा श्रीमानसिंह)

in a hap-hazard manner because, as we have been told by the Governor, during his address on a previous occasion, the Government wish to implement decentralisation by the 2nd of October. I feel that the Government wish, through this Bill, to perpetuate memory of the father of the nation. How much the memory of the father of the nation can be perpetuated by making a hap-hazard law remains to be seen, but in my opinion, Sir, if we do clear thinking on this matter and refer it to the Select Committee again or circulate it for public opinion, I feel that even if we make a good law at a later date, we shall be perpetuating the memory of the father of the nation better than by this hap-hazard manner.

I feel, Sir, that the Bill is an attempt for decentralisation of power and in this respect I congratulate the Government. But the Bill has been drafted in such a manner that the formation of Panchayat Samities and Zila Parishads, and the powers to be delegated to them is most defective. My main objection is against the constitution of the Panchayat Samities and Zila Parishads. Against all channels of justice, the appeals against the executive orders of Panchayat will be heard by the Panchayat Samiti in which the Sarpanch of the Panchayat, which gave the executive order and against which the appeal lies, will also be sitting. No doubt Sir, the Bill in its hap-hazard form does make a provision that if a particular Sarpanch is elected as Pradhan, he will vacate his seat as Sarpanch of the Panchayat, but in the event of his not being elected as Pradhan, he will remain a Sarpanch of the Panchayat as well as be a member of the Panchayat Samiti and hear the appeal against his own Panchayat's executive order. Even if he himself is not present in that meeting, then also it is obvious that he can influence his colleagues.

Similarly, supervision will be done by the Panchayat Samiti over its own constituency. What will happen, Sir, that each Sarpanch will try to castigate another Sarpanch for his own advantage. Similar thing will take place between the Panchayat Samiti and the Zila Parishad, between the Pradhan and the Panchayat Samities or Members of the Zila Parishad.

The election procedure that has been suggested in the Bill is defective. A Sarpanch, if he is elected as Pradhan, will vacate his place of Sarpanch and his place will be taken by another. I, therefore, feel that the election to the Panchayat Samities should be on simlar linenes as that of the Tehsil Panchayats. The Panchayat Samiti members, who will so be elected, will then elect one member from the block to Zila Parishad if Zila Parishad is at all necessary. Why I say, Sir, that 'Zila Parishad, if at all necessary' because from the Select Comittee Report itself it appears that the Comittee while consi-

(राजा श्री मानसिंह)

dering this clause was of the opinion that Zila Parishads being mainly supervisory bodies, should be excluded from the purview of these provisions. The Zila Parishads will be only advisory bodies. Their functions which I could gather from this Bill are to nominate a Krishi Nipun once a year and to approve the Panchayat Samiti budgets.

If Zila Parishads are to be kept at all, Sir, then I feel that the Members of this House and the Members of Lok Sabha and Rajya Sabha should be excluded from them. In my district Bharatpur, Sir, we expect to have 10 Blocks, which means that there will be 10 Panchayat Samities who will elect 10 Pradhans as members of Zila Parishad, whereas in that district there are eleven M. L. A.s, one M. P. to the Lok Sabha elected from the district, two more M. P.s from Sawai Madhopur constituency of which Bharatpur District has three tehasils and there will be one M. P. to the Rajya Sabha who has his residence in Bharatpur, and they may also be included as members of the Zila Parishad. There will thus be 10 Pradhans against 15 M. L. A.s and M, P.s, who are definitely politicians.

I suggest Sir that the Sarpanch should not be a member of the adnchayat Samiti and the Tehsil Panchayat. In Tehsil Panchayat, a Sarpanch is there to hear judicial appeals against the Gram Panchayat and if he is a member of the Panchayat Samiti,he will hear also the executive appeals. If we are to keep judiciary aad executive separate, then I feel that the Sarpanch should not be included in the Panchayat Samiti or Tehsil Panchayat.

Amongst the members of the proposed Panchayat Samities it has been suggested that a Krishi Nipun should be co-opted in each of the Panchayat Samitis. This 'Krishi Nipun' whom I interpret as an expert in Agriculture is to be declared as an expert by a body of persons who are not experts. He is to be declared as an expert by the Zila Parishad and he is to be thrust upon this Panchayat Samiti to be co-opted. If atall a Krishi Nipun is to be made a member of the Panchayat Samiti then I feel Sir that Panchayat Samiti itself should have a right to diclare a person as such from inside the block and to co-opt him accordingly. The term of office for a 'Krishi Nipun', Sir, has been suggested for one year but the provision itself goes on to say that a member co-opted under clause (i) or clause (v) of sub-section (2) of Section 6 shall hold office for a term of one year unless before the expiration of such term he ceases to be the Krishi Nipun of the block or a member of the Managing Committee of the co-operative society functioning in the block. A person declared by the

(राजा श्री मानसिंह)

Zila Parishad as 'Krishi Nipun' ceases to be as Krishi Nipun when the Zila Parishad withhold his licence of his being a Krishi Nipun.

There is another provision that a person from the Managing Committee of a co-operative Society should be a member. I feel to encourage the Co-operatives, the Government has included this provision. If this provision is atall to be included, then why does not the Government feel that any member of co-operative society should be cc-opted if required. Why should It be a member from the Managing Committee. If he has to devote his time to the functions of the Panchayat Samiti, I am quite certain Sir, that he will not be able to devote his time to the Managing Committee of the Co operative Society.

And lastly the most objectionable provision, Sir, that two persons residing within the district having experience of administration, public life and rural development can be co-opted by the Panchayat Samiti. The responsibilities of the members of the Panchayat Samiti, the responsibilities of the Pradahan all are obligatory but it is not necessary fort the cc-option of the two persons from the deciding block. Now Sir there has been a provision in various committees for a social worker to bo included like the district development committee and I have seen Sir that a social worker in the Bharatpur District for the last seven years has been but one person from amongst the six lacs of population and that is the President of the District Congress Committee. By keeping such lay membership the Government get to push Tehsil Congress President or the District Congress President or any... From the point of administration, normally we feel that those persons who have retired from Government service can be considered having experience of Government admin'stration. If the Government feels that those persons are not qualified by age or qualifications and then why they are permitted to enter in the Panchayat Samitis. Regarding people of public life and rural development, I feel it isto accommodate mostly ex-ministers of the Congress Ministry. In various clauses qualifications and disqualifications of the members of the Panchayat Samiti and the Zila Parishad, I feel Sir, that there should be uniformity in the law throughout the Country. And we have a law which is available to us and which is enforced throughout the Country known as Representation of People Act. Whatever qualifications and disqualifications, Sir, we wish to enforce I feel we can enforce in accordance with the provisions of ths People Representation Act. In the Bill Sir, the Select Committee has recommended under clause 11 for disqualification for becoming a member, at sub-clause (c) that any person who has been dismissed from Government service for misconduct

(राजा श्री मानसिंह)

involving moral terpitude and has been declared to be disqualified for employment in the public service, and further in another section it goes on to say Sir under Section (g) that a person who has been convicted by a competent court of an offence involving moral terpitude or of an offence under the untouchability (offences) Act, 1955 (Central Act XXII of 1955). There is a provision against these two clauses Sir that provided that for the purpose of clauses (c) and (g) person may be declared eligible for election by a general or special order of the State Government in this behalf.

These clauses are definitely against the provisions of the Representation of Peoples Act. There is no time limit as to how long the Government may disqualify a person or when they may be qualified. The Representation of the People Act, Sir, is very clear that "A person shall be disqualified for being chosen as.........a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State...(b) if, whether before or after the commencement of the Constitution he has been convicted by a court in India of any offence and sentenced to imprisonment for not less than two years, unless a period of five years, or such less period as the Election Commission may allow in any particular case, has elapsed since his elease." Similarly a person may be disqualified "if, having held any office under the Government of India or the Government of any State or under the Crown in India or under the Government of an Indian State, he has, whether before or after the commencement of the Constitution, been dismissed for corruption or disloyalty to the State, unless a period of five years has elapsed since his dismissal."

These provisions are very clear for disqualifying a Government servant or other person. But in this Bill there is no provision as to how long a person is to be disqualified and what procedure the Government will follow for qualifying a person from time to time.

Then there is also the question of residence. The Select Committee was of the opinion "that it would be more appropriate to provide that this period of 180 days should be during the 12 months immediately preceding the date fixed for any election, co-option or nomination under this Act." Here again, the Representation of the People Act is very clear and defines 'residence' as:

"20. Meaning of 'ordinarily resident' (1) Save as herein after provided, a person shall be deemed to be ordinarily resident in a constituency if he ordinarily resides in that constituency, or owns, or is in possession of, a dwelling house therein."

(राजा श्री मानसिंह)

I think to qualify a person to become a member of the Panchayat Samiti, this interpretetion of the words 'ordinary residence' is quite enough. It is a different thing if after the election it may be required that the person so elected should remain in that block area for a certain period. It has been suggested that the provision should be made, if a person is elected Pradhan, that he should reside in the block for 240 days, whereas a member has only to reside for 180 days.

It is quite obvious, Sir, that because of the ceilings on the income from land that we are going to impose in the near future, any intelligent and ambitious person who wishes to increase his income cannot possibly reside for 240 days in a block area and devote time to increase his income also. I, therefore, feel that the qualifications for members and Pradhans that they should reside in the area should be the same, i. e. only 180 days.

Then Sir, for their income the Panchayat Samities have been permitted to levy new taxes and to collect funds. I feel that there should be ample grant from the Government from the taxes already levied, to see that the taxes that may be levied by the Panchayat Samities would be the minimum. The people at the moment are enough taxed and they are also required to contribute 50 percent of the value of development work to which the Government gives aid. If they are to be further taxed in any form, I feel that future subscriptions from the people for development works will not be forth coming.

Finally, Sir, the real spirit of decentralisation that perhaps this Bill wishes to bring in, is killed by Chapter IV of this Bill. There are so many restrictions on the panchayat Samities by the State Government through the Collector and otherwise that the Panchayat Samities in themselves cannot do anything. I feel that the way this Bill has been drafted, with these provisions in which the Government wish to supervise the work of the Panchayat Samities, it shows that they want to create a buffer body between the Government and the pople, to realise taxes and to take the brunt of misgivings of the people. This is their aim rather than going in for decertralisation. Throughout the Bill Sir, it is obvions that the panchayat Samities cannot do any work by a majority vote. For works of public importance the Bill provides that the Samities shall pass the motion for the work by a 2/3rd majority; to remove a Vikas Adhikari or a Secretary of the Panchayat Samiti or Zila Parishad, it is required that the motion should be carried by 3/4 the majority of the total number of members. I think the restriction of

(राजा श्री मानसिंह)

this type will not only hamper the development work but also mean that those officers who are to work under the Panchapat Samities will not work for the Panchayat Samities properly. Therefore, I feel that all these motions, either for development work or for transferring of a Secretary, should be decided by a simple majority vote

In the end, Sir, I feel that this Bill should again be committed to a Select Committee. There are so many points on which I would like to offer constructive suggestions, but I feel that the time running short and I will do that when we consider this Bill clause by clause.

२ म. प.

श्री लक्ष्मी चन्द (सांचोर) : सभापति महोदय, जहां तक विकेन्द्रीकरण का प्रश्न है, राजस्थान का हर एक नागरिक चाहता है कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण होना चाहिये। मगर इस बिल पर सलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट है उससे ऐसा मालूम होता है कि जैसे "थोथा-चना बाजे घना"। कहने को तो हमारी सर-कार कहे कि हम सत्ता का विकेन्द्रीकरण करने जा रहे हैं पर बिल में आप कौन सी सत्ता का विकेन्द्रीकरण करने जा रहे हैं। पहले जो सत्ता आपके पास थी उसमें कोई विशेष अन्तर नहीं आया है। आप कहते हैं कि पंचायत समिति जो सुझाव देगी उस पर विकास अधिकारी बजट बनायेगा। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि पहले ब्लॉक एडवाइ-जरी कमेटी थी उसमें तमाम पंचायतों के सरपंच थे, अब भी वे ही होंगे। इनकी सलाह पर बी. डी. ओ. फंक्शन करता था और खर्चा करता था, आज भी इस बिल में वही प्राबधान है। बी. डी. ओ. बजट बना कर पंचायत समिति के समक्ष पेश करेगा और कलेक्टर इसमें स्क्रूटिनी करेगा तो पंचायत समिति ने क्या काम किया। यह तो वही मिसाल हुई कि बंदूक आपके कन्धे पर रखता हूं, कारतूस भी मैं ही डालूंगा, निशाना भी मैं ही साधूंगा और जिस निशाने पर गोली मारना है मैं ही बन्दूक चला कर मारूंगा। बात सब वही पुरानी है अधिकार सब आपके हाथ में हैं, सिर्फ पंचायत समिति के मेम्बर्स का टप्पा लगाना चाहते हैं, आप चाहते हैं विकास अधिकारी के इशारों पर, जिला अधिकारी के इशारों पर बजट बने और जिला अधिकारी, विकास अधिकारी बजट बनाना चाहें वहीं बनायें, टप्पा पंचायत समिति लगाये। जिम्मेवारी, पैसा खर्च करने की जिम्मेवारी में आप पंचायत समिति के मेम्बरों को इस के अन्दर घुसेड़ना चाहते हैं, उनको वास्तविक पॉवर देना नहीं चाहते। बी.डी. ओ. बजट बना कर जिला विकास अधिकारी के पास पेश करेगा, जिला विकास अधिकारी इसे स्क्रूटिनाइज करेगा, जितने सरकारी मशीन के पुर्जे हैं उनको आपने इसमें इस तरह लगा दिया है कि सब अधिकार आपके हाथ में रहें। आप विकेन्द्रीकरण की भावना लेकर चलते हैं और आप यह चाहते हैं कि राज्य के कर्मचारी, जिस विभाग के कर्मचारियों को जनता नहीं जानती उनका इन्फ्लुएन्स जनता पर रहे, जिला विकास अधिकारी का इन्फ्लुएन्स इस पर रहे। समझ में नहीं आता कौन से ऐसे अधिकार आपने पंचायत समितियों को या जिला परिषदों को दे दिये हैं कि जिससे सत्ता का विकेन्द्रीकरण होगा। जहां जहां सत्ता का विकेन्द्रीकरण है वहां सर-

(राजा लक्ष्मीचन्द)

कार की इच्छा पर निर्भर रखा है।' जिला अधिकारी देखता है कि यह रेजोल्यूशन ऐसा है कि इससे शांति भंग होती है, इस रेजोल्यूशन में ऐसी भावना है तो पंचायत समिति उस रेजोल्यूशन को पास नहीं कर सकती।

एक तरफ तो आप कहते हैं कि जनता के चुने हुए आदमी होंगे जिनके हाथ में हम शासन देना चाहते हैं, यदि आप सही माने में विकेन्द्रीकरणशासन का करना चाहते हैं तो फिर इस तरह के रोड़े क्यों अटकाते हैं? यदि कलेक्टर की राय यह हो कि इस संकल्प को अस्वीकार किया जावे तो सरकार उसको अस्वीकार कर सकेगी।

श्री सभापति : यह कौन सी धारा में है।

श्री लक्ष्मीचन्द : यह धारा ५७ में (२) में है। अगर कलेक्टर यह चाहता है कि उसको स्वीकार नहीं किया जावे तो वह जिला परिषद् की सिफारिश को स्वीकार नहीं करेगा। मैं यह आपसे निवेदन करूंगा कि फिर आपने कौन सी पॉवर्स उनको दे दी हैं?

दूसरा प्रश्न है जिला परिषदों का। उनमें एम. एल. ए. को रखने का। मैं तो यह कहूँगा कि कौन ऐसा एम. एल. ए. होगा जो उसका सदस्य बनने के लिए तैयार होगा। मैं समझता हूँ कि आपने एम. एल. ए. को खुश करने के लिए यह यहाँ पर लगाया है। आपने यह क्यों लगाया है। आप स्पष्ट शब्दों में ही कह दीजिये और कह सकते हैं कि आप कानून बनाने वाले हैं, आपका काम कानून बनाना और पॉलिसी निर्धारित करना है, आप वहीं पर रहिये। आपने उनके लिए यह जिला परिषदों की सीढ़ी क्यों लगाई है। मैं इसके पक्ष नहीं हूँ कि जिला परिषद् बनाई जावे। आप क्या यह चाहते हैं कि आपस में जनता के और उनके प्रतिनिधियों में झगड़े हों। पंचायत समिति किसी बजट को बनाकर भेजेगी। कलेक्टर उस बजट को स्क्रूटीनाइज करेगा और जिला परिषद् के सामने रखेगा। अगर जिला परिषद् किसी चीज को उचित नहीं समझती है तो वह उस चीज के लिए संकेत करेगी और उसको पंचायत समिति के पास वापिस भेजा जावेगा। अगर पंचायत समिति उसको उचित समझेगी तो मानेगी अन्यथा नहीं मानेगी। मैं यह कहूंगा कि आपने जिला परिषदों को क्या पॉवर्स दिये हैं। आपने यह तो एक एम. एल. ए. को खुश करने के लिए ही रखा है अन्यथा इसको रखने का क्या कारण है। आप उनको यही कहें कि आप कानून बनाने के कार्य में ही रहें और पॉलिसी मेटर ही डिसाइड करें। आप उनको इन जिला परिषदों में नहीं रखें। आप जिला परिषदों को पॉवर देना नहीं चाहते। अगर एक एम. एल. ए. बजट देख कर यह महसूस करे कि यह चीज यहां पर नहीं रह कर फलाँ जगह होनी चाहिये, जैसे किसी गांव में स्कूल बनाना है। पंचायत समिति ने उसके लिए सिफारिश की है और जिला परिषद् में एम. एल. ए. यह सोचता है कि यह स्कूल यहां पर नहीं किसी दूसरी जगह होनी चाहिये जिससे ज्यादा फायदा होगा तो वह संकेत करेगा और बजट में कमी की जावेगी तो उसका क्या होगा? इसका यही नतीजा होगा कि लोगों में उस एम. एल. ए. के खिलाफ प्रचार होगा जहां पर स्कूल खोलने के लिए

(श्री लक्ष्मीचन्द)

पंचायत समिति ने लिखा था और जहां एम. एल. ए. ने उसके लिए अपनी असहमति प्रकट की। नतीजा यह होगा कि उस एम. एल. ए. के खिलाफ प्रचार होगा और लोगों में उसके प्रति असंतोष की भावना उत्पन्न होगी। आपकी यह पॉलिसी है कि एम. एल. ए. और जनता में आपस में झगड़ा हो और असंतोष उस एम. एल. ए. के खिलाफ हो तो अलग बात है। क्योंकि जनता तो इस चीज को लेकर उस एम. एल. ए. के खिलाफ चलेगी जिसने उनके खिलाफ इस प्रकार का प्रश्न उठाया। मैं कहूंगा कि उस एम. एल. ए. के प्रति वहां की जनता की क्या भावना होगी। इसलिये सरकार की अगर यही पॉलिसी हो तो यह उनको डाइरेक्ट पॉवर नहीं देना चाहिए। अन्यथा जनता उनको केवल उंगलियों ही दिखावेगी। मैं समझता हूँ कि ऐसे पॉवर लेकर एम० एल० ए० खुश नहीं होंगे।। उनका तो मैं यह कहूंगा कि एक प्रकार का पोस्ट ऑफिस का ही काम है। आप उनको यही कहना चाहते हैं कि आप टी० ए०, डी० ए० लें और पोस्ट ऑफिस का काम करें। जिस प्रकार पोस्ट ऑफिस से पत्र आते हैं और डिस्पेच होते रहते हैं। जिला परिषद् क्या एक्शन ले सकती है। जिला परिषद् तो सिर्फ डाइरेक्शन दे सकती है और यह पंचायत कमेटी की मर्जी है अगर वह माने या न माने। मैं तो यह कहूँगा कि आपको अननेसेसरिली पब्लिक के पैसों का क्यों खर्चा करना चाहिये। आपने पब्लिक के काम में एक सीढी और लगा कर उनके कामों में रुकावट डाली है और इससे तरह तरह की भावनायें पैदा होंगी। मेरा तो यही सुझाव है कि एम० एल० ए० को उसमें रहना नहीं चाहिए क्योंकि उनके रहने से कोई फायदा नहीं।

इसके अलावा मैं यह कहूँगा कि इस विकेन्द्रीकरण से पंचायतों में जो पॉवर्स हैं उनको आपने कम ही किया होगा। पंचायतों की जो मौजूदा समय में आमदनी है उसमें कमी आवेगी। आप जानते हैं कि पंचायत समिति होगी वह अपने टैक्सेज अलग लगावेगी। पंचायतें अपने टैक्स अलग लगावेंगी। नतीजा यह होगा कि टैक्सों का भार लोगों पर बढ़ जावेगा और टैक्सेज रीकवर नहीं होंगे और बहुत सी आमदनी पंचयातों को पहले होती थी वह नहीं होगी। पंचायतें अभी तक टैक्स नहीं लगाती थी कि पब्लिक कहीं उनके विरोध में हो जावे। वे यह समझते थे कि अभी तो अपन मत लगाओ, आनेवाले लोग अपने आप लगावेंगे इसलिए उनके पास जो भी आमदनी थी वह जमीन की आमदनी थी। जमीन को बेच कर वे अपना काम चलाते थे। जब क्रय विक्रय का प्रावधान होगा वह पंचायत समिति को होगा, पंचायतों के पास कोई पॉवर नहीं होंगे और इस कारण वे कोई काम नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा आप उन पर तीन ऑफिसर रखेंगे। एक तहसील पंचायत, जो उनकी अपील सुनेगी सिविल, क्रिमीनल और रेवेन्यू केसेज की, जिसके लिये प्रावधान रखा है। इसके अलावा पंचायत समिति जो पंचायतों के दूसरे मेटर्स को देखेंगी। इसके अलावा उन पर ज़िला परिषद् होगी और उस पर सरकार होगी। इस प्रकार से आपने उन

Page No.66

(श्री लक्ष्मीचन्द)

पंचायतों पर तीन चार अधिकारी रख दिये हैं। तीन चार सीढ़ियां होंगी और मैं समझता हूँ कि काम कुछ नहीं होगा।

अब आपने इसमें 'कृषि निपुण' का प्रोविजन रखा है। आपने यह रखा है कि सरकार उसको मनोनीत करेगी। सरकार किसी को चाहेगी उसको रख सकती है। सरकार जब जेबकतरों को लेक्चरार रख सकती है तो इसके लिये वह किसी को भी रख सकती है। मैं आपको बतलाऊंगा कि सरकार ने एक वकील को इस प्रकार का लाइसेन्स दिया है जो उस काम में कुछ नहीं जानता।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : यह कौनसी धारा में लिखा है।

श्री लक्ष्मीचन्द : आप डेफिनेशन देखें।

श्री सभापति : आप धारा को भी सामने रखिये।

श्री लक्ष्मीचन्द : इससे सदन का ज्यादा समय लगेगा।

श्री सभापति : इससे सदन का ज्यादा समय बचेगा क्योंकि इससे जो ओब्जेक्शन होते हैं नहीं होंगे। Objections are being raised by the Members so it is advisable to quote the section as well.

श्री लक्ष्मीचन्द : इसलिये सभापति महोदय, योग्यता का निर्णय सरकार पर रहेगा।

श्री सभापति : यह अन्डर किस क्लॉज है।

श्री लक्ष्मीचन्द : सभापति महोदय, सरकार के पास वह लटकता हुआ हथियार है और वह हथियार उन लोगों के लिये काम में आवेगा जो सरकार की कृपा के पात्र नहीं है, जो सरकार के इशारों पर नाचने वाले नहीं हैं। तो सरकार एसे लोगों को लाइसेन्स देगी जो सरकार के इशारों पर नाचते होंगे।

श्री सभापति : अभी आप यह स्पष्टीकरण नहीं कर सके कि सरकार को यह अधिकार है या नहीं। इसलिए मैंने आपको निवेदन किया है कि आप उस क्लॉज को भी सामने रखें।

श्री लक्ष्मीचन्द : तो सभापति महोदय, इस बिल में आपने फरमाया है कि सरकार को पॉवर्स हैं या नहीं, मैं कह कहूंगा कि कई मामलों में सरकार को ऐसे पॉवर्स हैं कि अगर सरकार उचित समझे तो वह पंचायत समिति या जिला परिषद् के किये हुए कामों को भंग भी कर सकती है।

श्री सभापति : यह तो क्लॉज ५७ में बता दिया।

श्री लक्ष्मीचन्द : जी हां ५७ में बता दिया और उसके बाद भी जहां तक प्रश्न है सरकार द्वारा मनोनीत करने का, सरकार कई जगह मनोनीत करेगी, सेक्रेटरी को मनोनीत करेगी, जिला परिषद् में करेगी। बी० डी० ओज० सरकार के ओफिसर्स होंगे ही, वे सरकार की ओर से पंचायत समितियों में काम करेंगे। जहां मनोनीत करने का प्रश्न है वह सरकार करेगी जिला परिषदों में भी। एक जिला परिषद् का सेक्रेटरी है, यदि

Page No.67

(श्री लक्ष्मीचन्द)

वह ठीक ढंग से काम नहीं करता है मेम्बर्स चाहते हैं कि वह ठीक प्रकार से काम नहीं करता है इसलिए हटा दिया जाय तो भी उसको हटाया नहीं जा सकेगा क्योंकि उसके लिए ३।४ की मेजोरिटी होनी चाहिए, रेजोल्यूशन भेजे फिर। एक तरफ कहते हैं कि हमने सत्ता का विकेन्द्रीकरण किया है। कौन सी सत्ता दी है उनको? क्या उनको यह सत्ता दी है कि तुम्हारे आधीन काम करने वाले हैं वे ठीक काम नहीं करते हैं, उनको योग्य और उचित नहीं समझते हो तो उनको तुम्हें हटाने का अधिकार होगा? नहीं। उनके लिए तो सरकार के पास ही अधिकार रहेंगे। जहां सरकार के पास अधिकार रहने का प्रश्न आता है तो सरकार ऐसे व्यक्ति को हटायेगी या तो वह सरकार का कृपापात्र नहीं है या सरकार के इशारों पर नाचने वाला नहीं है और जहां सरकार की पार्टी का आदमी है, सरकार के इशारों पर नाचने वाला आदमी है, जनता के काम का किसी प्रकार से वह नुकसान करता हो उसको हमारी सरकार हटाने के लिए तैयार नहीं होगी। सरकार के तो ऐसे कारनामें हैं कि उदाहरण दूं कि एक जेबकतरा है, हाईकोर्ट ने ऐसा लिखा था फैसले में कि यह जेब कतरा है इसको सर्विस में रखने की आवश्यकता नहीं है लेकिन वह सरकारी सर्विस में रहता है। जहां सरकार का प्रश्न आता है मुझे ऐसा डर लगता है...

श्री सभापति : सेक्रेटरी को अपोइन्ट करने का अधिकार जिला परिषद् को दे दिया जाय क्या आपकी यह मंशा है?

श्री लक्ष्मीचन्द : जी हां, यह मेरी मंशा है। जनता के प्रतिनिधियों को ही तो आप अधिकार देना चाहते हैं। उसके लिए ढिंढोरा पीटते हैं कि हम विकेन्द्रीकरण रहे हैं। लेकिन कौन सी सत्ता दे रहे हैं? यह तो जरूर कर रहे हैं कि कागजों पर आप दस्तखत करो, बन्दूक हम चलावेंगे। उससे कन्धा टूटेगा। सारी जिम्मेदारी उन पर आवेगी। आगे जाकर इसका सबक मिलेगा। यदि प्रधान और उपप्रधान इन्टेलीजेन्ट है तो एक बी० डी० ओ० कि प्रधान और उपप्रधान से नहीं बनेगी। लड़ाई-झगड़े के कारण जो वास्तविक काम होना चाहिये वह नहीं होगा। या ऐसे भी आयें जो आपस में बजट के टुकड़े करने वाले होंगे। वास्तव में जो काम होना चाहिये वह होगा नहीं। उनके दरमियान में लड़ाई होगी, समितियों का फन्कशन अच्छा नहीं होगा, काम ठीक तरह से चलेगा नहीं और उसका परिणाम सरकार को भुगतना पड़ेगा।

सरकार को यह बिल क्यों लाने की नौबत आई; सरकार ने जो ब्लॉक वगैरह खोले हैं उनमें ठीक तरह से काम नहीं होता है। हम वही करवायेंगे जो कि हम करवाना चाहते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा लेकिन हम जिम्मेदारी लोगों पर डालें। जहां फांसने का सवाल होगा लोगों को फांसेंगे, कागजों पर उनसे दस्तखत करवा लिए जायेंगे। ब्लॉक की कई मिटिंग्स मैंने अटेन्ड की हैं। पंच और सरपंच की ताकत नहीं कि वे विकास अधिकारी के सामने बोलें, कानाफूंसी होती है। बजट विकास अधिकारी बनावेगा और दस्तखत पंच करेंगे। यह मेरी इससे मान्यता है कि यह वास्तव में विकेन्द्रीकरण

(श्री लक्ष्मीचन्द)

नहीं है । जनता यह सोचती है और इसके लिए एक उदाहरण दूं कि सुमेरपुर के पास पंचों को बुलाया । कलेक्टर वगैरह पंच वगैरह गये । सत्ता बांट रहे हैं पॉवर्स देना चाहते हैं यह कहा गया उनको । तो उन्होंने मांग की कि क्या पॉवर्स देते हैं, पटवारी ज्यादती करता है उसको तो हटाने के पॉवर्स ही नहीं हैं, किसी को हटा नहीं सकते । कहा गया कि उनको तो हटा नहीं सकते । तुम तो बजट बनाओगे और खर्चा करोगे । खर्चा तो पहले भी होता था, यह कौन सी नई बात है ।

तो कोई विशेष बात मैंने इस बिल में नहीं देखी है । जिला परिषद में एम० एल० एज़ को सदस्य बनाया जावे यह नहीं होना चाहिये। मेम्बर्स को इसके लिए त्याग करना चाहिये कि उनको जिला परिषद में नहीं रहना चाहिये । मेम्बर्स को इससे कोई खुशी नहीं होना चाहिये । इन शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं ।

श्री सभापति : श्री पुरुषोत्तमलाल ।

श्री पुरुशोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़) : आदरणीय सभापति महोदय, जो बिल हमारे सामने आया है और जिस बिल पर विचार करने जा रहे हैं, ओवर आल वह हमारे देश की, प्रदेश की प्रगति का द्योतक है । यह कहा गया कि जब से जनतन्त्र हमारे देश में, प्रदेश में आया है तब से लगाकर हमने कई बिल पास किये । लेकिन यह बिल एक ऐसा बिल है जो जनतन्त्र की नींव को सदा के लिए सुदृढ़ करने वाला है । जनतन्त्र की आधारशिला गांवों से शुरू होती है और ग्रामवासियों को अधिकार जब तक नहीं देते तब तक जनतन्त्र की नींव पक्की नहीं हो सकती है । प्रजातन्त्र के सिद्धांत के विषय में यह कहा गया है कि हमारे यहां पंचायतें इत्यादि पहले ही से थी, अब क्या नई बात करने जा रहे हैं ? मैं उनको बतलाना चाहता हूं । पंचायतें होंगी सैकड़ों वर्षों पहले । उसमें जनतन्त्र नहीं था । एक सत्ता राजा में निहित थी और राजा जब चाहता पंचायतों को हटा सकता था, मिटा सकता था और जनता के न चाहते हुए भी राजा यदि युद्ध में आता तो जनता को भी युद्ध में ढकेल देता था । ऐसी पंचायतें पहले थीं । आज यह कह रहे हैं कि हम नया जनतन्त्र कायम नहीं कर रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि पहले राजा थे , बादशाह थे उन्होंने देश को रसातल में पहुंचाया । जो जनता ग्रामों में रहती है आज उनके हाथ में सच्ची सत्ता देने जा रहे हैं ।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू): आज तो उससे भी ज्यादा हो रहा है ।

Comparision is rather very bad.

श्री सभापति : There should be no interruptions in the debat please,

श्री पुरुशोत्तमलाल शर्मा : माननीय सभापति महोदय, मेरे रामराज्य के प्रतिनिधि माननीय सदस्य को नागवार मालूम हुआ ।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : यह तो हिस्ट्री और पोस्टेरिटी ही कहेगी ।

श्री पुरुशोत्तमलाल शर्मा : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जनतन्त्र के

(श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा)

माने क्या ? जनता नीचे से और ऊपर तक आकर एक कड़ी में जुड़ जाय वह जनतन्त्र तब ही सच्चे रूप में कायम रह सकता है। प्रजातंत्र में तो राजा के अधिकार सीमित कर लिए जाते थे। हमारे यहां जनतन्त्र है जिसको लोकतन्त्र कहते हैं और वह तब ही पूरी तरह सफल होता है जब हर ग्रामवासी और हर जनता भागी बने।

इसलिये जो यह बिल है वह इस बात का द्योतक है कि हम सत्ता को गांवों तक पहुंचा रहे हैं। हमने पहले १६५३ में पंचायत एक्ट पास किया था, उसमें हमने न्याय और प्रशासनिक कुछ अधिकार दिये थे और उसके साथ साथ हम यह बिल ला रहे हैं, आर्थिक और समाजिक योजानाओं द्वारा ग्रामोन्नति का जो अधिकार हैं वह ग्रामवासियों को दे रहे हैं। इससे प्रगट होता है हम जनतन्त्र के अन्दर हम ग्रामवासियों को यह बतलाना चाहते हैं उनकी भलाई और बुराई के सब काम उन्हीं पर निर्भर करते हैं।

यह भी कहा गया कि पंचायत समिति का जो गठन किया गया है वह गलत किया गया है। ग्राम पंचायतों में चुने हुए पंच हैं, वे पंच लोग हरेक वार्ड्स से चुनकर अन्दर आते हैं और जो सरपंच होता है वह सारे क्षेत्र से चुनकर आता है। इसलिये सारे क्षेत्र के प्रतिनिधि के नाते वह आता है इसलिये पंचायत समिति में हमने सरपंच को लिया है। अगर पंच लोगों को लेते हैं वह तो केवल एक वार्ड का प्रतिनिधि होता है इसलिये पंचायत समितियों में सरपंच को लेना आवश्यक समझा जो सारे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। यह हमने पंचायतों से पंचायत समिति और उससे जिला परिषद् इस प्रकार से कड़ी जोड़ी है। ग्राम पंचायतों को किसी प्रकार की कठिनाइयां होंगी प्रशासनिक या और किसी प्रकार की तो जो सरपंच होगा वह उसे पंचायत समिति में पहुँचा सकेगा इसलिये सरपंच को इसमें रखा गया है

सभापति महोदय, तहसील का सरपंच इसमें लिया गया है चूंकि वह सारी तहसील का प्रतिनिधित्व करता है इसके, साथ साथ जो कोआॅप्शन रखे गये हैं वे भी एक उचित तरीके से रखे गये हैं। महिलाओं का कोआप्शन आवश्यक है क्योंकि हमारे प्रान्त की महिलायें काफी पिछड़ी हुई हैं, राजनैतिक और सामाजिक तौर पर अतः उनका लिया जाना बहुत उचित है।

इसके अलावा यह भी कहा गया, कृषि निपुण होगा वह सरकार नियुक्ति करेगी वैसे तो गांव के जो लोग होते हैं वे कृषि निपुण होते ही है। मैं उनसे यह निवेदन करना चाहता हूं आप यदि कृषि निपुण हमारी पंचायतों में होते तो देश की जो अनाज की आज की हालत है वह नहीं होती। दर असल हर गांव वाला कृषि निपुण नहीं होता। कृषि निपुण की जो नियुक्ति की है वह जिले भर में जो कृषि के मायने में एक्सपर्ट होंगे उनको जिला परिषद् मुकर्रर करेगी। सांचोर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि इसको सरकार मुकर्रर करेगी इसमें सरकार का तो नामोनिशान नहीं है। जिला परिषद् यह देखेगी कि जिले भर में कौन कृषि निपुण है, कौन उत्पादन बढ़ाना जानता है, कृषि की बीमारियों का उपचार कौन जानता है, इस प्रकार से योग्यतम आदमी जो होगा उसको कृषि निपुण माना जायेगा और उसकी नियुक्ति जिला परिषदें करेंगी। इसलिये यह कह देना कि सरकार कृषि निपुण को रखेगी यह उचित नहीं है।

(श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा)

पंचायत समितियां ग्रामवासियों की तरक्की के लिए बनाई जा रही हैं, इसमें केवल न्यायिक और प्रशासनिक सत्ता ही दी गई हो यह बात नहीं। गांव की आर्थिक उन्नति, सामाजिक उन्नति के लिये, कृषि उन्नति के लिये भी उन्हीं का दायित्व है और इसीलिये कृषि निपुण भी उसमें रखा गया है। और कृषि निपुण सारे जिले के आधार पर होगा जो योग्यतम व्यक्ति होगा उसे ही लिया जायेगा। इस प्रकार इस बिल द्वारा ग्राम वासियों को उन्नत दशा में लाना ही उद्देश्य है। एक तरफ तो आप यह कहते हैं कि ग्रामवासी अशिक्षित हैं और दूसरी तरफ जब कोआप्शन से योग्य व्यक्तियों को लेने का प्रोवीजन रखते हैं तो उसका आप विरोध करते हैं ये बातें एक दूसरे से विपरित पड़ती हैं इसलिये पंचायत समिति द्वारा जो कुछ रखा गया है वह ठीक है।

कुछ माननीय सदस्यों ने यह भी बताया कि विधान सभा के सदस्य जो सारे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं उनको पंचायत समिति में क्यों नहीं लिया गया। हमने इस पर बहुत विचार किया और हम इस नतीजे पर पहुँचे, ग्राम पंचायतों में बिटाने से उनका कोई लाभ नहीं है। हम एक कड़ी जोड़ना चाहते हैं ऊपर से लेकर नीचे तक। इसीलिए ग्राम-पंचायतों में सरपंच को लिया गया है और उसके बाद जिला परिषदें जो आती है उसमें विधान सभा के सदस्य और लोकसभा के सदस्यों को लिया गया है। इसका एक कारण है और वह यह कि वहां किसी प्रकार की डिफिकल्टी पेश आती है तो वे विधान सभा में रख सकें और विधान सभा उन सब बातों को सुन करके सोच समझ करके उसके अनुसार कानून में परिवर्तन कर सके अन्यथा तो उन्हें भी पंचायत समिति में रख देते। हमारा मकसद ग्राम के लोगों के हाथ में ग्राम की सत्ता ग्रामवासियों के हित के लिये। उनकी आर्थिक सामाजिक उन्नति के लिये उनको सौंपना है और वह भी ग्राम द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में देना है।

एक बात यह भी कही गई कि वे वहां पर बैठकर क्या करेंगे। आप उनको सलाह दे सकते हैं, योग्यतम सलाह दे सकते हैं। इससे होगा क्या कि जो सरपंच वहां आयेंगे वे आपकी सलाह को ग्राम पंचायतों में रखेंगे यह फायदा है। आप जिला परिषदों में रह कर योग्य सलाह दे सकते हैं और उनको जो कठिनाई महसूस हो उसे विधान सभा में रख सकते हैं। इसी मकसद से पंचायत समितियां और जिला परिषदों का निर्माण किया गया है। हमने इन सारी बातों को सलेक्ट कमेटी में डिसकस किया और इस नतीजे पर पहुँचे कि विधान सभा और पार्लियामेंट के सदस्यां को जिला परिषद् में रखा जाय क्यों कि जिला परिषद् का प्रतिनिधि विधान सभा में कोई नहीं है अतः विधान सभा में उनकी बातों को रखने के लिए वहां प्रतिनिधि आवश्यक है। विधान सभा व पार्लियामेन्ट में जो सदस्य आते हैं वे अपने क्षेत्र से डायरेक्ट जनता द्वारा चुने हुए आते हैं। इसीलिए विधान सभा और पार्लियामेन्ट के सदस्यों को जिला परिषद् में रखा है।

हमने जो अधिकार दिये हैं उनमें न्यायिक अधिकार तहसील पंचायतों को दिये हैं और प्रशासनिक भी। इसका कारण मैं आपको बताना चाहूँगा...

श्री रामकरणसिंह (कोतपुतली) : 'हमने कर दिया' जो आप कहते हैं, क्या फाइनल कर दिया ?

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : मैं सलेक्ट कमेटी में मेम्बर हूं और उसी हैसियत से बोल रहा हूँ।

श्री हरिप्रसाद यादव : (वल्लभनगरस्तु) सभापति महोदय, और भी कई लोग इस पर अपने विचार व्यक्त करेंगे इसलिए जो सदस्य सलेक्ट कमेटी में रह चुके उनको बोलने न दिया जाय।

श्री सभापति : यह तो मेरे देखने का काम है।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : हमें जुडिशियरी के पॉवर्स पंचायतों को नहीं देने चाहिए, यह भी कहा गया क्योंकि चुने हुए जो लोग हैं वे अच्छा न्याय नहीं करते यह भी कहा गया। उसके लिए मेरा निवेदन है कि हमारे देश में ही नहीं अमेरिका में आप देखेंगे, वहां जज तक का चुनाव होता था। कोई न्याय सच्चा करता है या नहीं यह तो नैतिकता पर निर्भर करता है। यहां चुनाव से कोई संबंध नहीं है। अगर हमारे देश का स्तर ठीक है तो वैसे लोग आयेंगे लेकिन इस पर यह कहना कि जो चुनाव से आते हैं उनका नैतिक पतन हो जाता है तो विधान सभाई सदस्यों के लिए भी यह कहा जा सकता है। चूंकि वे चुन कर आये हैं इसलिए क्या इनका भी नैतिक पतन हो चुका है? ऐसी हालत में यह कह देना कि चुने हुए व्यक्ति न्याय नहीं करते, न्याय करना नहीं जानते यह बिल्कुल गलत बात है।

श्री अनूपसिंह : (बालोतरा) अमेरिका में अब क्या हो रहा है, अभी आप कुछ कह रहे थे।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : आप मेरे विचारों को सुन लें। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि मेरे राम राज्य परिषद् के बहुत से साथियों के दिलों में बहुत घबराहट हो रही है। उनसे मैं सभापति महोदय, आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूँ कि वे शांतिपूर्वक सुनें और फिर अपने भाषण में इनका जवाब दे दें। तो माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी जनतंत्र का सारा दारोमदार चुने हुए व्यक्तियों के ऊपर ही है और हम अगर चुने हुए व्यक्तियों के ऊपर यह विश्वास नहीं करेंगे कि वे जुडीशरी फंक्शन्स ठीक नहीं करेंगे और वे पक्षपात करेंगे यह कदापि मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। माननीय सदस्यों का जो सुझाव है और जैसा उन्होंने कहा कि चुने हुए आदमी कभी न्याय नहीं कर सकते, यह कहना उनकी भूल है। मनुष्य का जो स्वभाव है जिसका जैसा स्वभाव होता है, वह वैसा ही सोच सकता है। आज हम जुडिशियल ऑफिसर्स नियुक्त करते हैं तो क्या वे सब के सब ईमानदार हैं? हो सकता है उनमें भी बहुत से ठीक न हों लेकिन...

श्री सभापति : सब को हम ईमानदार मानते हैं जब तक कि उनकी बेईमानी साबित न हो जाये।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : इसलिए जनतंत्र में जब तक चुने हुए व्यक्ति हैं और जब वे अपनी ही जनता के द्वारा चुनकर जाते हैं वे प्रशासनिक अधिकारों को अपने काम में भी लायेंगे। जनता उनको फिर भी चुनती है तो ऐसे व्यक्तियों के द्वारा न्याय किया जाना कोई अनुचित नहीं होगा। अब यह कहा गया कि हम गांव वालों को ज्यादा अधिकार दे रहे हैं और दूसरी ओर यह कहा जाता है हम उनको कम अधिकार दे रहे हैं....

श्री सभापति : Please no repetition.

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इस देश की स्थिति को सामने रखते हुए और इस प्रदेश की स्थिति को सामने रखते हुए जो अधिकार तहसील पंचायत को न्याय करने के लिए दिये हैं वे उचित हैं। क्योंकि पंचायत समितियों के सामने इतने प्रशासनिक काम होंगे और योजनाओं के कामों को भी उसको चलाना होगा इसलिए तहसील पंचायत भी अलग रखी है जिससे कि वह अपने जुडीशियल फंक्शन्स करती रहे और आगे जाकर जब कि नई पंचायतें बनेंगी तो इसके बारे में आगे विचार किया जा सकता है।

इसके बाद में टैक्सेशन की बात आती है। हमने टैक्स लगाने के अधिकार इसलिए दिये हैं कि योजनाओं के लिए पैसे चाहिए। इसके बारे में फिर यह कहा गया कि क्योंकि हम टैक्स नहीं लगा सके इसलिए यह टैक्स लगाने के अधिकार पंचायत समितियों को दिये हैं और इसलिए ग्रामवासियों के कन्धों पर बन्दूक रखकर चलाना चाहते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि विधान सभा में हम जो भी बिल पास करते हैं वे सारे प्रतिनिधि ही मिलकर पास करते हैं और हम भी जनता के चुने हुए हैं। अगर यहां के विधान सभा सदस्यों द्वारा निर्मित सरकार कोई टैक्स लगाती है, इस विधान सभा की स्वीकृति लेकर, तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इसमें क्या फर्क हो सकता है। क्या इससे कोई डरता है? क्या कांग्रेस गवर्नमेंट इससे डरती है। आपके दिमाग में यह बात है कि कांग्रेस गवर्नमेन्ट इससे घबराकर पंचायत समितियों को अधिकार दे रही है, यह आपका प्रपंच मात्र है। दरअसल बात यह है कि जो पंचायतों को टैक्स लगाने का अधिकार देते हैं वह इसलिए दिया गया है कि जहां पंचायतों का क्षेत्र है अगर वह जरूरत समझें तो वह टैक्स लगायें। यह उन पर कोई जरूरी नहीं रखा गया है कि वह टैक्स लगायें ही। अगर वह अपने क्षेत्र में अपनी योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए ज्यादा से ज्यादा धन की उनको आवश्यकता है जो कि राज्य सरकार द्वारा या और दूसरे साधनों द्वारा प्राप्त है, उससे भी अधिक धन की आवश्यकता है और अगर वह यह समझते हैं कि हमारी जनता इस टैक्स को बर्दाश्त कर सकती है तो वह टैक्स लगा सकते हैं। इसके अलावा यह कहा गया कि जिला समितियों को अधिकार नहीं दिया कि वह टैक्स लगा सकती है और यह टैक्स लगाने का अधिकार पंचायत समितियों को दिया गया। तो इस बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिला परिषद् को यह अधिकार इसलिए नहीं दिया गया कि पंचायत समिति तो अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है और जिला परिषद् में बैठने वाले जो लोग हैं वहां पर दूसरे एम॰ पी॰ और एम॰ एल॰ ए॰ भी बैठते हैं अगर वह सोच लें कि हमें टैक्स लगाना है और उसको पंचायत समिति कार्यान्वित नहीं करना चाहती तो दोनों में संघर्ष हो सकता है। इसलिए पंचायत समिति जिसके हाथ में सत्ता है और जिसे योजनाओं को कार्यान्वित करना है जो कि अपने ग्रामों की उन्नति करना चाहती है उन्हीं के हाथ में यह टैक्स लगाने का अधिकार रखा गया है, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा): मिनिस्टर कन्सर्न्ड ही जवाब दे देंगे, फिर आप क्या कह रहे हैं।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : मैं निवेदन करूंगा कि कलेक्टर को यह पॉवर्स दे दी गई कि वह मनोनीत करेगा और वह उसको सुपरसीड भी कर सकेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें जो धारा ५७ बताई गई है उसमें राज्य सरकार को ही अधिकार है और राज्य सरकार को किन किन कारणों पर किन किन बातों के होते हुए जब कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाये तब जाकर राज्य सरकार जिला परिषद् को या पंचायत समिति को भंग कर सकती है। अगर यह अधिकार राज्य सरकार को न रहें तो किस को रह सकते हैं। क्योंकि हमारा विधिवत् ढांचा है ...

श्री परसराम मैद्रींना (आसीन) : वह कलेक्टर की तो धारा ५८ है।

श्री अनोपसिंह : यह क्या कह रहे हैं ? Is he replying on behalf of the Minister ?

श्री सभापति : No. He is not.

श्री अनोपसिंह : क्या यह ग्रामोफोन की रेकार्ड है।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : तो मैंने पहले ही कहा कि हमारे राम राज्य के लोगों को बहुत घबराहट पैदा हो रही है। वह चाहते हैं कि यह जो जवाब देने के लिए खड़े हुए हैं इनको न बोलने दिया जाये।

श्री सभापति : He is expressing his opinion so far as the spirit of the Bill is concerned.

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी इस बिल में प्रावधान रखे गये हैं वह हमारे देश की बहबूदी के लिए रखे गये हैं और जो भी ग्राम पंचायतों को अधिकार दिये हैं, पंचायत समितियों को जो अधिकार दिये हैं वे बिल्कुल उपयुक्त हैं। इस प्रदेश की परिस्थिति को देखते हुए मैं समझता हूं यह उपयुक्त है। एक माननीय सदस्य ने यह कहा था कि यह अधिकार हमारे सारे प्रदेश में लागू नहीं होने चाहिए और हमारे कुछ सदस्यों ने कहा है कि मतभेद की नीति को अपनाया है और यह भी कहा है कि इस जिले के लोग बैकवर्ड हैं और इस जिले के फारवर्ड हैं। जो भी हम कानून बनायें वे सारे प्रदेश के लिए हैं। हमें सारे प्रदेश की उन्नति करनी है। इसलिए सारे प्रदेश में यह कानून लागू करने के लिए यह प्रावधान रखा गया है। मैं निवेदन करूंगा कि जो माननीय मित्रों को यह सम्भावना है कि इससे हमें कोई अधिकार नहीं मिले, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमें इससे वे अधिकार प्राप्त हुए हैं जो कि सच्चे जनतन्त्र में होने चाहिएं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि यह प्रावधान बिल्कुल उपयुक्त है और रहने चाहिए।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : माननीय चेयरमैन महोदय, पंचायत समिति व जिला परिषद् का बिल है। कल से उस विषय में हमारे हाउस में वादविवाद हो रहा है। मैं भी उसका स्वागत करता हूं और अपने विचार प्रकट करता हूँ। माननीय चेयरमेन महोदय, आज कई अरसे से हमारी जनता स्वतंत्रता का प्रकाश देखने के लिए छटपटा रही थी। आज राज्य के विकेन्द्रीकरण के

Page No.74

(श्री हीराभाई)

विषय में जो इसका बिल बनाया है उस बिल से मैं समझता हूं कि राज्य के विकेन्द्रीकरण के बजाय चूंकि उसमें कुछ ऐसे प्रोविजन रख दिये हैं कि उसमें ठेकेदारी का नाता कायम कर दिया है। जब कि हम चौखम्भा राज्य कायम करना चाहते हैं तब तो सिर्फ यही होना चाहिए था कि ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों के चुनाव होकर वहाँ के पंच लोगों के द्वारा चुनकर जिला परिषद् में आदमी जायं। उस के मत देकर भेज सकते थे। लेकिन यहाँ पर यह मापदण्ड रख दिया है कि या तो उपप्रधान या प्रधान ही वहां पर जायेगा जिला परिषद् में। दूसरे उसमें मत देने की और चुनाव की कोई पद्धति की जरूरत नहीं है। माननीय चेयरमैन महोदय, मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं होगा। जहां जनता के चुने हुए आदमी किसी तरह से भी कोई बहानेबाजी से, या लोगों को दबाकर या लोगों को पैसा देकर हिम्मत से वोट लेकर जो प्रतिनिधि आये होंगे, उन्हीं को उसी आधार पर वहां का शासन उनके हाथों में देने जा रही है हमारी सरकार। तो मैं यह हरगिज नहीं समझता हूँ कि एक अच्छी व्यवस्था करने जा रही है, और एक लोकतन्त्रीय विकेन्द्रीकरण किया जा रहा है। यह बिल्कुल नहीं किया जा रहा है। यह तो उसी प्रकार से है जैसे कि अंग्रेजों के एजेन्ट हमारे राज्य में डेरा जमाकर पूरे शासन की जांच करते थे, और शासन को चलाने में मदद देते थे और बड़ी बड़ी थैलियां भेंट लेते थे। विधान सभा के एम. एल. एज. और पार्लियामेन्ट, लोकसभा के सदस्य वहां जिला परिषदों में अपना प्रतिनिधित्व करेंगे तो मैं समझता हूं कि जनता के बारे में अच्छा नहीं होगा। यह हो सकता है कि शासन के बारे में अच्छा होगा। सरकार का उनसे बहुमत होगा और वे सरकार की मदद जरूर करेंगे, लेकिन इससे जनता को लोकतन्त्रीय राज्य नहीं मिलेगा। बात यह होनी चाहिए कि किसी को लगाने की जरूरत नहीं है। वहां चुनाव के आधार से ही जिला परिषदों में जायं जैसा कि जिला बोर्डों में था। जिला बोर्डों में खराबियां नहीं थीं हालांकि आदमी में खराबी होगी, लेकिन चुनाव के आधार से वह आये थे। उसी आधार से जिला परिषदों में आते हैं तब तो बिल्कुल ठीक समझते हैं। परन्तु चुनाव में इतना भ्रष्टाचार होता है, इतना पक्षपात होता है कि किसी भी हालत में जो आदमी ईमानदार है वह नहीं जीत सकता है। कभी टाइम ऐसा मुकर्रर करते हैं। वर्षा का समय मुकर्रर करते हैं। उस तरह से चुनाव में आये हुए प्रतिनिधि सरपंच माने जायेंगे। वहां जाकर जिला परिषद् के कार्यक्रम को अपने हाथ में लेंगे। वह बिल्कुल उचित नहीं होगा। चुनाव भी होने चाहिए तो उस स्थान की जनता के आधार पर चुनाव होना चाहिए। वहां के लोग ही पंच बनें और प्रधान और उपप्रधान का उसमें नहीं होना चाहिए। पंचों में से किस जनता में से प्रतिनिधि खड़े होकर पंचायतों के लिए वोट ले लें तो उसी आधार से चुनाव होगा। तो कौन सी जनता के फेवर में जनता का राज्य सरकार उनके हाथ में दे रही है। यह तो एजेन्ट मुकर्रर करना है जैसे कि कलेक्टर था अंग्रेजों का एजेन्ट उसी आधार पर आज हम पार्लियामेंट के सदस्य को भेज रहे हैं। विधानसभा के सदस्य को भेज रहे हैं। जहां लोगों ने २०, २५ हजार खर्च करके चुनाव लड़कर एम. एल. ए. बने हैं, उनको वहां पर भेज रहे हैं। यह चुनाव पद्धति का इस तरह से हुआ है। इस तरह

(श्री हीराभाई)

से एम. एल. एज. जीत जाते हैं। पैसों की कीमत से वोट खरीदते हैं वे लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं ...

श्री सभापति : आर्डर, आर्डर। ये शब्द इस तरह से प्रयोग में नहीं लायें और केवल बिल पर बोलें।

श्री हीराभाई : माननीय चेयरमैन महोदय, मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा हूँ।

श्री सभापति : व्यक्ति इससे कोई संबंध नहीं रखता है।

श्री हीराभाई : माननीय चेयरमैन महोदय, दूसरी बात यह है कि इस बिल में सहकारिता के संगठन के आदेश भी रहेंगे। जहां सरकार चाहेगी वहां उसी जगह पर योग्य व्यक्ति को मनोनीत कर सकती है। चैयरमेन महोदय, मैं समझता हूँ कि जिसपार्टी का चाहे कांग्रेस पार्टी का बहुमत हो चाहे दूसरी पार्टी काबहुमत होगा, यह अपने फेवरके आदमी को मनोनीत करेगी, और उसी आधार पर वहां पर बहुमत करेगी, और फिर शासन चलाने की कोशिश करेगी। और जो देहातों के प्रतिनिधि आयेंगे उनको अल्पमत में रखने की सरकार हमेशा कोशिश करेगी। इसलिए मैं समझता हूँ कि इस तरह से रखने को मानने के लिए मजबूर नहीं हूँ।

दूसरा राज्य के विकेन्द्रीकरण की यह मिसाल है कि वहां पर हम वास्तव में लोकतन्त्रीय राज्य कायम करना चाहते हैं उसका मैं समर्थन करता हूं। लेकिन इसमें जो कई तरह की खराबियां और खामियां हैं, उन खामियों को सुधारने के लिए सरकार से निवेदन करूंगा और हाउस से निवेदन करूंगा। इस तरह से चुनाव नहीं होना चाहिए और चुनाव पद्धति से चुनाव होकर जिला परिषद् व पंचायत समितियों या विकास समितियों का गठन हो ताकि राज्य को हम लोकतन्त्रीय मानें। वर्ना इसको हम लोकतन्त्रीय राज्य नहीं मानेंगे। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि चुनाव होने चाहिए और चुनाव होकर हर जिला परिषद् और विकास समिति कायम होनी चाहिए।

श्री हरिप्रसाद यादव (वल्लभनगर-सु.): माननीय सभापति महोदय, मैं हमारे इस सदन में यह जो महत्वपूर्ण विषय का मसला चल रहा है, राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् सन् १९५९, उसका मैं समर्थन करता हूं। जैसा कि महात्मा गांधी ने अपनी लेखनी में यह लिखा है कि हम देश के अन्दर पंचायत राज्य चाहते है। तो राष्ट्रपिता पूज्य गांधीजी की लेखनी पढ़ने के बाद और इस सदन में जो दो दिन से बहस चल रही है उस बहस को सुनने के बाद, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि हमारे राजस्थान में भी सन् ४७ के बाद पंचायत राज्य कायम हुआ, और हमारे इस पंचायत शासन के १२ वर्ष गुजरे और १३ वें वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं। तब इस पंचायत राज्य और पंचायत शासन के बिल की प्रवर समिति बनी। तो, माननीय सभापति मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताऊँ कि इस समिति में २५ सदस्य लिये गये हैं। उस प्रवर समिति के मेम्बरों को जो इस सदन के भी सदस्य हैं उनको यह भान नहीं है, यह ज्ञान नहीं है, उन्होंने इस रिपोर्टको पढ़ा नहीं,

(श्री हरिप्रसाद यादव)

देखा नहीं और अपना अंगूठा चेप ही दिया । (करतलध्वनि) माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यह पंचायत अधिनियम, पंचायत शासन और लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण का नक्शा हमारे सामने १२वें वर्ष में आया। हमारा राजस्थान राज्य एक बहुत बड़ा प्रदेश है, और हमारा यह बहुत बड़ा परिवार है जिसके अगुआ यह हमारे सामने बैठे हैं, जिनका संचालन, पंचायत राज्य का सुधार करनेवाले यहां हमारे आगे विराजमान है....

उनसे मैं यह अपील करूंगा कि इस बिल में जो उन्होंने खामियाँ रखी हैं वे आप ठीक करके आगे बढ़ें। मैं सभापति महोदय, पिछड़ी हुई जातियों की सीट से यहां आता हूं जबकि पिछड़ी हुई जाति के लाखों व्यक्ति राजस्थान विधान सभा की ओर टकटकी लगाकर देख रहे हैं कि हमारे राज्य में जो पंचायत शासन कायम तो हुआ है लेकिन नाममात्र का है तो हमारे राज्य के मंत्रियों और इस सदन के नेता ने यह देखा कि हमारे राजस्थान प्रदेश में भी हम लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण शासन की स्थापना करें। वैसे तो अधिवेशन में यहां समाजवादी शासन की स्थापना का एक प्रस्ताव आपने, हमने, सबने एक मत से पास किया है। जो लोग समाजवाद का नारा लगाते हैं, लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण का दम भरते हैं, उन्होंने शिड्यूल कास्ट और आदिवासी हरिजनों के नाम से १२ वर्ष से भारत सरकार से करोड़ों की धन राशि मकान बनाने के लिये और दूसरे कामों के लिये ली है सहायता के रूप में, उसका उपभोग कितना किया।

इस बिल की धारा १ में कहा गया है कि कोई महिला या हरिजन या औरत जाति की प्रतिनिधि नहीं ली गई है तो ली जाय। यह वही प्रश्न है सभापति महोदय मैं बताऊँ उदाहरण के तौर पर कि यदि एक आदमी को खाना खाने नहीं दिया है तो अब कह दिया कि अब खोलो। यदि प्रतिनिधि नहीं लिया गया है तो अब ले लें। हजारों वर्षों से अंग्रेजों, जागीरदारों, राजा–महाराजाओं और सवर्ण समाज द्वारा जो लोग कुचले गये हैं उन पिछड़ी जातियों का एक मात्र प्रतिनिधित्व करने के लिये राष्ट्रपिता के कारण हक मिला है तो यह हर्ष की बात होनी चाहिए। हम आज लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण में प्रवेश कर रहे हैं, जब हम यहां पर बोलने के लिये समय चाहते हैं तो चेयरमैन, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष समय नहीं देते हैं लाखों व्यक्तियों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि की आवाज को दबाना कहां तक ठीक है। पहले कानून ऊपर से थोपा जाता था, लेकिन अब कानून को करोड़ों किसानों और मजदूरों के प्रतिनिधि बनाते हैं। उन लोगों को सस्ता न्याय पंचायत समितियों और जिला परिषदों द्वारा दिया जायेगा तो मैं सभापति महोदय, आपके द्वारा निवेदन करूं कि पंचायत समिति में जो एक लाख व्यक्तियों द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि आता है उसको कोई स्थान नहीं देना, इसमें भी कोई राज़ है। मैं आपसे निवेदन करूं कि जहां पहले ग्राम पंचायतें थीं और उनके ऊपर तहसील पंचायतें थीं उनके प्रतिनिधि तहसील डेवलपमेंट कमेटी में विधान सभा के सदस्य बैठते थे और भूमिहीनों को और जो न्याय से वंचित लोग थे उनको न्याय देते थे और मार्गदर्शन देने वाले प्रतिनिधि थे तो उनको वहां जाने से वंचित रखना न्यायसंगत बात नहीं है।

Page No.77

(श्री हरिप्रसाद यादव)

में अपील करूंगा कि पंचायत समितियों में विधान सभा के सदस्यों को रखा जाय।

दूसरी बात किशनगढ़ से आनेवाले माननीय सदस्य ने अपने जोशीले भाषण में बताई कि जिला परिषद् में यह नहीं होना चाहिए, वह नहीं होना चाहिए। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि किशनगढ़ के मजदूर साथियों का क्या हाल होगा ?

राजस्थान एक बहुत बड़ा प्रदेश है। उसमें कुछ कमियां और अच्छाइयां हो सकती हैं तो सरकार चलानेवाले जो साथी हैं वे कमियों को पूरा करते हैं। लेकिन तलवार तो हमारे पास वही पुरानी अंग्रेजों और राजा महाराजाओं के टाइम की हैं जिनमें जंग लग गया है, राजा महाराजाओं और अंग्रेजों द्वारा छोड़ी हुई, चकचूंदर। कमिश्नर कलेक्टर और सेक्रेटरी वे ही पुराने जमाने के लोग हैं। इसलिये जब तक पंचायत समितियां और जिला परिषदों द्वारा वहां का नक्शा बनकर नहीं आवे तब तक कुछ नहीं होगा। मैं आपको एक उदाहरण बताऊंगा, मैं अपने वल्लभनगर निर्वाचन क्षेत्र का जिक्र कर रहा हूँ। उस क्षेत्र में एक बांध बनाने का जिक्र चल रहा है। मैं आप बीती कहूँ, पर बीती क्यों कहूं (हंसी)। हमारे यहां उस बड़गांव बांध में १८ गांव डूब रहे हैं इसलिये वहां के हजारों व्यक्तियों ने आन्दोलन किया जो अब तक चल रहा है। सिंचाई विभागवाले कहते हैं कि ३ गांव डूबते हैं। एक इन्जीनियर कानून बनाता है....

श्री सभापति : इन्जीनियर कानून नहीं बनाता है। आप अपना अधिकार इन्जीनियर को क्यों दे रहे है।

श्री हरिप्रसाद यादव : उदाहरण की इसलिये जरूरत है कि यह एक बहुत महत्व-पूर्ण बिल है, मैं इस किताब को पूरा पढ नहीं सका। मेरे काफी अजीज दोस्त इस पर बोले हैं इसलिये मैं इसको महत्वपूर्ण मानता हूँ और यह समझता हूँ कि १२ वर्ष बाद हमारी सरकार एक महत्वपूर्ण बिल यहां लाई है....

श्री सभापति : आज घन्टा दो घन्टा आप इसको पढ लीजिये।

श्री हरिप्रसाद यादव : मैं जनता जनार्दन के लिये बोल रहा हूँ। उदाहरण के तौर पर सिंचाई विभाग की बात बता रहा हूँ हालांकि सिंचाई विभाग आपके पास नहीं है, वैसे आपके ही अन्तर्गत है। मैं सिंचाई विभाग के सरवे का उदाहरण दे रहा हूँ। हमारे यहां के कलेक्टर उस कमेटी के चेयरमेन थे। मैं यह बताना चाहता हूँ कि यह बिल बहुत अच्छा और सुचारू ढंग से लिखा गया है और बहुत ही महत्वपूर्ण है और यदि आप और हम सब इस रास्ते पर चलें, गांधी जी के बताये हुए रास्ते पर, हमारे बड़े बड़े लीडर्स, विधान सभा के सदस्य जिला परिषदों के चेयरमेन और पंचायत समितियों के चेयरमेन, सब इस रास्ते पर चलें तो हमने १२ वर्ष में जितनी राजस्थान की प्रगति की है उससे दुगुनी प्रगति अब हो सकती है।

तो मैंने सभापति महोदय, समय बहुत ले लिया है, आप ऐसा महसूस करते हैं तो सिर्फ एक उदाहरण और देना चाहता हूं। यदि राजस्थान प्रदेश को सुधारना चाहते हैं तो मैं यह निवेदन करूं कि समाज कल्याण विभाग के पास फंड है। राजस्थान में एक धर्मादा फंड है उससे न कोई काम होता है

(श्री हरिप्रसाद यादव)

और न किसी का फायदा होता है, एक तरफ सवर्ण और दूसरी तरफ हरिजनों जैसी चीज है। यदि ये करोड़ों रूपये राजस्थान में तृतीय पंच वर्षीय योजना में लगाये जांय तो हम सब आगे बढ़ेंगे, पीछे कोई नहीं रहेगा। मैं १०० टंच बात विधान सभा में कह रह हूँ। यदि माननीय सदस्य नोट करलें तो करोडों रूपये तीसरी योजना में जो अभागे किसान हैं जो अन्न पैदा करते हैं, और जो मदूजर हैं वे चीनी पैदा करते हैं हम चाय पीते हैं उसमें जो चीनी काम में ली जाती है उसको किसान गन्ना उत्पन्न करके और मजदूर आग के सामने, बॉयलर के सामने बैटकर पसीने से तर बतर होकर पैदा करते हैं उनको बहतरी के लिए कोई काम करना है तो खाली भाषणों से कोई कार गुजारी नहीं होने वाली है। यदि इस पर अमल करें तो सुधार हो सकता है। इतना कह कर मैं इसका स्वागत करता हूं और महर्षि दयानन्द का एक काव्य याद आ गया है उसे बता देता हूं।

पानी पयावत प्यार प्रीत की
रीत सीख लें आप सभी,
तो दुखद्वन्द्व दूर हों
भारतमात के साफ सभी।

मैं माननीय सभापति महोदय, एक बार जोरदार शब्दों में माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर खींचना चाहता हूँ।

अगर हम इस प्रदेश का सुधार करना चाहते हैं और हम सब ईमानदारी का तमगा लगाना चाहते हैं तो इस देश के करोड़ों गरीबों की ओर देखिये, जो उत्पादन करते हैं, अन्न पैदा करते हैं, जो मशीन के द्वारा हमको अच्छी अच्छी चीजें देते हैं। अगर यह एक रोज के लिए बन्द हो जायें तो हमारे माननीय मंत्री जी इसका एक खण्ड भी नहीं पढ़ सकते हैं। मैं निवेदन करूं कि हमको इस बिल का अनुकरण करना है और इसमें बताये हुए मार्ग पर चलना है। जो २५ माननीय सदस्दों ने इस पर विचार किया है और विचार करने के बाद हमें कम समय दिया है, यह तो उन भाइयों की अक्ल का नमूना था। मैं इस बिल का स्वागत करते हुए अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री **सभापति** : श्री होतीलाल।

श्री **होतीलाल** (भरतपुर) : सभापति महोदय, राजस्थान पंचायत और जिला परिषद् बिल हमारे सामने है और उस पर वादविवाद किया जा रहा है। इसके बारे में मैं दो शब्द निवेदन करना चाहता हूं। डिसेन्ट्रेलाइजेशन के मायने हैं कि पॉवर एक जगह से हट कर दूसरी जगह जाय और जिन लोगों से पास पॉवर है, उनके पास से हट कर पॉवर दूसरे लोगों के पास जाय लेकिन इस बिल को और सलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट को देखने के बाद मैं इस नतीजे पर आया कि जो कदम सरकार ने डिसेन्ट्रेलाइजेशन की तरफ बढ़ाया है, उसमें कुछ रिजर्वेशन सरकार ने रखे थे और यह दरअसल कैसे हुआ? क्या इस बिल की यह भावना रही, इसके लिए निवेदन करूं कि जैसा कि मुख्य मंत्री जी ने स्वयं फर्माया था कि कलेक्टर को उसका सेक्रेट्री यों नहीं रखा और बी० डी० ओ० को विकास अधिकारी यूं रखा, ये सारी चीजें उन्होंने अपने भाषण में समझाई थीं। मेरा तो जहां तक

(श्री होतीलाल)

ज्ञान है और मेरे को जो पता लगा है, वह है कि जैसे ही इस बिल का ड्राफ्टिंग हुआ और यह बिल सलेक्ट कमेटी में जाने लगा तो जो ऊंची क्लास के गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट, आई० ए० एस० वगैरह हैं उनमें तहलका मच गया कि यह बिल पास हो गया और जो अधिकार पंचायत समिति और जिला परिषद को देने थे, ये अधिकार उनके इसी तरह के रहे तो उनको पंचायतों का सबोर्डिनेट बनना पड़ेगा और उनकी मुश्किल हो जायेगी और जिस वातावरण में वे रहे हैं, जो बांट ऑफ माइन्ड है, उसको एडजस्ट करने में दिक्कत होने लगेगी। इसके बाद कलेक्टर आई० ए० एस० आफिसर्स की मीटिंग हुई और उसमें स्ट्रांग तरीके से विरोध किया गया कि कलेक्टर और आई० ए० एस० आफिसर्स को पंचायतों का सबोर्डिनेट नहीं किया जाय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस शख्स ने सबसे ज्यादा विरोध किया था कान्फ्रेन्स में, अपने चीफ सेक्रेटरी ने, उनको प्रमोशन दिया है, you have fought for I. A. S. people with full gallantry. तो मैं निवेदन कर रहा था, जो यह सर्विस का ट्रेन्ड है और यह बेकग्राउन्ड है उनके दिमाग में, तो इस बिल को बनाने से, ड्राफ्ट करने से, इसमें जो पॉवर्स दी है, उनसे फायदा नहीं होने का है। मैं निवेदन करूं कि जहां कलेक्टर को इतनी पॉवर्स दी है, वहां विकेन्द्रीकरण से कुछ फायदा होना चाहिए जनता को, पैसे के पॉइन्ट ऑफ व्यू से। पॉवर का डिसेन्ट्रेलाइजेशन इसी लिए किया जाता है कि लोगों को परेशान न होना पड़े। इन सारी बातों के लिए डिसेन्ट्रेलाइजेशन होता है लेकिन जहां कलेक्टर को आपने पॉवर्स दी हैं और उसके बारे में सर्विसेज का यह एटीट्यूड रहा है, तो मैं नहीं कह सकता कि इसमें सक्सेस मिलने जा रही है या नहीं। जहां हमें फायदा होना चाहिए था, वहां हमें अलग जिला परिषद् के लिए सेक्रेटरी रखना पड़ेगा। मैं कहता हूं कि जब उसका एडवाइजरी फंक्शन है और कोई इतनी पॉवर्स नहीं है और इसके साथ ही बहुत कम मीटिंग होगी, ज्यादा से ज्यादा चार–छः मीटिंग होंगी, उसके लिए अलग सेक्रेटरी रखा जाय, अलग से पैसा खर्च किया जाय, यह ठीक नहीं है। क्या जो कलेक्टर मीटिंग करता है डिस्ट्रिक्ट डवलपमेन्ट कमेटी वगैरह की, वह वहां बैठकर काम नहीं चला सकता। ऐसी सूरत में जो सेक्रेटरी के लिए प्रावधान रखा है, उससे मैं असहमत हूं और कलेक्टर को सेक्रेटरी रखना निहायत जरूरी है। यदि आपको नौकरशाही को दबाना है, यदि जनतन्त्र को पनपाना है, तो मैं कहता हूं कि खास तौर पर दिक्कत नौकरशाही की वजह से है, आज जो परेशानियां दफ्तरों में होती हैं, वह इन्हीं लोगों की वजह से होती हैं, निश्चय ही हमें इनका रवैया बदलना पड़ेगा और जनतन्त्र में रिप्रजेन्टेटिव के नीचे इनको रखना पड़ेगा। ऐसी सूरत में ही जनता की शिकायत दूर हो सकती है। यदि इन्हें दूर रखा गया तो जनता की शिकायत दूर नहीं हो सकती चाहे आप कितना ही डिसेन्ट्रेलाइजेशन करें।

इसके अलावा मैं निवेदन करूं कि जो रिजर्वेशन इसमें इसके साथ साथ रखा है कि विकास अधिकारी का ट्रान्सफर तीन चौथाई पंचायत के बहुमत पर किया जायेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं मान-

(श्री होतीलाल)

नीय मंत्री जी को, कि अगर यह प्रोविजन गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स के लिए भी रख दिया जाय कि किसी भी सेक्रेटरी, कलेक्टर का तबादला तब होगा, जब हाउस के तीन चौथाई सदस्यों का बहुमत कह देगा, इसके बाद किसी ऑफिसर को तब्दील किया जाय, मैं निवेदन करूं कि फिर मिनिस्टर साहब की क्या हालत होगी। आप एक तरफ कहते हैं कि हमने प्रधान के हाथ में हुकूमत दी है, पॉवर्स दी हैं और दूसरी तरफ उसे अख्तियार नहीं है कि अपने सेक्रेटरी का ट्रान्सफर भी करा सके, आगे की चीजें तो अलग रही हैं, उसको पनिश करने की और उसके खिलाफ एक्शन लेने की, लेकिन उसका ट्रान्सफर कराने के लिए भी तीन चौथाई बहुमत होना चाहिए। तो यह प्रेक्टीकल डिफीकल्टी है। अगर पंचायत समिति के एडमिनिस्ट्रेशन को अफीसियेन्टली चलाना है तो यह प्रोविजन होना चाहिए कि या तो मेजोरिटी या, मैं तो यहां तक समझता हूँ कि प्रधान को डील विद करना है स्टाफ से, सेक्रेटरी से, इसलिए प्रधान की एडवाइस पर ट्रान्सफर आदि होने चाहिए। इसके अलावा हम जहां सोचते हैं कि यह जो पॉवर्स हमने दी है, हालांकि सांचोर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि पहले ब्लॉक एडवाइजरी कमेटी थी, उस पर भी अधिकारी थे और ज्यादातर नाम उसका एडवाइजरी कमेटी था, लेकिन उस तरीके से बी० डी० ओ० काम करता था, मैं उसमें न जाते हुए बिल के लिए कहता हूं कि जितने डेवलपमेंट के काम हैं, वे काम तीन चौथाई मेजोरिटी से हो सकेंगे, और उसके बगैर डवलपमेंट के काम नहीं होंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि दो तिहाई का जो प्रोविजन है, उसके लिए मैं तो यहां तक समझता हूं कि बहुत से मौके आयेंगे, जिसमें दो तिहाई सदस्य प्रजेन्ट नहीं होंगे, इसका मतलब यह होगा कि काम रुक जायेगा। इसमें भी यह हो कि जो बहुमत से फैसले हों, वे कार्य एक्जीक्यूट किये जाये।

तीसरा सवाल आता है, इसमें फोर्मेशन का, इसमें रखा गया है सरपंच ऑफ विलेज पंचायत, अभी लोकल सेल्फ मिनिस्टर बैठे थे, अब वे यहां हैं नहीं, वे स्वयं महसूस करते हैं कि पंचायत एक्ट में दिक्कत है कि पंच बाहर से आते हैं और सरपंच डाइरेक्ट इलेक्शन से आते हैं। तो ऐसे चान्सेज होते हैं कि सरपंच अकेला पड़ जाता है और पंचायत समिति में जो सरपंच आये, वह पंचायत में माइनोरिटी में हों। ऐसी सूरत में इन्डाइरेक्ट इलेक्शन रखा जाय तो खतरा नहीं रहेगा। इसके साथ ही आप एक तरफ डिसेन्ट्रेलाइजेशन की बात करते हैं और दूसरी तरफ उसे पॉवर्स दे रखी हैं, एक काम यह हुआ और दूसरा काम वह पंचायत समिति में बैठेगा, और वहां काम करना पड़ेगा और उसके फैसले आदि को एक्जीक्यूट करना पड़ेगा। इस प्रकार एक आदमी के पास पॉवर्स इकट्ठी करते जा रहे हैं। इसलिए इन्डाइरेक्ट इलेक्शन से इस प्रकार के कॉम्प्लीकेशन्स की गुंजाइश नहीं रहेगी।

चौथी चीज यह है कि माननीय सदस्यों ने यह रखा कि एम० एल० ए०, जो पंचायत समिति में नहीं है, उनका पंचायत समिति में रहना निहायत जरूरी है। मैं निवेदन करूं कि आज जो पॉवर्स हैं, वे असेम्बली

Page No.81

(श्री होतीलाल)

के हाथ में हैं। आज हम डिसेन्ट्रेलाइजेशन की बात करते हैं एक तरफ और दूसरी तरफ हम चाहते हैं कि हम उस पॉवर को एनजॉय करें। मैं कहूंगा कि जिला परिषद् में भी एम० पी० और एम० एल० ए० की जरूरत नहीं है। जैसा कि लीडर आफ दी हाउस ने सदन के सामने रखा था कि पंचायत समिति में एम० पी० और एम० एल० ए० इसलिए नहीं हैं कि उनमें उनका कोई काम नहीं है। उनको वोट देते हैं तो वह दूसरे मकसद के लिए देते हैं, इस काम के लिए नहीं, इसलिए उनको अपने दायरे में रहना चाहिए। बड़े विनम्र शब्दों में मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जो रीजनिंग पंचायत समिति में रखने के नहीं हैं, उन्हीं को जिला परिषद् में क्यों नहीं रखा जाता है क्योंकि जहां एम० पी० और एम० एल० ए० रहेंगे वहां डेवलपमेंट का काम नहीं होगा। जो लोग दलील देते हैं कि चूंकि एम० एल० ए० प्रतिनिधित्व करते हैं, ऐसी सूरत में इनका इनमें रहना जरूरी है, वे गांव की बहबूदी को ज्यादा समझते हैं। इस विषय में इतना निवेदन करना चाहता हूँ कि जितनी जरूरत पंचायत समझ सकती है, उतनी एम० एल० ए० नहीं समझ सकता है। वे उस इलाके में ज्यादा वाकफियत के लिए घूमने फिरने के लिए, लोगों की बात सुनने के लिए नहीं जा सकता। जो लोग वहां रहते हैं, वे जानते हैं सब चीजों को। तो यह दलील इस तरह क्यों देते हैं, यह समझ में नहीं आता है......

मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि डर मुझे यह लगता है, बहुत से लोगों को डर है, जैसा कि बयाना से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि उन्हें राइवल्स खड़े होने का डर है, बहुत से लोग जो तिकड़मबाजी से नेता बने हुए हैं, पैरासाइट हैं पब्लिक के ऊपर, एक दूसरे को आपस में लड़ा कर अपनी नेतागिरी को सुरक्षित किये हुए हैं, उनको खतरा है कि यदि गांव वालों में जागृति आ गई तो उनकी नेतागिरी बड़े खतरे में पड़ जायगी। ऐसी सूरत में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिला परिषदों में भी एम० एल० एज० को रखने की जरूरत नहीं है। जब डेवेलपमेंट के पॉवर्स आप इनको दे रहे हैं तो डेवेलपमेंट के कामों में रोड़े अटकाने वाली या आपस में मतभेद पैदा करने वाली परिस्थितियां हो सकती हैं, उसको दूर रखा जाय तो अच्छा होगा।

इसके अलावा मैं यह निवेदन करूंगा कि एम० पीज० की फिर क्या अजीब पोजिशन बनेगी एल. एल. एज. से भी। टौंक सवाई माधोपुर कॉन्स्टीट्यूएन्सी से चुने जाने वाले एम० पी० हैं वे टौंक की जिला परिषद् में बैठेंगे, या भरतपुर की जिला परिषद् में बैठेंगे, या सवाई माधोपुर की जिला परिषद् में बैठेंगे या उन्हें अलवर की जिला परिषद् में बैठना पड़ेगा, तो मेरी समझ में नहीं आता कि एक आदमी को इतनी जगहों पर थोपने से क्या मकसद है और किस तरह इसको एडजस्ट किया जा सकेगा। अपर हाउस के मेम्बर की और भी गजब की पोजिशन है, इन लोगों को तो प्रतिनिधि मान लिया जाय कि ये प्रतिनिधि हैं पर ये किस एरिया के प्रतिनिधि हैं। ये लोग जहां के रहने वाले हैं वहां के प्रतिनिधि अगर इन्हें मान लिया जाय तो इनमें से बहुत से एम० पीज० ऐसे मिल जायेंगे कि वे अपने घर से हारेंगे, अपने जिले से हारेंगे

(श्री होतीलाल)

और हमने उनको चुन कर भेज दिया हो। वहां आम तौर से रिटायर्ड आदमी जाते हैं या those who have there discarded from active politics or those who have been declared unfit.

उन लोगों को आप जिला परिषदों में रखना चाहते हैं। इसी तरह तहसील सरपंचों की बात है, इसमें तीन लेजिस्लेचर्स हैं, वैसे यह आज मानी हुई बात है कि एग्जीक्युटिव से जूडिशियरी को सेपरेट रखना चाहिए जूडिशियरी का एग्जीक्युटिव से इन्टर कनेक्शन नहीं होना चाहिए तो तहसील पंचायतों का फंक्शन इस बिल के पास होने के बाद जूडिशियल फंक्शन रह जाता है, इसको इसमें क्यों फंसाया जाता है। एग्जिस्टिंग सिस्टम में जैसा भी है पर आगे जो सिस्टम जारी करने जा रहे हैं, इसमें इसे क्यों डाला जा रहा है। दूसरे तहसील सरपंचों की पोजिशन वह भी है कि यहां भी बैठेंगे और वहां भी बैठेंगे। तहसील सरपंच एक है दो दो जगह जाता है तो ऐसी सूरत में तहसील सरपंच को रखना भी उचित नहीं है।

जहां तक कन्ट्रोल का सवाल है, स्टाफ पर कन्ट्रोल विकास अधिकारी का रहेगा, बाकी के पंचायत समिति के केडर में सरकार लेगी, यह समझ में नहीं आया। होना यह चाहिये था कि जिनको पंचायत समिति उचित समझेगी उन्हीं को रखेगी, इस तरह का अधिकार पंचायत समिति को क्यों नहीं दिया जाता। आज हम क्या देखते हैं कि किसी सर्विस में, सलेक्शन बोर्ड में जाइये आपको रूरल पोपुलेशन में से ३० प्रतिशत भी नहीं मिलेंगे जब कि रूरल पोपुलेशन ८० पर्सेन्ट है। जहां भी जायेंगे वहां आपको अर्बन टेस्ट के आदमी मिलेंगे। कहा जाता है कि मेरिट्स के आधार पर लेते हैं मेरिट्स के आधार पर वे लोग ही आ सकते हैं जो पढ़े-लिखे वातावरण में रहे हैं और उनमें शहरी ही आते हैं। मेरिट्स के बहाने अर्बन टेस्ट के आदमी फिटेड हो जायं, इसलिये यह रखा गया है। जैसे शिड्यूल्ड कास्ट्स के, शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों का रिजर्वेशन रखा है उसी तरह पढ़ाई लिखाई और सर्विसेज में आने का सवाल है, गांवों वाले भी उतने ही बैकवर्ड हैं जितने कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं। इसलिए पंचायत समिति में इन्हीं लोगों को लिया जाना चाहिये। यह पंचायत समितियों और जिला परिषदों पर ही छोड़ दिया जाना चाहिये कि जिसको वे अच्छा समझें उन्हीं को लें। गवर्नमेंट को अपने हाथ में यह अधिकार रखना उचित नहीं है।

इसके अलावा मैं यह निवेदन करूंगा कि रूरल डेवलपमेंट एक्सपीरियेंस का जो यह जो इसमें रखा गया है यह एक ऐसी चीज है कि This is an insult to the Sarpanch of the area. रूरल डेवेलपमेंट का ६ साल से काम कर रहे हैं, उसी गांव में रहते हैं, उसकी जरूरत को जानते हैं, इसके अलावा रूरल एक्सपीरियेन्स के क्या माने होते हैं ? साफ मानों में आप यह क्यों नहीं कहते कि रूरल एक्सपीरियेन्स वाले के कॉम्प्शन के बहाने आप राजनैतिक आदमी को, अपनी पार्टी के आदमी को इसमें लेना चाहते हैं।

मैं तो यह चाहता हूँ कि जितना हो सके उतना इलेक्टेड का प्रोविजन रख सकें

(श्री होतीलाल)

वही रखें, इलेक्टेड का प्रोविजन जितना हो सके उतना ही अच्छा है। कोऑप्ट का प्रोविजन नहीं होना चाहिये जब तक कि कोई ऐसी बात हो, ऐसी स्थिति हो कि इसके अलावा और कोई तरीका नहीं हो। सरपंच हो जब इलेक्शन से आया है तो फिर कोऑप्ट करने की क्या आवश्यकता है। कोई राजनैनिक खतरा हो, किसी की नेतागिरी में खतरा हो तो उनको कोऑप्ट कर लिया जायगा, इस मंशा से यह कोऑप्शन का प्रोविजन रखा गया है।

इसलिए मैं यह निवेदन करूँगा कि रूरल एक्स्पीरियेन्स का है वह इसमें से ओमिट हो जाना चाहिये।

तीसरा प्रश्न आता है ये कि सारी बातें करते हुए फिर टैक्सेशन का प्रश्न रहता है। इसके लिए इसमें प्रविजन किया गया है। मैं कम से कम यह समझता हूं कि गांव वाले इस परिस्थिति में नहीं हैं कि वे किसी प्रकार का अधिक कर अब दे सकें। मैं यह कहूँगा उनको एक इन्कम टैक्स कर को छोड़ कर सभी प्रकार के टैक्स देने पड़ते हैं। और इन्कम टैक्स के शेअर के स्थान पर उनको एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स देना होता है। इतना ही नहीं। इसके अलावा गांवों में जितने भी काम सरकार द्वारा होंगे उसके लिए सरकार कहेगी कि आधा पैसा जनता दे। अगर किसी प्रकार होस्पिटल खोलने की बात होगी या सड़क निकालने की बात होगी तो सरकार यह कहेगी कि आधा पैसा जनता दे। वह पैसा आवेगा कहां से एक व्यक्ति तो उसको डोनेट नहीं करता है। वह भी तो आखिर पब्लिक से ही वसूल होगा। एक एक घर से या बैल जोड़ी के हिसाब से ही वह रकम इकट्ठी की जाती है। क्या यह टैक्स नहीं है। यह भी एक प्रकार से टैक्स का रूप ही है। गांव वालों को आप जाकर पूछिये वे यही कहेंगे कि कोई भी काम करे तो उनको आधे पैसे देने पड़ते हैं। मैं यह कहूंगा कि वे लोग इतने टैक्सों से दबे हैं कि इससे ज्यादा अब वे कोई टैक्स नहीं दे सकते हैं। मैं यह समझता हूँ दर असल में यहां पर डीसेन्ट्रलाइजेशन के साथ साथ डेमोक्रेसी में यह क्लॉज होना चाहिये कि पॉवर के साथ साथ उस मनी को भी उनको देना चाहिये जो गवर्नमेंट डेवलपमेंट के नाम पर खर्च करती थी। इसलिये जो नये टैक्स लगानी चाहती है वह न लगाये और फिर भी करोड़ों रुपयों का डेवलपमेंन्ट वर्क करती थी। मैं समझता हूँ कि नये टैक्स की आवश्यता क्या है? अगर आप नये टैक्स लगावेंगे तो जिस तरह से आपका कम्युनिटी प्रोजेक्ट के कार्य में लोगों की दिलचस्पी नहीं रही उसी प्रकार इसमें भी लोगों की दिलचस्पी नहीं रहेगी और इस बिल के आते ही लोग कहेंगे कि यह तो पैसे इकट्ठे करने का एक जरिया हो गया है। अगर टैक्स लेना है तो उनको एकाउन्ट वगैरह रखने होंगे। अगर आप इस बात को महसूस करते हैं कि पब्लिक टैक्स देने के योग्य है और पब्लिक की शक्ति टैक्स देने की है तो आपको चाहिए कि आप खुद डाइरेक्ट टैक्स लगावें। आप यह चाहते हैं कि बदनामी तो उनकी हो और नामवरी आपकी हो। सन् ६२ के बाद यह होगा कि जितना भी डेवलपमेंट इन संस्थाओं के जरिये से होगा उसके लिए यह कहा जावेगा कि यह डेवलपमेंट कांग्रेस सरकार का डेवलपमेंट हुआ है। अगर आप यही करना चाहते हैं तो आपको चाहिये कि आप ही डाइरेक्ट टैक्स लगावें। ऐसी सूरत में यह जो आप टैक्स

(श्री होतीलाल)

लगावेंगे वह लोगों को बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त होगा और लोगों को उन टैक्सों को देने की शक्ति नहीं रहेगी कि वे अब जो टैक्स लगा हुआ है उससे ज्यादा दे सकें।

इसके अलावा मैं यह निवेदन करूंगा कि सरकार ने कलेक्टर को पॉवर दी है वह ५६ और ५७ में, उसमें आपने लिखा है कि अगर कलेक्टर की ओपीनियन में यह हो कि किसी जगह पर ब्रीच ऑफ पीस का प्रश्न है तो वह he can withhold any resolution he likes. उसके लिए उसको पॉवर हैं। क्या आप यह समझते हैं कि जिन पंचों को आप एक तरफ इतनी इज्जत देते हैं क्या वे लोग सभी आँख बन्द करके किसी का कन्स्ट्रक्शन करावेंगे जिससे आपस में लाठी चल जावे और ब्रीच ऑफ पीस होने का खतरा हो। मैं यह कहूँगा कि हम एक तरफ उनकी इज्जत करते हैं तो दूसरी तरफ उनकी बेइज्जती करते हैं जब हम यह कहते है। मैं यह कहूंगा कि यह सिर्फ आई. ए. एस. और कलेक्टरों की कांफ्रेन्स का फल है। मैं यह निवेदन करूंगा कि यदि हमको प्रजातन्त्र को जिन्दा रखना है, यदि हमको जनतन्त्र को जिन्दा रखना है, यदि हमें जनता की आवाज को जिन्दा रखना है तो सभी माननीय सदस्यों को यह निश्चय कहना होगा कि नौकरशाही को समाप्त करना होगा।

(करतलध्वनि)

जिस समय कोई आई. ए. एस. अधिकारी से बात करते हैं तो वे लोग अपने आपको स्वयं खुदा समझते हैं। (विरोधी दल की तरफ से शेम शेम की आवाज) जब तक उनका यह एटीट्यूड है उसको क्रश नहीं किया जावेगा तो मैं यह कहूंगा कि अगर कभी भी डेमोक्रेसी को खतरा हो सकता है तो इनके इस प्रकार के एटीट्यूड से होगा। इसलिये उनको तो हमें दबाना ही होगा। इसलिये इन प्रोविजनों को तो इस बिल में निश्चय रूप में दबाया जाना चाहिये। वर्ना यह होता है कि आप एक हाथ से जिस चीज को देते हैं उसको दूसरे हाथ से ले लेते जाते हैं। फिर किस बात की डेमोक्रेसी है। मैं आपको उदाहरण दूंगा जिसके कारण आपस में बड़े बड़े झगड़े हुए। हाई कोर्ट की दो ब्रांचें थीं, एक जयपुर में थी उसको आपने यहां से हटा कर सेन्ट्रेलाइजेशन किया। क्यों किया गया। एक तरफ जब आप कहते हैं कि हम डीसेन्ट्रेलाइजेशन करने जा रहे हैं तो आपने जयपुर की हाई कोर्ट की बैंच को आपने यहां से क्यों भेजी। क्या इससे पब्लिक का पैसा बर्बाद नहीं हो रहा है। तो ऐसी सरकार से हम फिर ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं। इसलिये मैं हाउस के सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा और माननीय मंत्री महोदय जो इस बिल के इन्चार्ज हैं उनसे भी कि अगर हम सब एक साथ मंत्री महोदय जो इस बिल को पाइलोट कर रहे हैं उनसे निवेदन करेंगे तो उनको झुकना होगा और हाउस की जो मंशा होगी उसके साथ उनको भी चलाना होगा।

श्री अनोपसिंह (बालोतरा) : सभापति महोदय, हमारे सामने यह जो मसला बहुत दिनों से चल रहा है, मेरे ख्याल से करीब करीब साल भर इसको चलते चलते चलते हो गया है। लास्ट नवम्बर क्या इसके भी पहले से यह सिलसिला चल रहा है कि पंचायतों को बदलना होगा, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स

(श्री अनोपसिंह)

को हटाना होगा और उसमें कुछ ऐसी तब्दिलियां करनी होंगी कि जो काम हम विकास और प्रगति के डेवलपमेंट वर्क के द्वारा कराना चाहते वे उनके द्वारा होंगे। मैं मानता हूं कि राजस्थान सरकार ने जो बिल हमारे सामने लाकर रखा है उसमें कई ऐसी चीजें हैं जो शायद हमारे मकसद को पूरा कर सकें। लेकिन जब हम इस बिल को अच्छी तरह से देखते हैं तो हमें मालूम होता है कि एक क्लॉज दूसरे क्लॉज से आपस में ओवरलेप करता है और इस बिल में कई वेक्यूम्स हैं। इन सबको अच्छी तरह से देखें तो ऐसा मालूम होता है कि जिस मकसद से यह बिल बनाया गया है वह मकसद इससे पूरा नहीं किया जावेगा।

मैं अब मुख्य मुख्य धाराओं को लेता हूं। पेज १ से १२ तक पंचायत एक्ट को इस तरह से बदला गया है कि उनका पंचायत समिति और जिला परिषद् के साथ किस तरह फिटिंग होगा। अब पंचायतों को पंचायत समिति के किस तरह से नीचे रहना होगा। उनको जिला परिषदों का भी हुक्म मानना होगा और जो इन्सट्रक्शन्स पंचायत समिति से और जिला परिषद् से आयेंगी उनको मानना होगा। मैं यह कहूंगा कि सबसे बड़ी बात हमारे सामने है वह यह है कि हमारे पंचायत एक्ट को बदला गया है मगर जिस समय बदला गया उस समय हमने यह नहीं देखा कि तहसील पंचायतों का क्या होगा। वह किस मर्ज की दवा है। आप कहेंगे कि उनके सामने जुडिशियल, क्रिमीनल और रेवेन्यू के केसेज हैं। उनके मुकद्मात हैं वे उनके सामने जावेंगे और उनको तहसील पंचायत तय करेगी। आपने प्रेक्टीकली यह देख लिया कि तहसील पंचायतें इस मकसद को पूरा नहीं कर सकेंगी They have not been able to deliver the goods for which they were supposed to come into existence. मेरे कहने का मतलब यह है कि इन्होंने इन्साफ करना तो दूर रहा, ऐसे झगड़े पैदा किये जो उन फैसलों से हुए। जो फैसले वे देने लगे उनमें पक्षपात होने लगा अगर कोई इस बात को चैलेन्ज करके कहे जैसा मैं कह रहा हूं और जैसा अभी कह गया था कि अमेरिका में भी जुडिशियरी इलेक्टेड होती थी क्योंकि वहां के लोगों में करेक्टर होता था। मैं यह कहूंगा कि अभी तक हमारे यहां नेशनल करेक्टर इस हद तक नहीं गया है। हमें डेमोक्रेसी की ट्रेनिंग उस तरह से नहीं मिली है। इसलिये आपको यह मानना होगा कि तहसील पंचायत को जो हम पॉवर देना चाहते हैं पूरा नहीं होता है। उनके हरदम दिमाग में यह रहता है कि उनको उस पार्टी का पक्ष करना चाहिए जिसने उनको वोट देकर भेजा है। इसलिये उनको उसका ख्याल रखना होगा। यहां तक आप समझिये कि जुडिशियल फैसले होते हैं, जहां सफेद सफेद है और काला काला है, दोनों अलग अलग हैं और आपने इन दोनों को मिक्स कर दिया है। मेरे खुद के एक्सपीरियेन्स है तहसील पंचायतों के। सरपंच के नाते तो मैं कहता हूं कि बहुत बड़ी मुश्किल आ जाती है। या तो उन फैसलों को उसी तरह करें या न करें। अगर आप करते हैं तो एक तरफ से करने पड़ते हैं। एक तरफ से नहीं करते हैं तो फिर किसी काम का होना न होना बराबर है। १ पेज से लगाकर १२ पेज तक पंचायतों के क्लॉजेज हैं उनको बदल दिया। उनके लिए यह ख्याल नहीं रखा कि तहसील पंचायतों की क्या जरूरत रहेगी

(श्री अनूपसिंह)

और किसी काम को करेगी। पहले तो ओवर आल सुपरविजन पंचायतें कर रहीं थीं और पंचायत समितियों को भी अब वहां मिला दिया। अब सिविल और क्रिमिनल केसेज का काम रह गया है और उसके लिये तहसील पंचायतें रखी हैं और पंचायत समितियों में डालते हैं जिनसे लेना देना नहीं है। पंचायत समितियां तो डेवलपमेंट के काम के लिए और तहसील समितियों के केस वर्क के लिए। तहसील पंचायतें तो करीब करीब हटा देनी चाहिये। और आप कहते हैं कि नहीं हटनी चाहिए तो फिर कोई ओल्टरनेटिव नहीं है। आखिर नोमिनेटेड क्यों, इलेक्टेड क्यों नहीं? नोमिनेटेड हैं तो कैसे करेंगे? यह जो उलझन है वह मेरे दिमाग में साफ नहीं हुई है। उनमें इन्डिपेन्डेन्ट व्यूज रहनी चाहिए, निष्पक्ष रहनी चाहिए ऐसी भावना उनमें रहनी चाहिए जिससे पक्षपात किसी तरह से न हो, केसेज ठीक तरह से डील किये जांय। मुझे पता नहीं लेकिन किस तरह गठन करेंगे। या तो गवर्नमेंट नोमिनेट करे। गवर्नमेंट के नोमिनेट करने में यह होता है कि गवर्नमेंट हमेशा पक्षपात करती आयी है और हमें विश्वास नहीं होता कि तहसील पंचायतों को नोमिनेट करके वह उस मकसद को प्राप्त कर सकेगी जो कि करना चाहिए।

हमें अब यह देखना है कि हमें डिसेन्ट्रेलाइज करना है, पॉवर ऊपर से नीचे तक पहुंचाना है। डेमोक्रेसी को गाँव लेवल पर, ग्रामीण आदमी को यह महसूस कराना है कि उसके हाथ में कुछ पॉवर हैं। वे भी कुछ सत्ताधारी हैं। इस बात को महसूस कराना है। मैं यह अर्ज करूंगा, सभापति महोदय, जो डेमोक्रेसी की फीलिंग है Democray is not an idea Democracy is a feeling. डेमोक्रेसी की ऐसी भावना आपके अन्दर जागृत हो जाय तो हो सकता है कि विकास हो जाय। आइडिया लेकर चलें इन्टरफियर के ख्याल से तो फिर डेमोक्रेसी किसी काम की नहीं है। आज हम देख रहे हैं जिस प्रजातन्त्र की दुहाई देते नहीं अघाते उसको, हमने आजादी के बाद देख लिया कि उस प्रजातन्त्र में कुछ नहीं है। मैं यह अर्ज करूंगा कि अगर हमें डेमोक्रेटिक डिसेन्ट्रेलाइजेशन करना है तो उसकी भावना को ऊपर से नीचे तक लाना है। उसकी तस्वीर खींची है। इस बिल से नीचे से ऊपर वह भावना पहुँच जायगी इसमें कोई गुन्जाइश नजर नहीं आती है। मेरे से पूर्व वक्ता बोले जो इस बिल को पूरी तरह से सपोर्ट देने के लिए आमादा थे। ऐसा मालूम होता था कि जैसे वे गवर्नमेंट के***हों। वे

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा): Point of order, Sir. The members cannot be called as*** This is un-parliamentary, and the Hon'ble Member should be asked to withdraw it The Hon'ble Members express their views as they feel***

श्री सभापति : I hereby observe that the words be deleted from the minutes,

श्री अनूपसिंह : मैंने*किस लिहाज से कहा...

***अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

Page No.87

श्री सभापति : I have given my observations please. You speak on the subject.

श्री अनूपसिंह : उसकी तरह...

श्री पी० के० चौधरी : The Chair has given its ruling.

श्री अनूपसिंह : आपके फेवर में रूलिंग हो गया इससे मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं जिस खयाल से कह रहा हूं आप उसको समझ नहीं पाये और आप को ऐसा खयाल हो रहा है जैसे....

श्री सभापति : No direct discussions please.

श्री पी० के० चौधरी : The Hon ble Member is repeating the same thing.

श्री सभापति : You please confine yourself to the debate.

श्री अनूपसिंह : Yes Sir, I will confine myself.

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर)**:** On a point of Order Sir, सभापति महोदय, रूल्स के अनुसार यदि कोई शब्द एक्स्पन्ज करने के सम्बन्ध में रूलिंग दिया जाय तो उसके पहले कौन से शब्द एक्स्पन्ज किये जायं उनको व्यक्त करते हुए एक मोशन आना चाहिए। चूंकि उनके शब्दों के सम्बन्ध में कोई मोशन नहीं आया इसलिए रूल्स के अनुसार वे शब्द एक्स्पंज नहीं समझे जा सकते। उस पर आपके रूलिंग की आवश्यकता है।

श्री पी० के० चौधरी : I have moved it. I move that the words be expunged.

श्री सभापति : वह मोशन आ चुका था। वे शब्द श्री पी० के० चौधरी ने एक्स्प्रेस किये थे।

श्री भैरोंसिंह : आपने वे शब्द यूज नहीं किये कि कौनसे शब्द एक्स्पन्ज किये जांय। I may have spoken so many words...

श्री सभापतिः **** These are the words which are expunged from the records.

श्री अनूपसिंह : पंचायत में आप पहले से ही देख रहे हैं कि क्या निराशा की भावना है, कैसा निराशा का वातावरण हमारा गांवों में फैला हुआ है। यहां तक कि कत्ल के केसेज हो गये। पंचायतों को लेकर पंच या सरपंच बनने के लिए इधर से उधर भाग दौड़ की जाती हैं जिसमें कत्ल तक हो जाते हैं। कत्ल को रोक नहीं सकते क्योंकि अब लोगों में सत्ता ग्रहण करने की भावना जाग्रत हो गई है। वे चाहते हैं कि हम भी कुछ बन जांय। आपको यह देखना होगा कि जो पंचायतों ने जहर फैला रखा है वह बढ़ने न पावे और न उसको बढने दें। पंचायतों को पॉवर देकर अच्छी बात निकले। वास्तव में तो डिसेन्ट्रेलाइजेशन होना चाहिये जिससे कि लोगों में डेमोक्रेटिक फीलिंग आ जाय। जिस तरह का बिल हमारे सामने आया है वाकई ठीक भावना इसके पीछे न रही और हमारे नेता हैं ऐसे कई जो उल्टा रूप लेने के लिए तैयार रहते हैं और मैं नम्र

**** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

(श्री अनोपसिंह)

निवेदन करूंगा कि वे पंचायतों में रगड़े झगड़े फैलाने, ईर्ष्या फैलाने, पार्टीबाजी फैलाने सारी बातों को लेकर वे ऐसा करते हैं उन्हें ही रीपिट किया, उन पर पर्दा डाला गया, जो गलती है उसको ठीक कर लें ऐसा नहीं किया और गलतियों पर पर्दा डालने की कोशिश की अपनी पार्टी की बात रखने के के लिए लोगों को दबाया तो इसको प्रजातन्त्र नहीं कह सकते और शुद्ध भावना भी नहीं कर सकते। इसलिए मैं अर्ज करूंगा कि प्रजा को ये सारे पॉवर्स मिल जांय यह मैं मानता हूँ, उसी तरह मिल जाय जिसको जनता एब्जोर्ब कर सके।

हम फ्रेन्क एस्टीन की तरह लेट लूज नहीं हो रहे हैं। We are not going to let loose like that Frankiestien. उसको लेट लूज करते हैं हमारी पंचायतों में तो डेमोक्रेटिक डिसेन्ट्रेलाइजेशन और आजादी सब खतरे में पड़ जावेंगे। इसलिए जो कुछ करना है वह कन्ट्रोल्ड वे में करना है।

इसके अलावा कई माननीय मित्रों ने यह भी कहा कि रेस्पोन्सिबिलिटी दिये बिना रेस्पोन्सिबल बन नहीं सकते। इसके लिए मेरा यह निवेदन है कि हामरे जनसेवी हैं वे इस बात को समझ कर चलें कि सत्ता का दुरुपयोग न करें, हमारे मंत्री गण उन दुरुपयोग करने वालों का साथ न दें अन्यथा इस बिल का जो मकसद है वह पूरा नहीं होगा।

अब मैं बिल की धाराओं को लेता हुआ निवेदन करूंगा। पंचायत समिति में यह माना है कि उसमें सरपंच होंगे, तहसील सरपंच होंगे, को-ऑप्टेड मेम्बर्स भी होंगे और नोमिनेटेड भी होंगे।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : यह नोमिनेशन कहां से ले आये।

श्री अनूपसिंह : अगर आप कोऑप्ट नहीं कर सकेंगे तो वह एक प्रकार से नोमिनेशन ही होगा।

डॉ० बहादुरसिंह : आप अगर फेल हो जायेंगे तो नोमिनेशन करना होगा।

श्री अनूपसिंह : तो यही हुआ जहां को-ऑप्शन नहीं होगा वहां नोमिनेशन होगा। सेक्शन ५ के पैरा फोर्थ में हम लिखते हैं कि एक पंचायत समिति का रिडिलिमिटेशन होता है और उससे दो पंचायतें बनती हैं तो गवर्नमेन्ट को यह अधिकार होगा कि पहले वाली पंचायत समिति के प्रधान व उप-प्रधान को पंचायत समिति में रहने दे सकती है। यह प्रोविजन है फोर्थ में :

"Provided that, in reconstituting the Panchayat Samiti, the State Government may direct that the Pradhan, the Uppradhan, or a co-opted member of the Panchayt Samiti which was functioning immediately before such redelimitation and who is otherwise qualified to hold such office in the reconstituted Panchayat Samiti shall be the Pradhan, Uprradhan or co-opted member of the reconstituted Panchayat Samiti, as if he was elected or co-opted, as the case may, be to such office in the reconstitued Panchayat Samiti". मैं निवेदन यह करना

(श्री अनूपसिंह)

चाहता हूँ कि नई पंचायत समिति बन गई तो फिर उसके मेम्बरों के लिये यह होना चाहिये कि वह चाहे जिसे प्रधान या उप-प्रधान चुने, उसके लिये क्या जरूरत थी, पहले वाले भी इसमें रह सकते हैं। हर जगह इस तरह से सरकार का हस्तक्षेप रहा तो वही पार्टी की बात आने वाली है। आप इससे जहां डेमोक्रेटिक डिसेन्ट्रेलाइजेशन करने जा रहे हैं वह कहीं डेमोक्रेटिक डिमोरेलाइजेशन न हो जाय। इसलिए अर्ज करूंगा कि हर बात में आप सरकार का हस्तक्षेप न करें।

अब आता है कम्पोजीशन ऑफ पंचायत। उसमें तहसील के पंचों को रखना कोई जरूरी नहीं। दोनों के स्फीअर अलग अलग हैं और उनको चुनने वाले भी अलग हैं। यह ठीक है कि तहसील के सरपंच को तो आप रख लीजिये लेकिन तहसील के सरपंच को प्रधान और उपप्रधान होने की इजाजत नहीं होनी चाहिये। वैसे तो तहसील पंचायतों में जुडिशियरीके केसेज और अन्यमामले पहले ही बहुतायत से आते हैं उसके बाद अगर तहसील सरपंच को प्रधान या उपप्रधान बना दिय जाता है तो पंचायत समिति का काम नहीं होगा इसलिए इन दोनों का अलग अलग स्फीअर रहे। और रखना ही आप चाहते हैं तो उसको एक मेम्बर की तरह रहने की इजाजत दे सकते हैं।

इसके बाद विधान सभा के सदस्य और पार्लियामेंट के सदस्यों को रखने की बात आती आती है। इसका कई माननीय सदस्यो, ने विरोध किया है। मैं तो यह मानता हूं कि यह कहना या तो आपको अपने में विश्वास नहीं है, ऐसा आप अपने आपको ठहराते हैं। या आपमें कमजोरी आगई है या हम सब अपने आपको नालायक समझते हों। हम क्यों नहीं जा सकते ?

एक माननीय सदस्य : लायक ज्यादा हैं।

श्री अनूपसिंह : अगर एम० एल० ए० वहां रहते हैं, वे पार्टीबाजी की बात न करें और निष्पक्ष रूप से अपनी राय व्यक्त करें तो उनका रहना बहुत जरूरी है। एम० एल० ए० का रहना इसलिये भी जरूरी है कि वहां की एक लाख जनता का प्रतिनिधि होता है अत: उसका काम है वहां पर रहे और पार्टीबाजी से ऊपर उठकर रहे।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना): आपने इन ढाई सालों में कौन कौन से कुंए सेंक्शन किये हैं।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर): कुओं के लिये रकम सेंक्शन की है बजट द्वारा।

३. ४२. म. प.

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन

श्री अनूपसिंह : आप कहेंगे तो आपको लिस्ट बता दूंगा।

डॉ० बहादुरसिंह : राम राज्य क्या कर रहा है।

श्री अनूपसिंह : यह सवाल तो जाने दीजिये मेरी तहसीलों के नाम बताऊंगा तो आप उनको जानेंगे ही नहीं।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : वे तो बजट के अन्दर होंगे।

श्री भैरोंसिंह : आप तो कुओं के नाम बता दीजिये तलाश ये कर लेंगे। (हँसी)

श्री अनूपसिंह : कई है लोकसल, लारीका, समदड़ी का पैपलाइन आदि कई हैं, किन किन का नाम बताऊं ।

श्री उपाध्यक्ष : आप कुएं के किस्से को छोड़िये ।

श्री अनूपसिंह : उन कुओंमें मुझे पड़ना नहीं है ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : वे तो कांग्रेस वालों के लिये छोड़ दीजिये ।

(हँसी)

श्री पी॰ के॰ चौधरी : Point of information, Sir. Yesterday you promised that you will compare the minutes with the provisions in the Bill here. So I would like to know whether the Hon'ble Speak er has compared them.

श्री उपाध्यक्ष : Yes, I have called for the records and I am comparing.

श्री अनूपसिंह : I may not be disturbed Sir for this.

श्री उपाध्यक्ष : Ofcourse not. जब आप थोड़े से धीरे होगये थे तभी उन्हें अवसर मिला ।

श्री अनूपसिंह : मैं यह कह रहा था कि एम॰ एल॰ ए का रहना इसमें बहुत जरूरी है । हो सकता मैं दो वर्ष बाद न आ सकूं......

श्री उपाध्यक्ष : God forbid.

श्री अनूपसिंह : मान लेता हूँ तो इसका मतलब यह नहीं कि आप जब प्रिन्सीपल को तय करते हैं वहां इस बात को नहीं देखना चाहिये हमारे पीछे आने वाले सदस्य तो रह सकेंगे ।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़) : क्या आपको विश्वास नहीं है फिर आने का ।

श्री अनूपसिंह : इस कॉन्फीडेन्स को तो आप आने दीजिये । मेरा यह कहना है कि एम॰ एल॰ ए का रहना जरूरी है क्योंकि जितना भी डेवलपमेंट के काम होते हैं उनके लिये वहाँ के आफिसर यहां लिखते है उनका जवाब तक नहीं जाता । विधान सभा के सदस्य के वहां रहने से यह होगा कि वह उस संबन्ध में असेम्बली में कट मोशन रख सकता है, सवाल कर सकता है, मेमोरेन्डम पेश कर मिनिस्टर महोदय, का ध्यान दिला सकता है । इस तरह से एम॰ एल॰ ए एक बहुत यूजफुल काम कर सकता है ।

४ म. प.

इसके सिवाय सेक्शन ६ में एक बड़ी अजीब चीज माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे समझ में आई : (d) notwithstanding anything in the law for the time being in force relating to Panchayats, if any Sarpanch of a Panchoyat or a Tehsil Panchayat refuses to be a member of the Panchayat Samiti or resigns such membership or otherwise ceases to be such member, he shall, with effect from the date of such refusal, resignation or cessation, cease to be the Sarpanch of the Panchayat or Tehsil Panchayt, as the case may be, and the person who secceeds him in such office shall be the member of the Panchayat Samiti in his place;', अगर पंचायत समिति में नही रहना चाहता है तो वह सरपंच भी नहीं रह सकता हैं । यह क्या बात हुई ?अगर वह तहसील सरपंच है या किसी ग्राम पंचायत का सरपंच है, अगर किसी वजह से पंचायत समिति में नहीं जाना

(श्री अनूपसिंह)

चाहता तो उसका रिप्रेजेन्टेटिव जा सकता है Why is it necessary that he should resign ? सरपंच वहां से रिजाइन करे क्योंकि वह पंचायत समिति का मेम्बर नहीं बनना चाहता। यह मैं क्लाज ६ का (डी) अर्ज कर रहा हूं और उसमें यह होगा कि वह फोर्स करके कहे कि तुम को पंचायत समिति में रहना पड़ेगा अगर नहीं रहोगे तो तुमको सरपंच से भी इस्तीफा देना पड़ेगा। यह एक बड़ी अजीब बात है जिसको मैं माननीय सदस्यों के सामने और इस सदन के सामने पेश करना चाहता हूं। यह चीज ठीक नहीं है। अगर कोई पंचायत समिति में नहीं जाना चाहता है तो न जाये उसका रिप्रेजेन्टेटिव जा सकता है, उसमें कोई एतराज नहीं होना चाहिए। इसके सिवाय क्लाज में पार्ट (iv) दिया हुआ है "(iv) one person belonging to the scheduled castes if no such person is a member of the Panchayat Samiti." शिड्यूल्ड ट्राइब्स को उसमें से निकाल दिया गया है। हां, शिड्यूल्ड कास्ट के लिए जरूर आवश्यक है कि उसका तो एक मेम्बर रखा जायेगा बिना इसका लिहाज रखते हुए कि ५ पर्सेन्ट उनकी पॉपुलेशन होती है या नहीं। ठीक है मैंने मान लिया लेकिन उसके साथ ही साथ वह क्या जरूरी है कि शिड्यूल्ड ट्राइब्स की अगर ५ पर्सेन्ट की पॉपुलेशन नहीं होती है तो वह शिड्यूल्ड ट्राइब्स का कोई आदमी भी प्रति निधित्व नहीं कर सकता। अगर ५ पर्सेन्ट रहती है तो कर सकता है अगर ५ पर्सेन्ट पॉपुलेशन नहीं रहती तो नहीं कर सकता है। यह मेरी समझ में नहीं आता कि शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के बीच में इस सदन में बैठकर इस प्रकार की बात कही जाये। यह कैसे हो सकता है कि शिड्यूल्ड कास्ट को तो देना जरूरी है और शिड्यूल्ड ट्राइब्स को नहीं? मैं यह कहूंगा कि शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के लिए परसेन्टेज के ऊपर सोचते हैं तो इस बात को हमें ध्यानसे निकाल देना चाहिए। यह हमारे लिए शर्म की बात है। दोनों ही बैकवर्ड हैं, दोनों में वेही खामियां हैं, दोनों में पढ़ाई कराने की या चिकित्सा कराने की या आगे बढ़ाने की क्षमता एक सी है। तो यह कहां तक उचित है कि हम एक को तो दबाना चाहते हैं और दूसरे को उठाना चाहते हैं। यह गलत तरीका होगा जिसका कि यहां से प्रिसीडेन्स बनेगा और शायद यह आगे भी चल सकता है जोकि हमारे लिए घातक होगा।

श्री उपाध्यक्ष : यदि आप संक्षेप में कह सकें तो अन्य मेम्बरों को भी मौका मिल सकेगा।

श्री अनूपसिंह : मैं निवेदन करूंगा कि मैं इस प्रवर समिति का मेम्बर था इस लिहाज से....

श्री उपाध्यक्ष : Have you given a dissenting note ?

श्री श्रीभानसिंह : No Sir. He should not be permitted to speak.

श्री अनूपसिंह : मैंने सेक्रेटरी साहब से पूछा था कि इसके नोट ऑफ डीसेन्ट कब दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो डेट दी गई थी और मुझे यहां आने के बाद में १३ तारीख को यह मिला उसके बाद में...

श्री उपाध्यक्ष : I don't want any explanation. Whether there is a dissenting note or not ?

श्री अनूपसिंह : मेरा नोट तो नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : If there is no dissecting note, then as a matter of fact you have no right to speak. That is the practice in the Lok Sabha as well as in other legislatures. Now you have got a chance, so I will request you to please be brief.

श्री अनूपसिंह : जिस हरी (hurry) के साथ इसको प्रिन्ट किया गया, और जिस हरी के साथ माननीय सदस्यों को यह भेजा गया है उस स्थिति में तो आपको रिलेक्स करना पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष : यह रिलेक्स करने पर ही तो आपको मौका मिला। otherwise, strictly speaking, there is no right.

श्री पी० के० चौधरी : He cannot speak against the provisions of the report of the Select Committee. He may be allowed to speak, but not against the report of Select Committee. We shall be establishing a bad precedent if he goes against the report of the Select Committee,

श्री उपाध्यक्ष : You will please conclude early.

श्री पी० के० चौधरी : He should have control over his speech.

श्री अनूपसिंह : मैं हर बात को सपोर्ट करूं इससे बैटर है कि बैठ जाऊं। यह कैसे हो सकता है कि आपकी गलत चीज को भी सपोर्ट करूं।

श्री उपाध्यक्ष : Yes will continue please.

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : व्यक्ति के विचार हैं, बदल गए।

डॉ० बहादुरसिंह : वाह वाह, ऐसे काम थोड़े ही चलेगा।

श्री अनूपसिंह : पंचायत समिति के अन्दर मैं अर्ज करूंगा "(vi) Two persons whoes experience in administration, public health or rural development would be of benifit to the Panchayat Samiti;"

यह बेनीफिट देने वाले, यह एक्सपीरियेन्स रखने वाले आदमी कहां से आयेंगे ? इस तरह का अनुभव रखने वाले अगर कोई थे तो वे तो सरपंच बन चुके। अगर उसके बाद में आप चाहते हैं कि जो आदमी पीछे रह गये हैं उनको लाया जाये। यह उनको लाने का एक तरीका है। आप किसी के लिए कह सकते हैं कि वह एक्सपीयरेन्स्ड है या नहीं। किसको कहा जाये कि यह काम करने वाला है या नहीं है। वह पब्लिक लाइफ में या एडमिनिस्ट्रेशन में समझता है, यह आप कैसे जान सकते हैं ? इसके अन्दर फिर अर्ज करूंगा कि इसमें फिर पार्टी बाजी की बात होगी, फिर ऐसे आदमी लाकर थोप दिये जायेंगे जो कि जो आकर अपना खेल रचायें। लोगों को लड़ाने में और फ्रिक्शन करवाने में वे एक्सपर्ट होते हैं ऐसे आदमी जोकि समय पर नहीं आ सकते और पीछे रह जाते हैं। वे इस लिए नहीं आते कि लोग उनको वोट तो देते नहीं हैं। सीधे तरीके से आना तो उनके हाथ में नहीं है। इसलिए वे बाहर रह

(श्री अनूपसिंह)

जाते हैं इसलिए आप उनके लिए यह चाहते हैं कि उनको थोप दिया जाये। तो मैं अर्ज करूंगा कि ....

श्री श्रीभानसिंह : आप यह खुद कह रहे हैं कि एम० एल० ए० को थोपा जाये, समिति में इसको आप कैसे कॉन्ट्रेडिक्टरी कर सकते हैं ?

श्री अनूपसिंह : एम० एल० ए० तो वोट लेकर आये हैं।

श्री श्रीभानसिंह : पंचायत समिति में नहीं आये हैं।

श्री अनूपसिंह : जिनको कोई जगह नहीं मिलती है जिनको कोई एक्सपीयरेंस नहीं होता उनको सिवाय लड़ाने के और कोई काम नहीं है। इसलिए मैं अर्ज करूंगा कि इसमें ऐसा होगा कि गलत आदमी थोपे जायेंगे। इसलिए मैं कहूंगा कि इसको डिलीट किया जाना चाहिये था।

श्री उपाध्यक्ष : The observations of the Lok Sabha on the point raised by Shri Sribhan Singh are:—"Therefore, it is proper that any member, who differs from the majority report, must append a note of dissent. Unless it is an extraordinary thing which he contemplated and which he did not contemplate earlier and which nobody could have contemplated, such points ought not be made now at this stage."

श्री अनूपसिंह : तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो पांच मिनट में ही खत्म कर दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : I just wanted to enlighten you.

डॉ० बहादुरसिंह : लेकिन आपको समर्थन करना चाहिए।

श्री अनूपसिंह : मैं मानता हूं कि डीसेन्ट्रेलाइजेशन होना चाहिए।

श्री पी० के० चौधरी : No Sir, we want a ruling on this. The Hon'ble Member should not be allowed to speak against the Select Committee report.

श्री अनूपसिंह श्री : मैं हर चीज को सपोर्ट करूं यह जरूरी नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : Order, order, I only wanted to enlighten you about the convention. That is all.

श्री अनूपसिंह : Right Sir, I could follow. जिला परिषद् के कान्स्टीट्यूशन के लिए अर्ज कर दूं क्योंकि बीच में ऐसे बहुत से विषय हैं जैसे रेवेन्यू है, टैक्स हैं जिनके बारे में मैं बोलना चाहता था। हालांकि लोग पहले से ही टैक्सों से दबे हुए हैं। अगर आप लैण्ड रेवेन्यू चाहते हैं तो लैण्ड रेवेन्यू दे दिया जावेगा। लेकिन आप यहां शहर में लाकर क्यों खर्च करते हैं। जोधपुर का जो कुछ भी लैण्ड रेवेन्यू आता है उसको गांव में ही खर्च कर दो। मेरे ख्याल से आपके पास

(श्री अनूपसिंह)

पैसे की कमी नहीं रहेगी। वहां की जो मनी होती है वह शहर में लाकर क्यों खर्च की जाती है? अगर विकास का कार्य गांवों में शुरू कराया जाता है तो कहा जाता है कि आधा आधा बांट दें और अगर शहर में कोई खर्च होता है तो उसकी एक पाई भी नहीं ली जाती है। जो गांवों की मनी है उसको वहां पर ही खर्च करनी चाहिए। गवर्नमेंट के हाथ में इतनी पॉवर्स हैं कि डीसेन्ट्रेलाइजेशन और सेन्ट्रेलाइजेशन का कुछ पता ही नहीं लगता है कि पॉवर्स गवर्नमेंट के हाथ में सेन्ट्रेलाइज हैं। वह चाहे जिस दिन पॉवर्स को यूज कर सकती है। इसलिए मैं अर्ज करूंगा कि वह वाकई में ऐसी गलत चीज है जो सेन्ट्रेलाइजेशन और डिसेन्ट्रेलाइजेशन के बिल में समझ में नहीं आता है। जिला परिषद् में फिर वही सवाल आता है कि एम. एल. एज. और एम. पीज. को क्यों नहीं रखा जाय। बहुत सों ने कहा कि नहीं होने चाहिए। यह मैं मानता हूं कि बिल में दिया है लेकिन पंचायत समितियों में भी होने चाहिए। एम. एल. एज. को यहां पर रखा गया है उनको हटाना जरूरी नहीं है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि एम. एल. एज. में नालायक नहीं हैं। लेकिन एक आदमी नालायक हो तो...

डॉ० बहादुरसिंह : 'नालायक' शब्द क्या पार्लियामेंट्री है?

श्री उपाध्यक्ष : I don't want to analyse the position, but it is a bad word.

श्री अनूपसिंह : माननीय सदस्य जिस मकसद से यूज कर रहे हैं उस मकसद से मैं यूज नहीं कर रहा हूं। आपने मुंह से लफ्ज कहा है उससे आपकी भावना ज्यादा काम की है। आपकी जो भावना है उसको आप यहां ला रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने एक्स्प्लेनेशन नहीं पूछा है। आरम्भ रखें।

श्री अनूपसिंह : जिला परिषद् में मैं कहूंगा कि एम. एल. एज. और एम. पीज. का रहना जरूरी है। वह लाखों आदमियों को रिप्रेजेन्ट करता है। वह डिस्ट्रिक्ट के प्रोब्लेम्स को समझकर या समझने की कोशिश करते हुए वह पार्लियामेंट में रिप्रेजेन्ट करता है और नहीं करता है तो यह उसकी गलती है। हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट का मेम्बर हमारे डिस्ट्रिक्ट का आदमी वहां रहे जो हमारी बातें कहेगा। जैसे मैं अर्ज करूं कि हमारे यहां बाड़मेर में पानी की समस्या है। उसको हल करने के लिए यहां पर और यहां से आगे पार्लियामेंट में आवाज उठाने की जरूरत है। किसी ने भी अभी तक आवाज नहीं उठाई है। यह गलत बात है। अगर उठाते हैं तो उठा सकते हैं। वहां के और पार्लियामेंट के बीच कनेक्शन कैसे होगा अगर हम पार्लियामेंट के मेम्बर को उसका मेम्बर नहीं बनाते हैं तो? पार्लियामेंट का मेम्बर ग्राम और पार्लियामेंट के बीच में एक लिंक है जिसको हमने अपना वोट देकर पार्लियामेंट में भेजा है। तो उसका भी फर्ज है कि वापिस आकर जिला परिषद् में भाग लेकर अपने एक्सपीरियेन्स का फायदा उनको दे।

उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि कई माननीय सदस्य उतावले हैं कि हमको मौका नहीं

(श्री अनूपसिंह)

मिलेगा पर मैं यह अर्ज करूंगा कि जिला परिषद् का काम ऐसा है...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य भी उतावले हैं और मैं भी उतावला हूं।

(हंसी)

श्री अनूपसिंह : अगर आप उतावले हैं तो आपका आदेश मानना मैं अपना फर्ज मानता हूं।

डॉ० बहादुरसिंह : धन्यवाद।

श्री अनूपसिंह : मैं आपके धन्यवाद से बैठने वाला नहीं हूँ।

(हँसी)

श्री उपाध्यक्ष : श्री शीशराम।

श्री शीशराम ओला (खेतड़ी) : उपाध्यक्ष महोदय, जो बिल आज सदन में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है उस पर बहुत से माननीय सदस्य बोले हैं। उन्होंने अपने विचार व्यक्त किये हैं। इसको पढ़ने से और सदस्यों की बातें सुनने से मैं इसमें कुछ कमियां पाता हूं।

सबसे पहली कमी मैं यह पाता हूँ कि यह बिल जो है, इसका जो हिन्दी अनुवाद है इसमें उन चार सज्जनों के नोट ऑफ डिसेन्टस हैं उनका हिन्दी अनुवाद नहीं है। उन नोट ऑफ डिसेन्ट्स से हम कुछ ले सकते थे। उनसे बोलने के लिए हमें मसाला मिल सकता था। वह इसमें नहीं है। इसलिए इसमें मैं इसको बहुत बड़ी कमी समझता हूँ। आइन्दा इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : What was your suggestion, आपका सजेशन क्या था?

श्री शीशराम ओला : आइन्दा नहीं होना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : क्या चीज ?

श्री शीशराम ओला : हिन्दी अनुवाद में जो नोट ऑफ डिसेन्ट चार सज्जनों का है इंगलिश में वह नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आप अंग्रेजी अच्छी तरह से जानते हैं यह मुझे मालूम है।

श्री शीशराम ओला : हिन्दी में उनका अनुवाद नहीं है, इसलिए यह अनुवाद पूरा नहीं हुआ है। अधूरा रहा है। वह जरूरी था। वह होना चाहिए था।

श्री उपाध्यक्ष : आपके पास दोनों कापियां हैं।

श्री शीशराम ओला : वह ठीक है, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनके लिए है।

श्री उपाध्यक्ष : दूसरे माननीय सदस्यों की दिक्कतें आप बता रहे हैं।

(हंसी)

श्री भैरोंसिंह : (श्री माधोपुर) यदि यह दिक्कत खुद के लिए हो तो।

(हंसी)

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : इसको मैं ठीक नहीं समझता हूं कि इस तरह की बातों को हाउस लाइटली ले रहा है। जैसा माननीय उपाध्यक्ष ने निर्णय दिया था कि रिपोर्ट

(श्री श्रीभानसिंह)

कन्सीडर हम हाउस में कर रहे हैं इस स्टेज पर तो उस रिपोर्ट में आपका नोट ऑफ डिसेन्ट भी है। उसकी हिन्दी कॉपीज भेजते हैं तो उसमें नोट ऑफ डिसेन्ट भी इनकॉर्पोरेट होना चाहिए नहीं तो जो बिल सरक्यूलेट हुआ है वह इन्कम्प्लीट है। इस तरह की जो कॉपी पहुँची है माननीय सदस्यों के पास तो उसमें एक नोट ऑफ डिसेन्ट हिन्दी में है जो उसमें...

श्री उपाध्यक्ष : दोनों कॉपीज सरक्यूलेट हुई हैं।

श्री श्रीभानसिंह : लेकिन माननीय उपाध्यक्ष, if both the Bills are circulated, both must incorporate the dissenting notes.

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : It seems that this Bill has got very ominous beginnings Sir.

श्री उपाध्यक्ष : We shall end well.

श्री शीशराम ओला : दूसरा यह जो जमीन के बारे में रखा गया है। यह जमीन पंचायत समितियों के पूर्णत: अधिकार में देनी चाहिए। लैण्ड मेनेजमेंट सारा ऐसा है कि यह सारा पंचायतों के जरिये होना चाहिए। जब तक पंचायतों के जरिये नहीं होगा तब तक समितियां सक्सेसफुल नहीं हो सकेंगी, क्योंकि पटवारी इसमें अलग अपना फंक्शन करेंगे और पंचायत समितियां अलग करेंगी। जैसे कि तकावी बाँटना है वहां एक पटवारी की रिपोर्ट लेना जरूरी होती है। ऐसी स्थिति में पटवारी जो कि उनके नीचे नहीं होता है वह इस पर कोई ध्यान नहीं देगा और बहुत सारे कार्य ऐसे हैं कि जब तक पटवारी की रिपोर्ट नहीं आती है उनकी सहूलियत के अनुसार तब तक वह उनका कार्य पूरा नहीं हो पाता है। इसलिए मेरी यह अर्ज है कि टैक्स लगाने की और पटवारी द्वारा लैण्ड मेनेजमेंट की अलग व्यवस्था रखते हैं तो ये पंचायत समितियों के अन्दर दी जायं।

इसके अलावा इसमें जो रखा है कि एक टैक्स कि ६ नये पैसे काश्तकार पर लगायेंगे। तो यह ६ नये पैसे काश्तकार पर नहीं लगने चाहिए, क्योंकि गांव में और भी दूसरे बहुत सारे सज्जन हैं या बहुत सारे आदमी हैं जो काफी आबादी में बसते हैं और आपकी, हमारी और सब की मन्शा है कि इन पंचायत समितियों में और जिला परिषदों में हरेक का सहयोग मिले, सारी जनता का सहयोग मिले, जनता के सहयोग से विकास के कार्यों में हम आगे बढ़ें। इससे यह प्रतीत होता है कि हम केवल किसान से ही सहयोग चाहते हैं। दूसरों से इस बारे में सहयोग नहीं चाहते हैं। किसान पर ही सारा टैक्स थोप देना चाहते हैं। उससे दूसरे आदमी हिस्सा नही देते हैं तो वह उपयोगी नहीं होता है। इसी दृष्टिकोण से किसान पर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के जमाने से २ पैसों का टैक्स लगता था अब यह डबल कर दिया है, यह अनुचित है। यह लागू नहीं होना चाहिए और इससे किसान को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। यह टैक्स दूसरी बहुत सारी इन्डस्ट्रीज और गृहउद्योग हैं, दूसरे कार्य करते हैं, उनके ऊपर भी किसी रूप में लगना चाहिए। अकेले किसान या काश्तकार पर टैक्स नहीं लगना चाहिए।

(श्री शीशराम ओला)

तीसरा, आज तक जब से कि राजस्थान बना है राजस्थान बनने के बाद जागीरदारी प्रथा जब तक कायम रही है तो जागीरदार से जो राजस्थान सरकार को लगान का हिस्सा मिलता था उतना ही लगान का हिस्सा सरकार को लेना चाहिए और हिस्सा जागीरदार को मिलता था उतना ही लगान का हिस्सा लैण्ड रेवेन्यु टैक्स का वह पंचायत समितियों को, जिला परिषदों को और ग्राम पंचायतों को मिलना चाहिए जिससे कि वे अच्छी तरह से कार्य कर सकें और उनके सामने आर्थिक कठिनाई नहीं आ सके।

इसमें हमने जो २५ नये पैसे पर-हैड रखे हैं इससे सारा काम उनका चलता नहीं है। वह ना के बराबर है। एक नोमिनल है। उससे कोई व्यवस्था कर सकें हो या विकास कार्य में सहयोग मिल सकेगा, यह एक तरह से ना ही है।

चौथा, आपने रखा है कि सरपंच का स्थान रिक्त हो गया है, उसका कोई वजह से खाली हो गया है तो उपसरपंच कार्य करेगा। यदि उप सरपंच भी इस तरह हो गया है तो बाकी के पंच अपने पंचों में से एक पंच को चुन लेंगे और जब तक उस स्थान की पूर्ति नहीं हो जाती है दुबारा इलेक्शन होकर तब तक उनसे चुना हुआ पंच कार्य करता रहेगा। लेकिन यहां क्या है कि बहुत सारे ऐसे केसेज़ भी हो जाते हैं जिनमें या तो कोई किसी का कत्ल करता है, या कोई डाका डालता है या किसी सन्देह में उसके खिलाफ कोई केस लग जाते है तो वह पुलिस कस्टडी में होता है तो इन सरपंचों की जगह कौन वोट देगा, उसकी व्यवस्था इसमें नहीं रखी है और इसमें न तो यह डिक्लेयर किया है कि वह सरपंच नहीं रहेगा और वह कस्टडी में है तो क्या होगा, इस बारे में प्रोविजन होना चाहिये। देखने में तो यह मजाक जैसी बात दिखती है लेकिन कई ऐसे केसेज़ सरपंचों के खिलाफ चल रहे हैं। २ अक्टूबर को वोट होनेवाले हैं तो उनके बजाय कौन वोट देगा इसलिए ऐसा प्रोविजन होना चाहिये।

पांचवा, यह है कि जगह जगह से सुनने को मिलता है कि हम विकेन्द्रीकरण करने जा रहे हैं, डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रेलाईजेशन हो रहा है। अब यह देखना है कि सब आदमी किसी न किसी रूप में पोलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, कोई अलग नहीं है। कोई किसी रूप में अन्दर है तो कोई किसी रूप में। सारी लड़ाई इसलिये होगी कि हमारा प्रतिनिधि जिला परिषद् का अध्यक्ष या चेयरमैन हो। लेकिन जब ये सारी बातें हमें दूर करनी हैं और विकेन्द्रीकरण करना है तो ऐसी सूरत में हमें चाहिये कि जो अध्यक्ष या प्रेसिडेन्ट की व्यवस्था रखी है तो जब मीटिंग हो उस समय ही उस मीटिंग के लिये अध्यक्ष चुन लिया जाय और जब दुबारा मीटिंग बुलाई जाय उस समय दुबारा अध्यक्ष चुन लिया जाय तो यह एक बहुत सुन्दर चीज होगी और विकेन्द्रीकरण वास्तव में सही माने में विकेन्द्रीकरण होगा क्योंकि पद का विकेन्द्रीकरण होगा। यह सुन्दर व्यवस्था मेरी निगाह में आई है इसलिए निवेदन कर रहा हूँ। इससे सबको काम करने का मौका मिलेगा। मन में एक तरह की लालसा है कि वह वहां पर रहे तो वह पूरी हो सकेगी और काम अच्छी तरह से चलेगा। जो गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स

(श्री शीशराम ओला)

वहां रखे गये हैं वे सारे फंक्शन्स करेंगे। हिसाब वे रखेंगे, केश का लेन–देन भी वे करेंगे। अध्यक्ष का तो नोमिनल काम रखा है। इसलिये जब दो महीनों बाद मीटिंग बुलावें तब उस मीटिंग के लिये अध्यक्ष चुन लिया जाय और यदि हर मीटिंग में ऐसा किया जाय तो यह एक सुन्दर व्यवस्था होगी। इतना ही मैं कहना चाहता हूं।

(कई माननीय सदस्यों के बोलने हेतु खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामचन्द्र।

श्री रामचन्द्र (डग–सु.) : उपाध्यक्ष महोदय, आज से दो रोज पहले से पंचायत समिति तथा जिला परिषद् बिल जिस पर जो सलेक्ट कमेटी द्वारा रिपोर्ट तैयार होकर आई है उस पर विचार करने के लिए सदन के सामने है। उस पर वाद विवाद का आज तीसरा दिन है। मैं इस रिपोर्ट के विषय में अपने विचार प्रकट करने से पहले, अभी कुछ समय पहले एक माननीय मित्र ने एक जबर्दस्त दलील दी थी और वह यह थी कि पंचायत समिति में नोमिनेशन या रिज़र्वेशन जो रखा गया है उसमें सरकार ने भेदभाव किया है। आपकी दलील यह है कि शिड्यूल कास्ट को तो लिये बगैर पोपुलेशन का खयाल रखे रिजर्वेशन दिया है जब कि शिड्यूल ट्राइब के लिए यह पाबन्दी लगाई है कि यदि उनकी आबादी का ५ पर्सेन्ट भाग होगी तो उनको रिज़र्वेशन मिलेगा। उपाध्यक्ष महोदय, इस भ्रम को दूर करने के लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में जो पिछड़ी हुई जातियां हैं उनको प्रायः तीन क्लासेज़ में विभक्त किया है ; शिड्यूल कास्ट, शिड्यूल ट्राइब्स और अदर बैकवार्ड क्लासेज। यदि उनकी दशा पर हम विवेचन करें तो मालूम होगा कि शिड्यूल कास्ट के लोग दो तरह से सताये जा रहे हैं जब कि शिड्यूल ट्राइब और अदर बैकवार्ड क्लासेज़ में केवल एक ही कमी है और वह यह है कि शिड्यूल कास्ट के लोग आर्थिक तथा सामाजिक दोनों प्रकार से गिरे हुए हैं जब कि शिड्यूल ट्राइब और अदर बैकवार्ड क्लासेज़ के लोगों के साथ कमी केवल आर्थिक है। इसलिये ऐसी दशा में शिड्यूल कास्ट के लिए बगैर पोपुलेशन का ख्याल रखे हुए ही रिजर्वेशन यदि दे दिया गया है। तो मैं यही समझता हूं कि सरकार ने इस विषय में न्याय किया है। इसलिए आपकी यह दलील कि शिड्यूल कास्ट और शिड्यूल ट्राइब की हालत बराबर होते हुए उनके साथ न्याय नहीं किया गया है यह दलील बिल्कुल असंगत है।

उपाध्यक्ष महोदय, जब यह रिपोर्ट मेरे सामने आई और मैंने इसे पढ़ा तो मुझे मालूम हुआ कि सरकार ने जिस आशय को लेकर यह विधेयक रखा है और प्रवर समिति ने भी इस विधेयक की जांच-पड़ताल करके अपनी राय दी है (कृपा करके बातें न करें) तो मैं निवेदन कर रहा था कि जो कुछ प्रावधान इस बिल में रखा गया है उसमें मुख्य उद्देश्य सरकार का यह है कि राजस्थान में फैली हुई गरीबी, आर्थिक कमजोरी तथा सामाजिक कमजोरी को दूर किया जाय। ये ही इस राज्य के लिये मुख्य समस्याएं हैं। मैंने विधेयक को शुरू से आखिर तक पढ़ा। आर्थिक दृष्टि से विकास करने का प्रोविजन तो इस बिल

(श्री रामचन्द्र)

में सब प्रकार रखा है लेकिन सामाजिक दृष्टि से इसमें कोई विशेष प्रोविजन नहीं रखा है। इस बात की सत्यता का पता इस बिल के अन्त में जो शिड्यूल दिया है उसी से लगा लीजिये कि इसमें सामाजिक उन्नति के लिए सरकार ने कौन कौन से साधन रखे हैं। आर्थिक उन्नति से ही सामाजिक उन्नति नहीं होती है। उसको दूर करने लिये विशेष प्रयत्न करना पड़ेगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस कमी को गम्भीर कमी महसूस करता हूं क्योंकि पिछले १० साल के तजुर्बे से जो हालात हमें मालूम हुये हैं उसके आधार पर मैं कहूंगा कि दलित वर्ग जिन को शिड्यूल कास्ट या हरिजन कहते हैं। उनको जिन जिन मुसीबतों का सामना करना पड़ा है उनको ध्यान में रखते हुये सरकार ने इस बिल में कोई प्रोविजन या सेफगार्ड नहीं रखा है जिसके द्वारा अच्छी तरह से पिछड़ी हुई समाज की देखरेख भली प्रकार की जा सके। जिला स्तर पर शिड्यूल कास्ट, वैलफेअर बोर्ड की स्थापना की जानी चाहिए और हरिजनों की समस्या पर विचार करने के लिए समय समय पर उसकी मीटिंग्ज बुलाई जानी चाहिए, विचार किया जाना चाहिए। मैं देखता हूं कि इस बिल में पंचायत समिति में इस प्रकार की कोई स्टेन्डिंग कमेटी का निर्माण नहीं किया गया है जो गांवों में रहनेवाले या ब्लॉक में रहनेवाले हरिजन क्लास की समस्याओं को समझने के लिए और उनकी हालत ठीक करने के लिए सब प्रकार से सहयोग देवें। इस प्रकार की कमेटी का निर्माण इस बिल द्वारा नहीं किया गया है। क्योंकि सरकार इस बात को खूब जानती है कि उनकी दशा और उनकी समस्याएं अन्य लोगों के समान नहीं हैं और इस बात का ध्यान रखते हुए सरकार ने इस बिल में उनका एक मेम्बर इलेक्शन से न लेकर केवल रिज़र्वेशन या नोमिनेशन से लेने का प्रोविजन किया है क्योंकि सरकार समझती है कि उनके ऊपर यदि यह पाबन्दी लगा दी जाये कि इलेक्शन से उनका प्रतिनिधि आवे तो ये लोग कभी किसी तरह से पंचायत समिति के मेम्बर नहीं हो सकेंगे तो यह कमजोरी सरकार को इस दलित वर्ग की पहले से ही मालूम है। ऐसी दशा में जब सरकार इनके प्रति सब तरह से जागरूक है तो उनकी दशा सुधारने के लिए और उनके इन्ट्रेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए आपके द्वारा जो स्टेन्डिंग कमेटियां बनाई जानेवाली हैं उनमें से एक स्टेन्डिंग कमेटी कम से कम इस प्रकार की होनी चाहिए जो पंचायत समिति के लेवल पर उनके इन्ट्रेस्ट को सेफगार्ड करें। और उनकी जितनी ही आर्थिक तथा सामाजिक समस्याएं हैं उनकी अच्छी तरह से देखरेख करे और उनको सुलझाने का प्रयत्न करे। मैं इस बिल में इस बात की कमी देखता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, कल ही इस सदन के भीतर खड़े होकर एक माननीय सदस्य ने, बल्कि कइयों ने इस बात की बहस की कि आजकल टैक्स एक तरह साधारण आवाज हो गए हैं। जब कोई बिल आता है तो उस में टैक्स का जिक्र जरूर होता है। वे नहीं समझते कि इस बिल में जिस टैक्स का जिक्र आया है वह टैक्स उस टाइप का टैक्स नहीं है जैसे कि अब तक यह सदन टैक्स के बिल पास करता आया है; यह टैक्स नहीं है यह तो कम्पलसरी सब्सक्रिप्शन है। जो टैक्स वसूल किया जाता है, उसमें

(श्री रामचन्द्र)

यह ख्याल नहीं रखा जाता कि जिस क्षेत्र से वह टैक्स वसूल किया गया है, वह धन उसी क्षेत्र में खर्च किया जायगा अथवा किसी दूसरे क्षेत्र में। यह जो पंचायत लेबिल पर जो टैक्स वसूल किया जायगा, प्रायः वह सारी रकम उसी क्षेत्र के डवेलपमेन्ट में खर्च की जायगी। तो फिर यह टैक्स नहीं है बल्कि मैं कहूंगा कि यह तो एक तरह का चन्दा है। वैसे चन्दा वसूल करने में किसी नियम का पालन नहीं किया जाता है इस चन्दे को टैक्स का रूप देकर वसूल करने का प्रावधान रखा गया है, तो इसमें आपत्ति की कोई ऐसी बात नहीं है।

तीसरी बात जो इस बिल में मैं देखता हूं वह यह है कि प्रायः गांवों में अराजकता, झगड़े, लूट खसोट इत्यादि बहुत सी बातें होती रहती हैं और अब तक गांव के आदमी यही समझते आये है कि गांव में शांति रखने का काम केवल गवर्नमेन्ट का ही है लेकिन उनकी केवल एक भावना है। उन्हें समझना चाहिए कि गवर्नमेन्ट एक एक गांव और एक एक घर की कहां तक हिफाजत कर सकती है। इसलिए अपनी सेफ्टी के वास्ते गांव वालों की ही अपनी जिम्मेदारी है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जिस प्रकार आप ने इसमें डवेलपमेन्ट के लिए अथवा विकास के लिए आपने कई प्रावधान रखे है, अगर इसमें कुछ प्रावधान इस सम्बन्ध में रख दिया जाता कि गांव में सेल्फ डिफेन्स के वास्ते वालन्टियर सर्विस कायम की जाय ताकि वे समय समय पर दुश्मन व बदमाशों से बचने के वास्ते और गांव की रक्षा करने के वास्ते तैयार रहें। इस प्रकार का प्रावधान रख दिया जाता तो बेहतर होता।

चौथी कमी जो महसूस करता हूं वह यह है कि जनता के स्वार्थों की रक्षा करना आज उतना ही आवश्यक है जितनी आवश्यकता और कामों की है। इसके लिए गांव के लोगों के लिए स्वास्थ्य से सम्बन्ध रखने वाले सब ही प्रकार के मनोरंजन के साधन जुटाये जाने चाहिए। जैसे कुश्ती, खेल वगैरह वगैरह। इस तरह के स्वास्थ्य सम्बन्धी इन्स्टिट्यूशन्स स्थापित करने के वास्ते इस बिल में प्रोविजन करना चाहिए। मैं तो यह भी कहूंगा कि एक कमेटी इस प्रकार की कायम की जानी चाहिए कि जो इनके स्वास्थ्य विकास तथा उनके सोशल वैलफेयर के लिए वे जिम्मेदार हों। इससे मैं यह समझूंगा कि इस बिल में जो कुछ भी कमी रह गई है, वह दूर हो जावेगी और बिल में विशेषता आ जावेगी।

अंत में उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि यह बिल जो आज सदन के सामने आया है, बहुत ही सामयिक है और अत्यन्त आवश्यक है और जल्दी से जल्दी इसको पास कर देना चाहिए क्योंकि जिस व्यवस्था के वास्ते यह बिल लाया गया है, वह अनकरीबन शुरू होने वाली है। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण खत्म करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : रावल श्री नरेन्द्रसिंह।

श्री मोतीलाल (डीडवाना) : Is there any list from which you are selecting persons ?

श्री उपाध्यक्ष : Yes, there is a list from Ram Rajya Parishad.

श्री मोतीलाल : Not from us ?

Page No.101

श्री उपाध्यक्ष : Not from you.

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत कम समय है...

श्री उपाध्यक्ष : मैं आशा करता हूं कि आप पांच बजे से पूर्व समाप्त करेंगे ।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : पांच सात मिनट में समाप्त कर दूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष : अच्छा ।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : मेरा निवेदन यह है कि इस समय जो यह बिल उपस्थित है, इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स के अन्दर मुझे जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसके ऊपर काफी स्पीचेज हो चुकी हैं और इसके वास्ते न समय है और न मौका है । मैं यह निवेदन करूंगा कि एक तरह से देखा जाय तो यह पंचायत का जो हिसाब है, वह भारतवर्ष में इतना पुराना है कि जितना मनुष्य का अस्तित्व है । यह भी मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे मौकों पर जो स्पीचेज होती हैं, वे किसी पार्टी की तरफ, उसकी तरफ या खिलाफत में न होकर मेरिट्स के ऊपर करने की जरूरत है । मेरा निवेदन है कि प्रारम्भ से लेकर आज तक, मनु से लेकर, विष्णुगुप्त चाणक्य से लेकर और बाद में बुद्ध से लेकर, वज्जी गणराज्य था, उस मौके से लेकर, मुसलमानों से लेकर, मराहठा राज्य से लेकर अब तक पंचायत का सवाल रहा है । मैं निवेदन करूंगा इसमें बहुत कुछ बू आती कि थोड़ा बहुत पाश्चात्य प्रणाली के ऊपर इसका आयोजन किया जा रहा है यदि इसमें थोड़ा बहुत समावेश पुराने तरीके का भी रहता हो तो यह कुछ ज्यादा ठोस और सुभीते का होता । राजाओं के राज्य में भी, उसके पीछे और पहले भी पंचायतें रहती थीं और पंचायतों के ऊपर पूरा विश्वास किया जाता था और अब इससे भी ज्यादा विश्वास किया जाने का सवाल है । मेरा निवेदन यह है कि जब एक सवाल आया था, बहुत से इधर और उधर के माननीय सदस्यों ने प्रश्न उठाया था कि एग्रीकल्चर के हैन्ड वहां नहीं रहने चाहिए । मेरा ख्याल है कि वह जरूर रहना चाहिए क्योंकि इसकी आवश्यकता बहुत पड़ती है और एग्रीकल्चर इस समय समाज और देश, दोनों की, बैक बोन है । इसके अतिरिक्त दूसरे छोटे मोटे मामले हैं, जिनके ऊपर काफी प्रकाश डाल दिया गया हैं । तो मैं निवेदन करूंगा कि इसमें जहां तक हो सके छोटी मोटी बातों का ख्याल रखना चाहिए ।

दूसरी बात जो सबसे ज्यादा महत्व की है, वह यह है कि बाहर की जनता काफी गरीब है और उस पर काफी टैक्सेज लदे हुए हैं । तो ऐसी परिस्थिति के अन्दर बाज़ वक्त में सवाल आता हैं कि आधा पैसा उनसे लिया जाय और आधा गवर्नमेंट दे दे । यह थोड़ा सा विचारणीय विषय जरूर है क्योंकि मैं अक्सर देखता हूँ कि शेखावाटी के अन्दर और बीकानेर के अन्दर जनता काफी धनवान है, जिसे कि ग्रेनरी ऑफ राजस्थान समझा जाता है । पर मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएन्सी के वास्ते कहूँगा, कि दूदू और फागी के इलाके के अन्दर बहुत कसर है, वहां हाईस्कूल ५० मील के फासले पर नहीं है और वहां की रियाया खर्चा एफोर्ड नहीं कर सकती । इसके लिए एक प्रावधान रख देना

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

अनुचित होगा कि आधा वहां की जनता दे और आधा सरकार दे। अभी एक प्रश्न आया था बीच में किसी माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया था, मैं इसको बराबर उचित समझता हूं। आज वक्त में देखा जाता है कि १० पर्सेन्ट, १५ पर्सेन्ट तो अरबन पोपुलेशन आती है और ७५ पर्सेन्ट, ८० पर्सेन्ट के करीब रूरल पोपुलेशन आती है। यह देखा जाता है कि रूरल पोपुलेशन के वास्ते २५ पर्सेन्ट खर्चा नहीं होता है और उसके मुकाबले में ७५ पर्सेन्ट अरबन पोपुलेशन के लिए खर्चा होता है। यह हार्ट बर्निंग का सवाल जरूर है। यहां के लोग हैं वे बहुत गरीब हैं और अपना सवाल यहां तक पहुंचा नहीं सकते। इसलिए यह चीज जो है, इसका थोड़ा रिलेक्स करने की अत्यन्त आवश्यकता है।

इसके अतिरिक्त मैं यह निवेदन करूंगा कि ऐसे मामलों में, जिस समय आज के समय में चारों तरफ से दिक्कत गवर्नमेंट के रास्ते में पड़ रही है, इसलिए ऐसे महत्वपूर्ण और अहम मामले पर थोड़ा सोच-विचार कर, जो चीजें हैं, उनका समावेश करना चाहिए।

(अनेक माननीय सदस्यों के बोलने हेतु खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोतीलाल।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : सरकार की तरफ से यह जो बिल पेश है उसका मैं स्वागत करता हूं। वास्तव में यह राजस्थान के लिए शोभा की बात है कि सारे भारत में यह पहला हो मौका है कि हम सत्ता का विकेन्द्रीकरण करके सत्ता जनता के हाथ में सौंप रहे हैं। कई माननीय सदस्यों ने कहा कि कोई सत्ता का विकेन्द्रीकरण नहीं कर रहे हैं तो मैं यह निवेदन करूंगा कि यह पहला ही मौका है कि जनता की चुनी हुई समिति को कुछ काम सौंप रहे हैं, हो सकता है कि जो जो दे रहे हैं उसमें कमियां रह सकती हैं पर जहां तक नीति का सवाल है स्पष्ट है कि हम जनता के हाथ में सत्ता दे रहे हैं, आज तक किसी भी प्रान्त में ऐसा नहीं हुआ, इसलिये यह सरकार का कदम बहुत सराहनीय है, मैं इस कदम का स्वागत करता हूँ और आशा करता हूं कि ग्रामों की जनता इसका स्वागत करेगी।

मैं इसके फॉर्मेशन के बारे में निवेदन करना चाहूँगा। पंचायत समिति के फॉर्मेशन के बारे में मेरी राय है वह पेश करूंगा। अभी बिल में रखा है कि पंचायतों के सरपंच और तहसील पंचायतों के सरपंच पंचायत समितियां का फॉर्मेशन करेंगे। लेकिन अगर हो सके तो डायरेक्ट इलेक्शन हो, वहां कम से कम अध्यक्ष का चुनाव करें तो डायरेक्ट इलेक्शन से किया जाना चाहिये क्योंकि पंचायतों के सरपंच उनकी पंचायत में आने वाले सभी गावों का प्रतिनिधित्व नहीं करते, मिसाल के तौर पर एक पंचायत में ५ गांव हैं उनमें से एक गांव पांच हजार की आबादी का है और बाकी गांवों की सब कुल आबादी मिला कर १००० है और वे छोटे गांवों वाले उस सरपंच को वोट नहीं देते हैं तो भी ५ हजार की आबादी वाले गांव के लोग अपने यहां के व्यक्ति को वोट देकर चुन लेते हैं और इस तरह वह सरपंच

(श्री मोतीलाल)

चुन लिया जाता है तो वह दूसरे गांवों को जिन्होंने कि उसे वोट नहीं दिया, रिप्रेजेंट नहीं करता। हमारे पंचायत एक्ट का कानून है कि जनता द्वारा डायरेक्ट इलेक्शन सरपंच का होता है, हमारी सरकार ने इस तरह रखा है। कई पंचायतों के सरपंच ऐसे मिलेंगे कि उस पंचायत में आने वाले गांवों में से ज्यादा बड़ी आबादी वाले गांव के लोगों ने ही उसे वोट देकर चुन लिया है दूसरे गांव वालों ने उसे वोट नहीं दिये हैं पर अपने गांव वालों की संख्या ज्यादा होने के कारण वह सरपंच चुन लिया गया हैं तो वह सरपंच दूसरे गांवों को जिन्होंने कि उसे वोट नहीं दिया उनका प्रतिनिधित्व नहीं कर पायेगा। इसलिए मेरा सुझाव है कि ग्राम पंचायतों के सरपंच, तहसील पंचायतों के सरपंच और पंच सब मिलकर पंचायत समिति का गठन करें। सरपंच डायरेक्ट इलेक्शन में आ गया है और जिस गांव का सरपंच प्रतिनिधित्व नहीं करता उस गांव का प्रतिनिधित्व तहसील पंचायत का पंच करता है। इस दृष्टिकोण से यह किया जाय तो अच्छा होगा। हो सकता है कि ६१ तक सरकार नहीं कर सकती हो तो बाद में यह रखे कि प्रधान का इलेक्शन कम्प्लीटली डायरेक्ट इलेक्शन से होना चाहिये। दुनियां के और देशों में जहां जहां डीसेन्ट्रलाइजेशन हुआ है वहां डायरेक्ट इलेक्शन से प्रधान का चुनाव होता है।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): अपने देश के प्रधान का क्या हाल है?

श्री श्रीभानसिंह (बयाना): अमेरिका की बातें कर लें फिर बतायेंगे।

(हंसी)

श्री मोतीलाल: इस पर मैं आहिस्ता आहिस्ता आऊंगा। जहां तक सभी सरपंचों से फॉर्मेशन का प्रश्न है इसमें सरपंच सम्पूर्ण रीति से सम्पूर्ण गांवों का प्रतिनिधित्व नहीं करता। एक सरपंच सम्पूर्ण गांवों का प्रतिनिधित्व नहीं करता। एक पंचायत में ५ गांव हैं एक गांव ५,००० की आबादी का है और बाकी के ४ गांव एक सौ, दो सौ, तीन सौ और चार सौ की आबादी के हैं और इस तरह चारों गांवों की कुल मिला कर आबादी १००० हुई, उस पंचायत के सरपंच के चुनाव में ५ हजार की आबादी वाले गांव के वोटों से सरपंच चुना गया बाकी दूसरे चारों गांवों ने उसको वोट नहीं दिये, एक ही गांव के वोट सरपंच को मिले तो उस सरपंच को बाकी के चार गांवों का प्रतिनिधित्व करने का कोई हक नहीं है, उन गांवों से पंच जरूर चुने गये हैं इसलिये सरपंच और पंच सब मिल कर इलेक्शन करें तो सम्पूर्ण प्रतिनिधित्व मिलेगा। इसको अगर सरकार करने को तैयार नहीं है तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि सरपंच तहसील के सरपंच और तहसील पंचायत के पंच मिल कर चुनाव करें तो सबका प्रतिनिधित्व हो सकता है....

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा: अभी क्या है, अभी भी यही है।

श्री श्रीभानसिंह: यह नोबल फॉर्मूला समझ में नहीं आया।

श्री मोतीलाल: समय थोड़ा है डिस्टर्ब न किया जाय।

Page No.104

श्री श्रीभानसिंह : एडजोर्न तो ५ बजे ही होगा।

श्री मोतीलाल : अभी है केवल सरपंच, पंचायतों और तहसील पंचायतों के सरपंच Only Sarpanch and Tehsil panchayat Sarpanch इन्डायरेक्ट इलेक्शन होते हुए भी सभी पंचों का रिप्रेजेन्टेटिव होता है तहसील पंचायत का सरपंच ही नहीं आठों पंच जाते हैं तो हर गांव को प्रतिनिधित्व मिल जाता है....

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) :क्या आपका मतलब यह है कि ग्राम पंचायतों के सरपंच, तहसील पंचायतों के सरपंच और पंच मिलकर चुनाव करें ?

श्री मोतीलाल : जी हां, ये सब मिल कर चुनाव करें, इसका मतलब यह है कि Panch, Sarpanch and Panchayats इन तीनों को लेते हैं तो सबका प्रतिनिधित्व हो जाता है।

दूसरा मेरा सुझाव यह है कि यदि सरकार के सामने यह स्थिति नहीं हो तो ६१ के बाद जो इलेक्शन्स हों उनमें प्रधान का इलेक्शन डायरेक्ट वोट से हो और यदि डायरेक्ट भी उस समय तक नहीं करना चाहें तो ग्राम पंचायतों के सरपंच, तहसील पंचायतों के सरपंच और पंच सब मिल कर इलेक्शन करें।

श्री अनोपसिंह : (बालोतरा) यह स्टाइल है क्या ?

(हंसी)

श्री मोतीलाल : It is my own. मौलिक है कोपीड नहीं है।

(हंसी)

कोऑप्शन का जहां सवाल है वहां हमने एक शिड्यूल्ड कास्ट्स का प्रतिनिधि लेने का प्रोविजन किया है और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए किया है कि इतनी जनसंख्या होगी उनका प्रतिनिधि लिया जायगा, इनका प्रतिनिधि इसलिए लेते हैं कि ये जातियां पिछड़ी हुई हैं, उनका प्रतिनिधि नहीं लेते हैं तो इनका प्रतिनिधित्व इन समितियों में नहीं रहता। मिसाल के तौर पर यदि किसी तहसील में इनकी जनसंख्या १००० है तो इनका प्रतिनिधि लिया जा सकता है, एक प्रतिनिधि को कोऑप्ट किया जा सकता है। तो इनके लिए जनसंख्या की इस तरह की शर्त नहीं रखना चाहिये। जिस प्रकार महिलाओं के लिए कहीं इस प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं रखा है कि कहीं उनकी जनसंख्या कम है तो उनके प्रतिनिधि को नहीं लिया जायगा.... ..

(हंसी)

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : आपकी कॉन्स्टिट्यूएन्सी में महिलाओं की जनसंख्या कम है क्या ?

(अनवरत हंसी)

श्री मोतीलाल : जी हां, आप भिजवा दीजिये।

एक माननीय सदस्य : औरतों की जनसंख्या भी कहीं कम होती है।

Page No.105

श्री मोतीलाल : तो शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए जनसंख्या का सवाल नहीं रखेंगे तो ठीक होगा।

एम. पीज. और एम. एल. एज. का रखा है इसके लिए मेरा सुझाव है कि एम. पी. का चुनाव ऑल इन्डिया बेसिस पर कानून बनाने के लिए, राय देने के लिए होता है और एम. एल. एज. का चुनाव स्टेट बेसिस पर काम करने के लिए होता है, तो इनको इनमें लेनेकी आवश्यकता नहीं है। इसलिये इसमें तहसील पंचायत के सरपंच होते है वे आवें। गांव के लोग होते हैं वे असली रूप में वहां के जानकार होते है। ऐसी हालत में एम. एल. ए. और एम. पी. को जिला परिषद् में नहीं लेंगे तो अच्छा काम चल सकता है। इसलिये मेरा दूसरा यह सुझाव है कि एम. एल. ए. और एम. पी. को डिस्ट्रिक्ट लेवल में नहीं घसीटें तो अच्छा रहेगा।

इसके अलवा कलेक्टर को जो पॉवर्स दिये गये है उनके मैं पक्ष में नहीं हूं। अभी कलेक्टर को आपने इतने पॉवर्स दे रखें हैं कि जिला परिषद् जो करेगी उसको कलेक्टर चाहे तो बिना गवर्नमेंट की परमिशन के काट सकता है। मैं यह कहूंगा कि कलेक्टर कौन होता है ऐसा करने वाला। मैं आपको उदाहरण दूं कि आज की स्थिति में डिस्ट्रिक्ट लेवल में तीन काम होते हैं। Emergency state के अन्दर he can recommend to the Government. मैं आपको दूसरी मिसाल दूं कि डिस्ट्रिक्ट में सेन्ट्रल बैंक होते हैं। जिस समय वहां के डाइरेक्टरों के और कलेक्टर के आपस में नहीं बनती है तो कलेक्टर उनकी शिकायत करता है। यदि कलेक्टर कहता है कि अमुक व्यक्ति को रुपया मिलना चाहिये और डाइरेक्टर कहता है कि नहीं मिल सकता तो ऐसी हालत में कलेक्टर हर वक्त उनके खिलाफ शिकायत करता है और उस बोर्ड को तोड़ने की कोशिश करता है। इस प्रकार पांच बैंक हैं मैं आपको बता सकता हूं जहां पर इस प्रकार किया गया है।

एक माननीय सदस्य : यह करप्शन होगा।

श्री मोतीलाल : इसमें कोई करप्शन का प्रश्न नहीं है। कलेक्टर की राय से डाइरेक्टरों की राय का इत्तफाक नहीं होता है तो कलेक्टर उनके खिलाफ लिख देता है। कलेक्टर उनको यह कहते हैं कि अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं आपके खिलाफ कार्यवाही करूंगा।

मैं आपको और मिसाल दूं कि कुछ डिस्ट्रिक्टों में फूड सप्लाई का काम हो रहा है। सेन्ट्रल बैंक ने यह आदेश दिये हैं कि एग्रीकल्चरल के सिवाय किसी को लोन नहीं दिया जावे। यह नियम है। मगर मैं यह कहूंगा कि कलेक्टर के इशारे पर कन्ज्यूमर्स कमेटी बन गई और कलेक्टर ने उसको लोन देने के लिए कहा।

श्री भानसिंह : यहां पर कन्ज्यूमर्स कमेटी की बात नहीं है आप अपने विषय पर आ जावें तो उचित होगा।

श्री मोतीलाल : मैं कलेक्टर की बात बता रहा हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : I am not much worried because I see that there are only five minutes more.

Page No.106

श्री मोतीलाल : Please ex- cuse me Sir. उस कन्ज्यूमर्स कमेटी को लोन दिलाया जावे।

श्री श्रीभानसिंह : Why don't you go on strike?

श्री मोतीलाल : मेरा यह निवेदन है कि कलेक्टर को पॉवर्स कम करने चाहिये। तीसरी बात यह है कि जहां पर पंचायतों, पंचायत समिति और जिला परिषद् में आपस में किसी प्रकार का डिस्प्यूट हो वह गवर्नमेंट लेवल पर तय होना चाहिये और उनको प्रोपर टाइम पर नोटिस दिया जाना चाहिये। पंचायत को ६७ क्लॉज में सरकार को....

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा): अगर तहसील सरपंच का प्रावधान बना दिया जावे तो कैसा रहेगा।

श्री मोतीलाल : यह ठीक रहेगा यह सबसे अच्छा रहेगा।

मैं यह कहूँगा कि एकसपार्टी कोई डिसीजन नहीं होना चाहिये। कुछ म्युनिसिपेलिटीज और पंचायतों के आपस में झगड़े होते हैं। उसके लिये सेक्शन २०४ में कलेक्टर को फाइनल करने का अधिकार है और सेक्शन २०१ में गवर्नमेंट को पॉवर है। ऐसी हालत में आपस में कलेक्टर और गवर्नमेंट को अलग अलग पॉवर्स है। तो ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट द्वारा उनका डिसीजन प्रोपर नोटिस से होना चाहिये। लास्ट में मैं शिड्यूल के बारे में निवेदन करूंगा। मैंने देखा है...

श्री पी. के. चौधरी : Are we discussing the principles of the Bill or the clauses Hon'ble Deputy Speaker?

श्री उपाध्यक्ष : We are also to observe the decorum. I would not like to see both members standing.

श्री अनूपसिंह : Then he should sit down Sir.

श्री मोतीलाल : I will request Sir that Hon'ble members should stand up only when they have any point of order, otherwise they should not disturb me. जहां तक डिस्प्यूट्स का प्रश्न है हमें दो चीजों की कमी मालूम पड़ती है। देश में जिस चीज की कमी हो उस चीज को जल्दी से जल्दी एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ट्रान्सफर का पॉवर हो। उनको ट्रान्सपोर्ट के लिये परमिट की व्यवस्था करें। बहुत से डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें बिजली की व्यवस्था नहीं है। इसके लिये जिला परिषद् को अधिकार दें तो कोई आपत्ति नहीं होगी।

इसके अलावा तीसरी बात यह है कि केटल फेअर के बारे में मैं यह कहूंगा कि जो स्टेट केटल फेअर हैं उनकी इन्कम आती है वह उनको देनी चाहिये। पुष्कर का मेला है तो उसकी सारी आमदनी जो हो वह पुष्कर को अगर आप नहीं देते सारे अजमेर डिस्ट्रिक्ट को दे दें। मेरे अपने यहां नागौर, मेड़ता और परबतसर में जो मेलों से आमदनी होती है वह तीन लाख होती है। अगर वह जिला परिषद् को दे दी जावे तो उससे बहुत कुछ काम हो सकता है। गवर्नमेंट को उससे कोई फायदा होता नहीं। तीसरा शिड्यूल के बारे में मेरा सुझाव है कि शिड्यूल में होम डिपार्टमेंट के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। मैं यह जरूर मानता हूँ कि कुछ दिनों के बाद होम मिनिस्टर

Page No.107

(श्री मोतीलाल)

उसके लिये भी पॉवर देंगे। जहां तक हो २ अक्टूबर के बाद भी हो जल्दी ही हम इसके लिये भी व्यवस्था करें। जिस प्रकार बंगाल में होम गार्ड की व्यवस्था है उसी प्रकार गांवों में भी व्यवस्था हो।

श्री पी० के० चौधरी : अमेरिका में क्या है।

श्री मोतीलाल : पंचायतें हैं उसमें भी लॉ एण्ड ऑर्डर गांवों में कायम रहना चाहिये इसलिये अध्यक्ष महोदय आपके द्वारा होम मिनिस्टर साहब से निवेदन है कि गांवों में लॉ एण्ड ऑर्डर मेन्टेन करने के लिये कुछ व्यवस्था की जाए। दो अक्टूबर के बाद में या उसके छः महीने बाद जब भी वे चाहें दें तो मैं यह निवेदन करूंगा कि गांवों की व्यवस्था ठीक रह सकती है।

श्री उपाध्यक्ष : मुख्य मन्त्री महोदय।

श्री गिरधारीलाल (नोखा): पोइन्ट ऑफ ऑर्डर सर।

श्री उपाध्यक्ष : Order, order. When the Chair is on its legs, please resume your seat.

प्रश्नोत्तर काल के बाद तारीख २४ को माननीय मुख्य मन्त्री उत्तर देंगे।

(श्री गिरधारीलाल बोलने के हेतु खड़े हुए।)

श्री उपाध्यक्ष : Order, order. I know that I have to entertain a point of order, but when the Chair is on its legs, the Hon'ble Member must resume his seat. There must be some decorum to be maintained. I have appealed to the House from time to time that we are guided by decorum and we should adhere to it.

श्री गिरधारीलाल : जैसा कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने इसके लिये तीन दिन रखे थे, मगर परसों हाउस जल्दी एडजोर्न कुछ बिल में गल्तियां रहने से हो गया और कल घण्टा डेढ घण्टा उसी की बहस में लग गया इस तरह से इस पर पूरे तीन दिन बहस के लिए नहीं मिले। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि...

श्री उपाध्यक्ष : Is this a point of order ? I don't entertain it. It is not a point of order. It is a question of information which I am reluctant to entertain.

श्री गिरधारीलाल : समय मिलना तो चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : कुछ विवाद ग्रस्त प्रश्नों पर समय अधिक ले लिया गया था अतः उनको २४ तारीख को उत्तर देने का मौका दिया गया है।

सदन की कार्यवाही कल ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनुपरान्त सदन की कार्यवाही ५.०० बजे शनिवार, दिनांक २२ अगस्त, ५६ को ११ बजे तक के लिये स्थगित की गई।)

संक्षिप्त-विवरण

(शुक्रवार-२१ अगस्त, ५६)

स्कम्भ

तारांकित प्रश्नोत्तर—

ललित-कला अकादमी।

सहकारी समिति ग्राम सांभरिया भीलवाड़ा के अभ्रक के खदान क्षेत्र के ब्लॉक नम्बर २ का ठेका।

गंगासागर बांध, दूदू।

जिला कृषि अधिकारी, भीलवाड़ा द्वारा बीज का वितरण।

पॉवर हाउस के कर्मचारियों को वेतन वृद्धि।

सहकारी समितियों में किए गए गबन एवं अनियमितताओं के के संबंध में की गई शिकायतें।

जेलों व सब-जेलों में वार्ड्स के क्वार्टर्स।

साहित्य-अकादमी।

बहुधंधी सोसाइटी-ग्राम ललासरी (डीडवाना)।

डाइरेक्टर कॉलोनाईजेशन, हनुमानगढ़ द्वारा सरकारी जीप में की गई जयपुर की यात्राएं।

दरबार कन्या पाठशाला, पाली।

स्कम्भ

श्री अमृतलाल यादव, भूतपूर्व मंत्री में स्टेट होटल, बीकानेर की बकाया रकम।

भूतपूर्व नगरपालिकाध्यक्ष, छोटी सादड़ी द्वारा जनसंघी सदस्य की नाक चबा डालना।

हरिजन बस्ती हसनपुरा (जयपुर) में स्कूल भवन का निर्माण।

पुलिस-विभाग द्वारा लिए जाने वाले सामान के क्रय संबंधी नियम।

सब्जी मंडी-जयपुर में विभिन्न बाटों का प्रयोग।

गांधीनगर-सांगानेर स्टेशन रोड। गम्भीरी बांध।

सिरोही जिले में सड़कों का निर्माण।

पार्वती-बांध।

मेट्रिक पास अध्यापकों की वेतन-शृंखला।

छबरा रेन्ज में वन विभाग द्वारा बनायी गई सड़कें।

हायर सेकेण्डरी स्कूल्स, अजमेर।

लघु-सिंचन योजनाओं का सर्वे।

जिला जैसलमेर में खनिज उद्योग के विकास की योजना।

मोहन रोड से बगड़ी तक की सड़क का मेटल रोड बनाया जाना।

विद्युत् गृह-बारां।

बूंदी-शिकार बुर्ज-टीकड़दा-अलोद रोड।

विकास-खंड, अटरू (कोटा)।

बांध-निर्माण, जिला बूंदी।

कोट से नारेड़ा तक की सड़क का निर्माण।

पशु-पालन विभाग के कार्यों के विवरण का प्रकाशन।

विधायी कार्य

राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् विधेयक, १९५९।

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिए जाने के प्रस्ताव पर आज भी वाद-विवाद जारी रहा, जिसमें निम्नांकित सदस्यों ने भाग लिया:—

१. श्री भानसिंह
२. श्री दयाकृष्ण विजय
३. राजा मानसिंह
४. श्री लक्ष्मीचन्द
५. श्री पुरुषोत्तमलाल
६. श्री हीराभाई
७. श्री हरिप्रसाद यादव
८. श्री होतीलाल
९. श्री अनूपसिंह
१०. श्री शीशराम ओला
११. श्री रामचन्द्र (१२६)
१२. रावल श्री नरेन्द्रसिंह
१३. श्री मोतीलाल चौधरी

शनिवार, दिनांक २२ अगस्त, ५९ की कार्य सूची।

राजस्थान मृत्यु भोज निवारण विधेयक ५९।

———

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २६३ का उत्तर देखिये)

The annual deadrent & royality are as follows :

From	To	Deadrent	Royality recoverable.	Royality paid
1-2-51	1-10-52	No deadrent chargeable for first year.	18095.31 N. P.	17000.00
2-10-52	1-10-53	153091.00	18458.00	19553.31
Note:—No deadrent is recoverable for this period as royality is higher than the annual deadrent.				
2-10-53	27-3-55	23623.45	—	12721.00
28- 3-55	7-10-57	35232.53	—	17387.00
8-10-57	1-10 58	12982.14	—	—
2-10-58	1- 4-59	6593.48	—	—

परिशिष्ट २

[कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २६५ का उत्तर देखिए]

Statement showing the seed distributed during the months of October-November, 1958 in Banera Centre

S. No.	Date of distribution	Name of the cultivator.	Tehsil	Village	Quantity.
1.	15-10-58	Sri Sahbuddin Rehman.	Banera	Banera	13-00
2.	22-10-58	,, Ugas Singh S/o Rawat	,,	,,	2-20
3.	do	,, Mohanlal S/o Raghunath	,,	,,	5-00
4.	do	,, Najir Beg S/o Lal Beg,	,,	,,	2-20
5.	25-10-58	,, Ajmeri S/o Noor Mohammed.	,,	Kapalpura	2-00
6.	do	,, Raghunath S/o Kishna.	,,	Kodla	3-00
7.	do	,, Jeewan S/o Moda	,,	Banera	3-00
8.	do	,, Bhura S/o Raghunath	,,	Banera	2-00
9.	27-10-58	,, Shriram S/o Nathu	,,	Kharolawad	1-00
10.	28-10-58	,, Nand S/o Heera.	,,	,,	3-00
11.	do	,, Gopa S/o Ishwar.	,,	,,	2-00
12.	do	,, Deva S/o Narain.	,,	,,	1-20
13.	do	,, Kesar S/o Mula	,,	Balpura	1-20
14.	do	,, Bhagirath S/o Narain.	,,	Kharolawad	2-00
15.	do	,, Dungaram S/o Nanag.	,,	,,	3-00
16.	do	,, Gheesan S/o Shobha.	,,	,,	2-20
17.	30-10-58	,, Girraj S/o Madhav Lal.	,,	Banera	2-20
18.	do	,, Khema S/o Dhula	,,	Srijikakhera	3-00

1	2	3	4	5	6
19.	do	Sri Girdhari S/o Padma.	Banera		3-00
20.	31-10-58	,, Mangeshwar S/o Dhuliram	,,	,,	1-20
21.	do	,, Deva S/o Gega.	,,	Sriji ka Khera	2-00
22.	do	,, Parnqo S/o Godukha	,,	,,	1-00
23.	1-11-58	,, Bherun Lal S/o Kalu Ram ji	,,	Banera	
24.	do	,, Rahim Baksh S/o Alla Khan.	,,	,,	2-00
25.	do	,, Geeiutam S/o Ramkaran.	,,	,,	5-00
26.	2-11-58	,, Indersingh S/o Jodhsingh	,,	Kajola	3-00
27.	8-11-58	,, Gulam Mohmed S/o Jan Ahmed.	,,	Banera	1-00
28.	21-12-58	,, Madan Lal S/o Behari Lal.	,,	,,	1-00
29.	do	,, Keshar Singh S/o Bhura Singh	,,	Kadarladu	1-00
30.	1-12-50	,, Kalyan S/o Sheo Ji Koli	,,	Banera	1-20
31.	do	,, Chotu S/o Kalu.	,,	,,	2-00
32.	4-10-58	,, Asraf Khan S/o Chand Khan.	,,	,,	1-20

परिशिष्ट

Statement showing the distribution of seed made in the month of October and November, 1958 in Hamirgarh Centre.

Sl. No.	Date of distribution.	Name of the cultivators.	Tehsil	Village	Quantity.
1.	17-10-58	Shri handra Shankar S/o Prabhudayal.	Hamir garh.	Hamir garh.	12-00
2.	—do—	Kanahiya Lal S/o Rang Lal.	,,	,,	16-00
3.	26-10-58	Biharilal S/o Govindlal.	,,	,,	4-00
4.	do	,, Kapasji Balpuri S/o Budhpuri	,,	,,	15-00
5.	do	,, Devi Lal S/o Kajodi Mal	,,	,,	5-00
6.	28-10-58	,, Lal Singh S/o Sher Singh.	,,	,,	4-00
7.	do	,, Anokhi Lal S/o Fateh Lal ji.	,,	,,	2-20
8.	do	,, Bhura Lal Nathulal.	,,	,,	3-00
9.	do	,, Kharahiya Lal S/oGa eah Ramji	,,	,,	3-30
10.	do	,, Choth Mal Jodhraj ji.	,,	,,	2-20
11.	do	,, Ramchandra S/o Bilasram ji	,,	,,	2-20
12.	do	,, Bhanwar Lal S/o Panna Lal ji	,,	,,	2-20
13.	do	,, Ram Chandra Jeth Mal	,,	,,	3-00
14.	do	,, Magna S/o Ikling ji	,,	,,	1-00
15.	31-10-58	,, Jamna Lal S/o Baldeo ji	,,	,,	1-10
			Total :		68-00

Statement showing the distribution of seed done in the month of October-November, 1958 in centre Sahada.

Sl. No.	Date of distribution.		Name of the cultivator.	Tehsil	Village	Quantity.
1.	17-10-58	Shri	Ragan Pandit Beri Sahai	Sahada	Sahada	104-16
2.	18-10-58	,,	Mahendra S/o Uttam Ram ji.	,,	Mahendragarh.	158-10
3.	19-10-58	,,	P. Vo. Lakhol S/o Nathu lal.	,,	Lakhola.	132-30
4.	do	,,	Khakla S/o Murari Lal.	,,	Khakhla.	91-20
5.	do	,,	Fctla S/o B. Shankerji	,,	Potla.	43-20
6.	20-10-58	,,	Amli H. S. J. Pbhuralalji	,,	Amli	47-10
7.	do	,,	Shivrati S. P. H. Narainji	,,	Shivrati	70-35
8.	do	,,	Co-operative Society, Thosar.	,,	Thosar	24-25
9.	25-10-58	,,	Kamla Prasad Mahajan,	,,	Mahendragarh.	5-00
10.	do	,,	Nand Ram.	,,	Peecha.	2-25
11.	30-10-58	,,	Manak Lal Dagla.	,,	Sahada	7-3
12.	1-11-58	,,	Sirajuddin Musalman.	,,	Gangapur	3-0
13.	do	,,	Habib Khan Musalman.	,,	,,	5-00
14.	5-11-58	,,	Panchayat Porad, cshithal	,,	Kcshithal	15-30
15.	do	,,	Nathu Ali.	,,	Gadgapur	2-00
16.	do	,,	Bhanja Dhobi.	,,	Gangapur	1-00
						759-30

Given for listribution to cultivators during Rabi Campaign 1958-59.

Shahpura Block

1. Bahudhandi Sahkari Samiti, Shahpura.
2. Multipurpose Co-operative Society, Bhopala.
3. Co-operative Society, Tehnal.
4. do Borda.
5. do Hindoliya.
6. do Dohariya.
7. Kishan Sahkari Samiti, Bhomer.
8. Co-operative Society, Samaliya.
9. do Vuchkhera.
10. Gram Panchayat, Amliklaan.
11. Co-operative Society. Kanachan. Total 1886 Md., 20 Srs.

Mandal Block

1. Gram Panchayat, Bagore.
2. Co-operative Society, Karera.
3. do Rajpura.
4. do Bhagwanpura.
5. do Bhadu.
6. do Luhariya.
7. do Candliya.
8. do Nimbahera.
9. Gram Panchayat, Chandra
10. Kishan Sahkari Samiti, Mandal Total 1309 Md.

Kotri Blo:

1. Gram Panchayat, Kotri
2. do Udaliya.
3. do Vashniya.
4. do Amba.
5. Co-operative Society, Kotri — Total 781 Mds.

Jahazpur Block.

1. Co-operative Society & Panchayat, Jahazpur. — Total 878 Md., 20 Srs.

Mandalgarh Block.

1. Bigod Co-operative Society, Bigod.
2. Forest Co-operative Society, Bigod,
3. Kishan Bahudhandi Sahkari Samiti, Bigod.
4. Bahudhandi Sahkari Samiti, Mandalgarh.
5. Ladpura Bahudhandi Sahkari Samiti.
6. Teleshma Bahudhandi Sahkari Samiti
7. Kachola do
8. Barundani do
9. Manpura do
10. Mahnwa do
11. Shyampur do
12. Nahargarh do
13. Salavantiya do — Total 907 Md., 20 Srs.

Sahada Tehsil

1. Gram Panchayat, Sahada.
2. do Lokhala.
3. do Mahendragarh. — Total 577 Md., 20 Srs.

Bhilwara Te.h.

1.	Gram Panchayat,	Pansal.	
2.	do	Swaroopganj.	
3.	Co-operative Society,	Kodukota.	
4.	do	Gadarmala.	
5.	do	Naya Iras.	Total 18,883 Md., 30 Srs.

Banera Tehsil

1. Co-operative Society, Chota Mahuwa. Total 250 Md., 20 Srs.

Tehsil Asind

1. Co-operative Society, Tiloli. Total 161 Md., 20 Srs.

Rajpura Tehsil.

1. Gram Panchayat, Rajpura Total 151 Md., 20 Srs.

Hurda Tehsil.

1. Co-operative Society and Panchayat, Hurda. Total 840 Mds.

Statement showing the seed distributed in the year 1958-60 in the Centre 'Asind'

Sl.No.	Name of the cultivators	Village	Quantity
1.	Shri Gokulji Chokalji	Asind.	5-00
2.	,, Ladu Singh.	,,	2-00
3.	,, Ganga Danji Prabhu Danji.	Sulbada.	12-20
4.	,, Ganpat Singh Omkar Singh.	Dantda.	2-00
5.	,, Jeewan Ram Raghnnath.	Barsangi.	7-20
6.	,, Chandraji Deviji.	Dadabat.	3-00
7.	,, Hiradas Amardas.	Akakaod.	2-00
8.	,, Nanu S/o Rupji.	Badabat.	2-00
10.	,, Horam Galadni Gjaur.	Raina.	2-00
11.	,, Kanhiya Gopal.	Kalawas.	2-00
12.	,, Shankar Lal Bhuriji.	Asind.	6-00
13.	,, Kanhiya Lalji.	Barsani.	2-20
14.	,, Mohanlalji	do	1-20
15.	,, Moti Das.	Asind.	1-20
16.	,, Shri Ram Maja.	Kanwas.	1-20
17.	,, Radha Kishan Narainji	Asind.	7-00
18.	,, Gambhir Dayalji.	Bharkboado.	1-20
19.	,, Ruplal Phulchandji.	Asind.	5.00
20.	,, Onkar Chand Jeewan.	Kanvlas.	1.00
21.	,, Iswar Amar Singh.	Parosoli.	2-20
22.	,, Ghesu Dhukalji	Asind.	2-20
23.	,, Ramnarain Ghasiram.	Asind.	1-20
24.	,, Bahadur Singh Phulsingh	Arjunpur.	1-20
25.	,, Bhairun Singh Govind Singh.	Deori.	6-00

1	2	3	4
26.	Shri Ibrahim Haman Baksh.	Asind.	3-00
27.	,, Bharu Hotiram.	do	4-00
28.	,, Nanuram Nandaram.	Jhabrikiya.	4-00
29.	,, Balu Ram Kajod.	do	2-00
30.	,, Nasir Mohommad Mishrikhan.	Badnot.	5-00
31.	,, Udailal Nathulal,	do	1-00
32.	,, Ganesh Lal Nathu lal.	do	1-00
33.	,, Ganga Singh Bahadur Singh.	do	10-00
34.	,, Ram Swaroop Nanudas.	do	1-00
35.	,, Bheru Singh Udda Jeewan.	do	1-00
36.	,, Nahar Singh Balwant Singh.	do	3-00
37.	,, Netaneem Balai.	Jaisinghpur	3-00
38.	,, Jora Dugani.	Papdiya	2-00
39.	,, Ganesh Dhul Chamari.	Asind	2-20
40.	,, Kaniram Chaturbhuj.	Masingjapha.	2-00
41.	,, Deva Ratna.	Budhanai.	1-00
42.	,, Hukam Suja.	Jaitpura	2-10
43.	,, Dildarkhan Lal khan.	Badnot	2-20
44.	,, Neena Jodha Rawat.	Sawalsagar.	4-00
45.	,, Mangi Lal Gangaram,	Badnot	3-10
46.	,, Ram Sukh Rambakshji.	do	4-00
47.	,, Lal Singh Jodhsingh.	Sawalsagar.	7-00
48.	,, Omapura Rawat.	do	4-00

1	2	3	4
49.	Shri Kishanlal Rambakshji.	Badnot	5-00
50.	„ Ram Singh Panna Singh.	Sawalsagar.	8-00
51.	„ Kajod Nand Gujar.	Badnot.	3-20
52.	„ Jalai Singh Nem Singh.	Paharu'	5-00
53.	„ Girdharilalji Gordhan ji.	Badnot.	1-00
54.	„ Nand Lal Sheobaksh.	Asind.	2-20
55.	„ Araveli Fatah Mohammad.	do	1-00
56.	„ Nanu Ram Nai.	do	3-10
57.	„ Balu Dhanna Gujar.	Gopalpura.	3-20

Statement showing the distribution of seed in the year 1958.
(October-Novermber)

Sl. No.	Date of distribution.	Name of cultivator.	Tehsil	Village	Quantity
1.	14-10-58	Shri Bansi Lal S/o Kanahiyalal	Bhilwara	Bhilwara	7-20
2.	do	„ Jeet Mal S/o Pekaligji	„	Pur	6-00
3.	15-10-58	„ Lalit Prasad S/o Harmal	„	„	15-0
4.	17-10-58	„ Padam Singh S/o Chothmal	„	„	18-0
5.	18-10-58	„ Inder Lal S/o Chunnilal	„	Bhilwara	6-00
6.	19-10-58	„ Padam Singh S/o Bhagwat Singh	„	„	5-00
7.	23-10-58	„ Gajanand S/o Kesarlal	„	„	6-00
8.	24-10-58	„ Ramdeo S/o Laxmi Lal	„	„	8-00
9.	27-10-58	„ Kishan Sah Kiti Samiti	„	Naieras	80-00
10.	do	„ B. D. O. Jahazpur.	„	Jahazpur	20-00
11.	do	„ Rameshwar Lal S/o Chitarmal	„	Malan	2-20
12.	do	„ Harishchandra S/o Nanak Chand	„	Bhilwara	10-00
13.	do	„ Raman Lal S/o Gopal	„	„	5-00
14.	do	„ Kasi Deo S/o Jagdish Prasad	„	„	4-00
15.	do	„ Ganpat Lal S/o Ram Sahai	„	„	7-00
16.	do	„ Lala Jagan Nath Ganga Prasad	„	„	15-00
17.	do	„ Kishan Das S/o Hasumal	„	„	5-00
18.	do	„ Bhura Lal S/o Badri Lal	„	„	1-20
19.	do	„ Bharulal S/o Choth Mal	„	„	8-00
20.	do	„ Tejmal S/o Hulas Rai	„	„	10-00
21.	29-10-58	„ Kishan Lal. Mukand Lal	„	„	6-00
22.	do	„ Nanada Lalu Verma.	„	„	2-00
23.	do	„ Lai Singh S/o Bhagta	„	„	2-00
24.	do	„ Rawat Singh S/o Ram Chandra	„	„	2-00
25.	do	„ Nathpuri S/o Raghurandpuri.	„	„	8-00
26.	do	„ Samsuddin S/o Karim	„	„	4-00

Statement showing the distribution of seed in October, November 1958 in Bhilwara.

Sl. No.	Date of distributation	Name of cultivator.	Tehsil	Village	Quantity.
1.	29-10-58	Shri Pyari Devi D/o Kishan Mali	Bhilwara	Bhilwara	2-00
2.	do	,, Bansi Lal Annandi Lal	,,	,,	5-00
3.	do	,, Shyam Sunder Somati	,,	,,	10-00
4.	30-10-58	,, Udai Singh S/o Malla	,,	,,	1-20
5.	do	,, Bansi Lal Bhagwan	,,	,,	3-00
6.	do	,, Hempuri S/o Gangapuri Gusai	,,	,,	4-00
7.	da	,, Chitar S/o Pola	,,	,,	4-00
8.	do	,, Chand Mahmud S/o Babu Khan	,,	,,	5-00
9.	do	,, Phool Chand S/o Hazari Mal	,,	Pur	2-20
10.	do	,, Rahim Baksh S/o Samsuddin	,,	Bhilwara	4-5
11.	do	,, Ajmuddin S/o Sarajuddin	,,	,,	2-10
12.	do	,, Raghunath S/o Meghnath	,,	Karaoi	2-20
13.	dc	,, Bhura Lal S/o Jeth Mal	,,	Bhilwara	1-4-10

———

परिशिष्ट ३

[कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २६६ का उत्तर देखिए]

१. नवम्बर, १६५८ में ब्यावर से एक सिम्पोजियम का आयोजन किया गया।

२. फरवरी, १६५६ में जोधपुर में एक बृहत् साहित्यिक सेमीनार का आयोजन कियागया।

३. १६५८-५६ में राजस्थान के लेखकों को उनकी उत्तम साहित्यिक कृतियों पर प्रोत्साहन स्वरूप २,५०० रुपये पुरस्कार स्वरूप प्रदान किये गये।

अकादमी के पदाधिकारियों के नाम व उनको मिलनेवाले मेहनताने का ब्यौरा इस प्रकार है:

	नाम	पद	वेतन ग्रेड	
१.	डॉ० मोतीलाल मेनारिया	डाइरेक्टर	५००=८५०	पार्ट टाइम बेसिस पर नियुक्त हैं
२.	श्री ज्ञानभारिल्ल	सचिव	२५०=५००	
३.	श्री नारायणलाल	यू० डी० सी०	८०=२००	
४.	श्री लक्ष्मीलाल	यू० डी० सी०	८०=२००	
५.	श्री श्यामसुन्दर	एल० डी० सी०	६०=१३०	
६.	श्री मोहनसिंह	एल० डी० सी०	६०=१३०	
७.	श्री मोहनलाल	एल० डी० सी०	६०=१३०	
८.	श्री सोहनलाल	एल० डी० सी०	६०=१३०	
६.	श्री भैरूंलाल	चपरासी	२५=४०	
१०.	श्री खुमानसिंह	चपरासी	२५=४०	
११.	श्री मोहनलाल	चपरासी	२५=४०	
१२.	श्री शंकरलाल	चपरासी	२५=४०	

———

परिशिष्ट ४

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २७५ का उत्तर देखिये)

Abstract for the repairs to Kutcha School building at Hasanpura.

S.No.	Quantity.	Items.	Rate. Unit.		Amount.
1.	468 cft.	Excavition of trenches for founds etc. in ordinary soil including subsequent filling in jhiri (offset Recesses) with lead upto 100' and lift 5'	16/-% cft.	Rs.	7/48
2.	78 cft.	Lime concrete stone dallast of 1½" gauge & white lime surkhi mortar six 1.2.	58/-% cft.	Rs.	45/23
3.	235 cft.	R.R. Stone mud masonry in foundation and plinth.	40/-% cft.	Rs.	94/-
4.	502 cft.	R.R.Stone mud masonry in superstructure.	50/-% cft.	Rs.	251/-
5.	25½ sft.	Stone lintels 5" to 6" thick.	1/12/-% sft.	Rs.	44/62
6.	56½ rft.	S&F 4"x5" thick R. C. C. Door & window frames nice finish single rebated.	-/12/- Rft.	Rs.	42/37
7.	126 sft.	1½" thick cement concrete flooring with & on 4½" thick dry stone Kharanja bed.	53/-% sft.	Rs.	66/78
8.	266 sft.	C.I. Sheets roofing without frame.	75/-% sft.	Rs.	199/50
9.	810 sft.	Lime plaster 1" thick, 3 coats.	14/-% sft.	Rs.	113/40
10.	44.22 sft.	P&F 1½" thick chirwood planneled or fully glazed or P&G door window shutters with approved quality iron fittings complete in all respects with wooden stoppers etc. as necessary.	2.62 sft.	Rs.	115/85

1	2	3	4	5
11.	11.8 cwt.	Steel work in teesangles flats and channels etc, complete with fixing in position.	40/- cwt	Rs. 72/-
12.	16 sft.	1½" thick C. C. flooring 1.2.4 without lime concrete (extra Item).	30/-% cft.	Rs. 4/80
13.	12 sft.	1" thick cement plaster (Extra item).	28/-% cft.	Rs. 3/36
			Total	Rs. 1060/40
		Add. 15% above due to high rates.		Rs. 159/06
			Grand Total	Rs, 1219/46
			Say Rs. 1,219/-	

परिशिष्ट ५

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २६१ का उत्तर देखिए)

विकास खण्ड अटरू द्वारा सन् १९५७-५८ में वितरित ऋण अनुदान की सूची

क्र०सं०	नाम आसामी मय वालद पता	ग्राम	वर्ष	रकम जो तक़सीम हुई	कौन से वर्ष में वापिस होगी	रकम किस कार्य के लिए	विशेष वि०
१.	श्री भोला बेटा जैलाल का हीरा बेटा थूलीलाल का माली	अटरू	२३-३-५८	१०००)	१५-१२-६४	खुदवाने चाह	
२.	,, प्रभु वालिग रामनायण नावालिग व फलाँ वल्द वलतिया माली	,,	,,	५००)	,,	मरम्मत चाह	
३.	,, आत्र. छैलसिंह आत्मज गोरधनसिंह	देगनी	,,	८००)	,,	खुदवाने चाह	
४.	,, रामप्रताप आ० श्रीलाल	छुजावा	,,	५००)	,,	कुएं मरम्मत	
५.	,, रामनारायण आ० हीरालाल	सहरोद	,,	१०००)	,,	नवीन कूप निर्माण	
६.	,, गोपाल आ० हट्टू माली	मैसड़ा	,,	४५०)	,,	कुएं की मरम्मत	
७.	,, केदारलाल आ० हीरालाल	खुरी	,,	७००)	,,	नवीन कूप निर्माण	
८.	,, गोपाललाल आ० हीरालाल	,,	,,	७००)	,,	,,	
९.	,, श्रीलाल आ० गैंदीलाल	,,	,,	७००)	,,	,,	
१०.	,, रामानुज आ० गजानन्द	,,	,,	७००)	,,	,,	
११.	,, राधाकिशन आ० जगन्नाथ	,,	,,	७००)	,,	,,	

१	२	३	४	५	६	७
१२.	श्री कालू आ० मीणा	भोपुर	२३-३-५८	५००)	१५-१२-६४	दो कुंओं की मरम्मत
१३.	,, मन्नावजीरा हजारी आ० भंवरलाल मुसलमान	कैलालिया	,,	५००)	,,	कुएं की मरम्मत.
१४.	,, भंवरलाल आ० पन्नालाल	देवपुरिया	,,	१०००)	,,	नवीन कूप निर्माण
१५.	,, राधाकिशन भंवरदा आ० वल्लभ	कूंडी	,,	७००)	,,	मरम्मत व झड़ाई कुंआ
१६.	,, देवीसिंह आ० भैरोंसिंह	भकरावदा	,,	५००)	,,	निर्माण व मरम्मत कुंआ
१७.	,, घासीलाल आ० सीताराम	कवाई	,,	२५०)	,,	,,
१८.	,, कवरलाल आ० पन्नालाल	,,	,,	५००)	,,	ढहरी खुदाना
१९.	,, हड्डु आ० कंवरलाल	,,	,,	४००)	,,	मरम्मत चाह
२०.	,, हजारीलाल० आ० चतरभुज	पटना	,,	५००)	,,	ढाना की मरम्मत
२१.	,, हरगोविन्द आ० देवलाल	महाराजपुरा	,,	७००)	,,	नया चाह खुदाना
२२.	,, कान्हा वंशी छोटेलाल आ० गंगाराम	,,	,,	५००)	,,	ढाना मोहरी मरम्मत
२३.	,, आनन्दीलाल आ० ताराचन्द	वरलों	३१-३-५६	१०००)	,,	नया चाह खुदवाना
२४.	,, मदन कान्हा आ० भोलू	लीलाहेड़ी	,,	७००)	,,	,,
२५.	,, माधो आ० कान्हा	,,	,,	१०००)	,,	,,
२६.	,, ननकाया आ० कवरया	पाडल्या	,,	५००)	,,	मरम्मत चाह

१	२	३	४	५	६	७
२७.	श्री रामनारायण आ० शंकरलाल	बड़ोरा	३१-३-५६	१०००)	१५-१२-६४	नया चाह
२८.	,, रामनारायण आ० छुप्पनलाल	,,	२३-३-५८	७००)	,,	खुदवाने. चाह
२९.	,, मनोहर वाला लबूर आ० रतना	किशनपुरा	,,	१०००)	,,	,,
३०.	,, गोविन्दलाल भोरीलाल बंशीलाल आ० राधाकिशन	ननावता	,,	७००)	,,	मरम्मत कुआं
३१.	,, गोरधन राधाकिशन आ० सुखलाल व जगन्नाथ	खरखडाराय लोथान	,,	७००)	,,	,,
३२.	,, मीनक्या आ० श्रीरामनारायण आ० कंवरलाल	,,	,,	५००)	,,	,,
३३.	,, बिरया जोजो हजारी मीणा	दानपुर	,,	५००)	,,	मरम्मत चाह
३४.	,, रामचंद्र, बीराघ, माधो आ० किसना	मोचड़ी	,,	७००)	,,	नया कुआं निर्माण
३५.	,, उमालाल आ० लालू	रीछ्या टापरिया	,,	१०००)	,,	,,
३६.	,, किशनगोपाल आ० गोपीलाल	आटीन	,,	१०००)	,,	,,
३७.	,, गजानन्द आ० शंकर	अटरू	२३-३-५६	३००)	१५-१-६५	मेड़बन्दी
३८.	,, दीनानाथ आ० गोर्धनलाल	येडकिया	,,	५००)	१५-६-६५	रेहंट के लिए
३९.	,, धूलालाल आ० गनेशराम	खेड़ली	,,	५००)	१५-१-६५	चाह को पूरा करने हेतु
४०.	,, शिवराम आ० बलदेव	नानावत	,,	५००)	,,	,,
४१.	,, धूलालाल आ० मांगीलाल	पटना	२१-३-५६	२००)	,,	मेड़ बन्दी

विकास खण्ड अटरू द्वारा सन् १६५८-५६ में वितरित ऋण अनुदान की सूची

१	२	३	४	५	६	७
१.	श्री किशनलाल आ. रोडू मीना बरलो		२३-१२-५८	२००)	६-७-६२	मेडबन्दी
२.	,, राधाकिशन जगन्नाथ आ. भूरालाल	,,	,,	४००)	,,	,,
३.	,, भोलू आ. मोहना	,,	,,	२००)	,,	,,
४.	,, चंदालाल आ. गोपीलाल	,,	,,	२००)	,,	,,
५.	,, नंदलाल आ. अमरलाल	कवाई	,,	२००)	,,	,,
६.	,, मूलचन्द आ. भवानीशंकर	,,	,,	१५०)	,,	,,
७.	,, देवीलाल आ. गोर्धन	,,	,,	१५०)	,,	,,
८.	,, रामगोपाल आ. मेद्दूलाल	,,	,,	१००)	,,	,,
९.	,, श्योजी आ. गनेशनाथ	,,	,,	१००)	,,	,,
१०.	,, मदनसिंह आ. गुलाबसिंह	,,	,,	१५०)	,,	,,
११.	,, जमीलअहमद आ. अलीपहखेड़ली		,,	२००)	,,	,,
१२.	,, उदा आ. भैरूलाल	केरवालिया	,,	१००)	,,	,,
१३.	,, काना आ. मंगल	,,	,,	१००)	,,	,,
१४.	,, जगन्नाथ आ. किशनलाल	,,	,,	१००)	,,	,,
१५.	,, घीसीलाल आ. शोवख्श	,,	,,	१००)	,,	,,
१६.	,, गोपालसिंह आ. बलदेवसिंहरेलाई		,,	१००)	,,	,,
१७.	,, अमीचन्द आ. माधो	छुजावा	,,	१००)	,,	,,
१८	,, छीतरलाल आ. अमरलाल	बैरपुर	,,	१००)	,,	,,
१९.	,, धन्नालाल आ. रामनाथ	सकतपुर	,,	१००)	,,	,,
२०.	,, घीसीलाल आ. भीलाल	,,	,,	१००)	,,	,,

Page No.130

१	२	३	४	५	६	७
२१.	श्री मदनलाल बृजमोहन आ. श्रीकल्याण	सकतपुर	२३-१२-१८	२००)	६-१-६२	मेड बन्दी
२२.	,, किशनलाल आ. देवलाल	,,	,,	३००)	,,	,,
२३.	,, गोपाललाल आ. भैरूलाल	,,	,,	१००)	,,	,,
२४.	,, हिकमतुल्ला आ. कुदरतुल्ला	,,	,,	१००)	,,	,,
२५.	,, रामकृष्ण आ. सुदर्शन	,,	,,	६०)	,,	,,
२६.	,, मूलचन्द आ० माधोलाल	अरडाक	,,	१५०)	,,	,,
२७.	,, छीटूलाल आ. रामचन्द्र	मोरनाचाह	,,	६०)	,,	,,
२८.	,, श्रीलाल आ. हीरानन्द	,,	,,	६०)	,,	,,
२९.	,, नारायण आ. दीना	,,	,,	७०)	,,	,,
३०.	,, मोडू आ. पन्ना	अटरू	,,	७५)	,,	,,
३१.	,, फूलचन्द आ. गुलाबचन्द	,,	,,	२००)	,,	,,
३२.	,, नारायण आ. मोतीलाल	,,	,,	१००)	,,	,,
३३.	,, गोपीलाल आ. ननकया	लक्ष्मीपुरा	,,	१००)	,,	,,
३४.	,, हीरालाल आ. गोरू	,,	,,	७५)	,,	,,
३५.	,, गोरू आ. पन्नी	,,	,,	७५)	,,	,,
३६.	,, गोरधन बून्चा आ. गोमन्दा	,,	,,	१००)	,,	,,
३७.	,, रामगोपाल आ. नारायण	अटरू	,,	२००)	६-१२-६४	मेड़बन्दी
३८.	,, भैरू आ. माधो	रतनपुर	,,	१००)	,,	,,
३९.	,, गजानंद आ. मोतीलाल	अटरू	,,	२००)	,,	,,
४०.	,, प्रभुलाल आ. माधोलाल	,,	,,	२००)	,,	,,
४१.	,, प्रभुलाल आ. गीधा	,,	,,	२००)	,,	,,

१	२	३	४	५	६	७
४२.	श्री चोथमल आ. खेमराज	सरोप	१३-१२-५८	१००)	६-१२-६४	मेडबन्दी
४३.	,, श्रीकृष्ण आ. सुखदेव	मनोहरपुर	,,	७५)	,,	,,
४४.	,, हीरा आ. शोबगा	ननावता	,,	१००)	,,	,,
४५.	,, बद्रीलाल श्रीलाल आ० गोपाल	मनोहरपुर	,,	७५)	,,	,,
४६.	,, रामप्रताप आ० बलम	,,	,,	७५)	,,	,,
४७.	,, मूलचन्द आ. भैरूलाल	,,	,,	७५)	,,	,,
४८.	,, कजोड़ आ. सुखलाल	बीरोद	,,	१००)	,,	,,
४९.	,, लक्ष्मीनारायण, रामप्रताप आ० चतरा	मनोहरपुर	,,	५०)	,,	,,
५०.	,, अमीरखां पीरखां आ० कमालखां	अटरू	,,	१५०)	,,	,,
५१.	,, कशो आ. छोटू	मनोहरपुर	,,	५०)	,,	,,
५२.	,, रामकिशनसिंह आ. चतरभुज	,,	,,	५०)	,,	,,
५३.	,, जगन्नाथ आ. हीरालाल	,,	,,	५०)	,,	,,
५४.	,, श्रीलाल आ. हरनारायण	,,	,,	७५)	,,	,,
५५.	,, घासीलाल आ. माधोलाल	,,	,,	५०)	,,	,,
५६.	,, श्रीलाल आ. मांगीलाल	,,	,,	७५)	,,	,,
५७.	,, कालू आ. छोटू	,,	,,	५०)	,,	,,
५८.	,, काल्या आ. गारख्या	मर्मई गुजराग	,,	२००)	,,	,,
५९.	,, बद्रीलाल आ. माधोलाल	अरडान्द	,,	२००)	,,	,,
६०.	,, रामगोपाल आ. श्रीराम	कवाई	,,	७५)	,,	,,
६१.	,, दुलीचन्द आ. कन्हैयालाल	,,	,,	१००)	,,	,,
६२.	,, नसरतमीरखां आ. रहतरीखां	बडारा	,,	१५०)	,,	,,

१	२	३	४	५	६	७
६३.	श्री प्रभूलाल आ. कजोड़	हानीहेड़ा	२३–२१–५८	२००)	६–१२–६४	मेड बन्दी
६४.	,, रामगोपाल, जानकीलाल आ० नारायण	दीलोदहथी	,,	१००)	,,	,,
६५.	,, घासीलाल आ. रतना	पटना	,,	१००)	,,	,,
६६.	,, घीसी आ. अमीरखाँ	हानीहेड़ा	,,	१००)	,,	,,
६७.	,, देवीसिंह आ. नारायणसिंह	मोजाखेड़ा	,,	१००)	,,	,,
६८.	,, बैजनाथ आ. हीरालाल	पटना	,,	१००)	,,	,,
६९.	,, ताजू बेवा अमरा आ. भैरूलाल	हेड़ी	,,	१००)	,,	,,
७०.	,, सुन्दरलाल आ. किशनलाल	हाथीदीलेद	,,	२००)	,,	,,
७१.	,, मीठूलाल आ. सरवन	आटोन	,,	१००)	,,	,,
७२.	,, मदनलाल आ. रामनारायण	बडोरा	,,	२००)	,,	,,
७३.	,, नारायण आ. धूलालाल	ननावता	,,	१००)	,,	,,

Page No.133

विकास खण्ड अटरू द्वारा सन् १६५८-५६ में वितरित ऋण व अनुदान की सूची

१	२	३	४		५	६	७
१.	श्री प्रभूलाल आ० धूलिलाल हरिजन	पटना	३०-६-५६	१००)	१००)	१-१-६२	कुक्कटशाला
२.	,, काल्या आ० करन हरिजन	कवाई	,,	१००)	१००)	,,	,,
३.	,, बशीरअहमद अजीमुहम्मद	खेड़ली	,,	१००)	१००)	,,	,,
४.	,, अब्दुल रज्जाक आ० शलूखां	अटरू	,,	१००)	१००)	,,	,,
५.	,, राजेन्द्रप्रतापसिंह आ० गयाप्रसाद	बलदेवपुरा	,,	१००)	१००)	,,	,,
६.	,, बहीदुल्लाखां आ०करीमुल्ला	अटरू	,,	१००)	१००)	,,	,,
७.	,, गुलामअलीखां आ० गुलामअली	बडोरा	,,	१००)	१००)	,,	,,
८.	,, ख्वाजू आ० मेमदा	आटोन	,,	१००)	१००)	,,	,,
९.	,, मोहम्मदजहुर आ०नन्हांखां	धूमेन	,,	१००)	१००)	,,	,,
१०.	,, खुमानसिंह आ० देवीसिंह	देगनी	,,	१००)	१००)	,,	,,
११.	,, राधाकिशन, जगन्नाथ आ० भूरालाल	बड़ली	१७-१-५६	२५००)	५००)	१-१-६४	पशुपालन
१२.	,, राजेन्द्रप्रतापसिंह आ० गयासिंह	बलदेवपुरा	,,	२५००)	५००)	,,	,,
१३.	,, पंचानन्द शर्मा आ० सत्यनारायण	रतनपुरा	,,	२५००)	५००)	,,	,,

१	२	३	४	५	६	७	८
१४.	श्री रणवीरसिंह आ० रामप्रसाद	अटरू	१७-१-५६	२५००)	५००)	१-१-६४	पशुपालन
१५.	,, अब्दुलहकीमखां आ० अब्दुलसउदखां	बडोरा	३१-३-५६		१०००)	१-७-६७	नया कुआं खुदवाना बाबत
१६.	,, कालू आ० शंकर मीणा	हरनवदा	,,		८००)	,,	,,
१७.	,, हरफूल आ० रामलाल	मोरड़ी	,,		८००)	,,	,,
१८.	,, श्याममुरारी, रामचन्द्र, प्रहलाद, रामशंकर आ० श्री कृष्ण.	खुरी	,,		८००)	,,	,,
१९.	,, कुन्जालाल आ० ताराचंद	आयांपुरा	,,		८००)	,,	,,
२०.	,, नन्दा आ० अमरलाल	गनेशपुरा	,,		८००)	,,	,,

———

शुद्धि–पत्र

(कार्यविवरण दिनांक २१ अगस्त, ५६)

सकम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
१३४२	१०	नहीं क्यों	नहीं तो क्यों
१६४३	२१	minss	mines
१६४५	१३	2.10.53	2--10—53.
१६४७	३	moills	rules
,,	१४	depeneds	depends
१६५०	६	डिस्ट्रिट	डिस्ट्रिक्ट
१६५२	१५	वविभाग	विभाग
१६५४	७	कहीं	कही
१६५५	१४	भज	मर्ज
१६५८	१४	(श्री मोहनलाल सुखाड़िा)	(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)
१६६२	१०	nt soo.	not so
१६६५	१	यवोदित	वयोदित
१६६८	१३	अधिकार	अधिकारी
१६७१	१८	चोकर	कोचर
१६७५	अन्तिम से ३	ईरजिस्टर	रजिस्टर
१६७६	६	आवश्यकया	आवश्यकता
१६८५	१३	समय लगी	समय लेगा
१६६७	१	(श्री समृतराम)	(श्री भीखाभाई)
१७०६	३	उसको	उनको

१	२	३	४
१७०६	१८	जितना	जितने
,,	अन्तिम	वर्य	वर्ष
१७०८	अन्तिम से ६	reedily	readily
१७०६	अन्तिम	वाकख्यात	वाकयात
१७१०	१८	Shribhan Singh	Shri ShriBhanSingh
१७११	२२	तरस	तरह
१७१४	१५	डेवलोंपर्मेंट	डेवलपमेंट
६७१७	अन्तिम से ४	The	This
१७१८	२४	सुपरियर	सुपीरियर
१७१८	अन्तिम	स्टेस्यू टरी	स्टेच्यूटरी
१७२२	५	फिलोंयफर	फिलोसफर
१७२७	२०	गांवों मैं	गांवों में
१७२८	अन्तिम से ३	अब आपने	अब आप
१७२६	५	इम्प्रब्ड	इम्प्रूव्ड
१७३३	५	स्टेटजेज	स्टेजेज
१७४२	अन्तिम	सवसे	सबसे
१७४३	२	जनाई	बनाई
१७४४	२०	बनता	बनाता
१८४५	१२	maiority	majority
१७४६	८	पंचासत	पंचायत

१	२	३	४
१७५५	१	nanner	manner
१७५६	३१	linenes	lines
१७५७	अन्तिम	apnchayat	Panchayat
१७५९	३१	fort	for
१७६१	अन्तिम	elease	release
७७६४	अन्तिम से	tthe	the
१७६७	प्रथम	(राजा लक्ष्मीचन्द)	(श्री लक्ष्मीचन्द)
१७६८	१६	पॉवर्स	पॉवर्स
१७७७	शीर्षक	विधेयक, १९५८	विधेयक, १९५९
१७७८	१९	आय	आज
,,	२९	कोन	कौन
१७७९	२२	नजीजे	नतीजे
,,	अन्तिम से २	कसके	करके
१७८२	शीर्षक	विधेयक, ५८	विधेयक, १९५९
१७९१	प्रथम	(श्री हरिप्रसाद)	(श्री हरिप्रसाद यादव)
१७९५	६	कह रह हूं	कह रहा हूं
१८००	१६	समिवि	समिति
१८०३	३	have there	have been
१८०५,	शीर्षक	स्थगन प्रस्ताव—सलाहकार समिति	राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् विधेयक, १९५९
१८०६	व		

१	२	३	४
१८१३	शीर्षक	पंचाय	पंचायत
१८१५	अन्तिम से ६	हामरे	हमारे
१८२०	अन्तिम से ८	Secceeds	succeeds
१८२२	३	ट्राइन्ड	ट्राइन्स
१८३२	अन्तिम से ८	डब्ल	डबल
१८३६	४	लेवल	लेविल
१८५१	८	पावर्स	पॉवर्स
१८५४	अन्तिम से ३	(तदनुपरान्त)	(तदुपरान्त)